तृतीय माला, खंड 39, अंक 21 शुक्रवार, 19 मार्च, 1965/28 फाल्गुन, 1886 (शक)

Third Series, Vol. XXXIX, No. 21, Friday, March 19, 1965/Phalguna 28, 1886 (Saka)

लोक-सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION OF 3rd LOK SABHA DEBATES

[ग्यारहवां सत्र
Eleventh Session]

[खंड 39 में अंक 21 से 30 तक हैं
Vol. ~~XXXIX~~ contains Nos. 21—30]

लोक-सभा सचिवालय

नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण

19 मार्च, 1965 । 28 फाल्गुन, 1886 (शक) का शुद्धि-पत्र

1. मुख पृष्ठ :

(एक) प्रथम तथा ग्यारहवीं पंक्ति में खंड 39 के स्थान पर खंड 40 पढ़िये ।

(दो) दूसरी तथा बारहवीं पंक्ति में Vol.XXXIX" के स्थान पर "Vol.XL"पढ़िये ।

2. पृष्ठ संख्या (iii) :

Short Notice Question No. 4 का विषय निम्न पढ़िये :-

" Export of Finished Steel "

3. पृष्ठ संख्या 1955 :

प्रथम पंक्ति से पहिले निम्न पढ़िये :-

"प्रश्नों के लिखित उत्तर

Written Answers to Questions "

4. पृष्ठ संख्या 1958 :

प्रश्न संख्या 494 के स्थान पर 493 पढ़िये ।

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेज़ी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.]

587 (Ai) LSD—1

विषय-सूची

अंक 21, शुक्रवार 19 मार्च, 1965 / 28 फाल्गुन, 1886 (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

*तारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
481	पठानकोट-कठुआ रेल लाइन	1929—31
482	कोयले पर आधारित उद्योग	1931—33
483	विद्युत् चालित करघा जांच समिति	1934—37
484	खेलों के सामान का निर्यात	1937—39
486	सूत की मिलें	1939—43
488	राष्ट्रीय कोयला विकास निगम की कोयला खानें	1943—47
490	जमालपुर रेलवे वर्कशाप	1947—48
491	सेलम-निवेली इस्पात परियोजना	1948—51
492	हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची	1951—53

अल्प सूचना

प्रश्न संख्या		
4	परिसज्जित इस्पात का निर्यात	1953—54

प्रश्नों के लिखित उत्तर

*तारांकित प्रश्न संख्या		
478	तम्बाकू का निर्यात	1955
479	इस्पात की आवश्यकता	1955—56
480	कम्प्रेसरों का निर्माण	1956—57
485	भिलाई इस्पात कारखाना	1957
487	चाय का निर्यात	1957—58
489	रेलवे बैगन	1958
493	रूई का भाव	1958—59
495	अफ्रीकी देशों को भारतीय प्रतिनिधिमंडल	1959
496	नमक उद्योग	1960
497	इस्पात की जमाखोरी	1960
498	व्यापार तथा प्रशुल्क सम्बन्धी सामान्य समझौता	1961

*किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस दस्य ने वास्तव में पूछा था ।

CONTENTS

No. 21—Friday, 19th March, 1965/Phalgana 28, 1886 (Saka)

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

**Starred Questions Nos.*	*Subject*	PAGES
481	Pathankot-Kathua Rail Line	1929—31
482	Coal-based Industry	1931—33
483	Powerloom Enquiry Committee	1934—37
484	Export of Sports Goods	1937—39
486	Cotton Spinning Mills	1939—43
488	N.C.D.C. Collieries'	1943—47
490	Jamalpur Railway Workshop	1947-48
491	Salem Neyveli Steel Project	1948—51
492	Heavy Engineering Corporation, Ranchi	1951—51
Short Notice Question No. 4		

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Starred Question Nos.		
478	Export of Tobacco	1955
479	Requirement of Steel	1955-56
480	Manufacture of Compressors	1956-57
485	Bhilai Steel Project	1957
487	Export of Tea	1957-58
489	Railway Wagons	1958
493	Price of Cotton	1958-59
495	Indian Delegation to African Countries	1959
496	Salt Industry	1960
497	Hoarding of Steel	1960
498	GATT	1961

अतारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
1269	पंजाब में रेशम कीट पालन उद्योग	1961
1270	रायगड़ा (उड़ीसा) में ऊपरी पुल	1962
1271	राजस्थान में छोटे पैमाने के उद्योग	1962–63
1272	तिरुनेलवेली का भूतत्वीय सर्वेक्षण	1963–64
1273	अन्तर्राष्ट्रीय भूतत्वीय कांग्रेस	1964
1274	दिल्ली के बड़े रेलवे स्टेशन के एक रेलवे कर्मचारी के विरुद्ध जांच	1964
1275	वस्तुएं बेचने के ठेके	1965
1276	दिल्ली डिवीजन में स्टेशन	1965
1277	अत्तर रेलवे स्टेशन से सीमेंट के बोरों की चोरी	1965–66
1278	निर्यात	1966
1279	अरब सागर के तल में कोबाल्ट और मेग्नीशियम	1966
1280	आगरा जाने वाली रेलगाड़ी का रोका जाना	1967
1281	तिलरथ स्टेशन के निकट रेलगाड़ी का पटरी से उत्तर जाना	1967–68
1282	कांगड़ा में सीमेंट कारखाना	1968
1283	ट्रेक्शन मोटरें	1968
1284	दुर्गापुर का कोयला खनन की मशीने बनाने वाला कारखाना	1968–69
1285	रेलवे अस्पताल	1969
1286	दांतेवाड़ा-भद्राचलम रेलवे लाइन	1970
1287	मध्य प्रदेश में कोयला	1970–71
1288	जापानी तरीके के इस्पात का उत्पादन	1971
1289	खानों में लौह-अयस्क निकालने के लिये मशीनों का प्रयोग	1971–72
1290	उत्तर रेलवे के धरी-भटिन्डा सेक्शन पर वस्तुयें विक्रय (वैंडिंग) के ठेकेदार	1972
1291	उत्तर रेलवे का डिविज़नल लेखा कार्यालय	1972–73
1292	उदयपुर में जस्ता पिघलाने का कारखाना	1973
1293	मेंगनीज़ अयस्क उद्योग	1974
1294	राजमाश का निर्यात	1974
1295	बर्लिन में प्रदर्शनी	1974–75
1296	इस्पात का आयात	1975
1297	उड़ीसा में भारी उद्योग	1975
1298	उड़ीसा में छोटे पैमाने के उद्योग	1975–76
1299	सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों में उद्योग	1976
1300	जैसप एण्ड कंपनी	1976–77
1301	आसाम में कागज़ मिल	1977
1302	उत्तर-पूर्व रेलवे में भ्रष्टाचार के मामले	1977–78

Unstarred Questions. Nos.	*Subject*	PAGES
1269	Sericulture Industry in Punjab	1961
1270	Over-bridge at Rayagada (Orissa)	1962
1271	Small Scale Industry in Rajasthan	1962-63
1272	Geological Survey of Tirunelveli	1963-64
1273	International Geological Congress	1964
1274	Enquiry Against a Railway Official of Delhi Main Station	1964
1275	Vending Contracts	1965
1276	Stations on Delhi Division	1965
1277	Theft of Cement Bags from Attar Railway Station	1965-66
1278	Exports	1966
1279	Cobalt and Magnesium on Sea Bed of Arabian Sea	1966
1280	Detention of Agra bound passenger Train	1967
1281	Derailment near Tilrath Station	1967-68
1282	Cement Factory in Kangra	1968
1283	Traction Motors	1968
1284	Coal Mining Machinery Plant at Durgapur	1968-69
1285	Railway Hospitals	1969
1286	Dantewara-Bhadrachalam Railway Line	1970
1287	Coal in Madhya Pradesh	1970-71
1288	Japanese Technique of Steel Production	1971
1289	Mechanisation of Iron Ore Mining	1971-72
1290	Vending Contractors of Dhuri-Bhatinda Section of N. Railway	1972
1291	Divisional Accounts Office, Northern Railway	1972-73
1292	Zinc Smelting Plant at Udaipur	1973
1293	Manganese Ore Industries	1974
1294	Export of Rajmash	1974
1295	Exhibition in Berlin	1974-75
1296	Import of Steel	1975
1297	Heavy Industries in Orissa	1975
1298	Small Scale Industries in Orissa	1975-76
1299	Industries in the Public and Private Sectors	1976
1300	Jessop & Co.	1976-77
1301	Paper Mill in Assam	1977
1302	Corruption cases on N.E. Railway	1977-78

अतारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
1303	उत्तर-पूर्व रेलवे पर स्टेशन	1978
1304	फिल्म प्रतिनिधिमंडल की अमरीका यात्रा	1978
1305	खाद्य तथा गन्धक का कारखाना	1978–79
1306	तीसरे दर्जे के सोने के डिब्बे	1979
1308	रेलवे बोर्ड द्वारा विभागीय परीक्षा	1979
1310	आस्ट्रेलिया को पटसन का निर्यात	1980
1311	मध्य प्रदेश में बस्तर क्षेत्र में रेल सम्पर्क	1980–81
1312	सहायक उद्योग समिति	1981
1313	"कोल्ड रोल्ड प्लेन शीट्स"	1981–82
1314	मैसूर में कागज का कारखाना	1983
1315	"कन्टेनर सर्विस"	1983
1316	सोने और चांदी की खोज	1983–84
1317	केलों का निर्यात	1984
1318	राझेरा तथा नन्दिनी खानें	1984
1319	मध्य प्रदेश खनन निगम	1985
1320	शोलापुर स्टेशन के पास रेल दुर्घटना	1985
1321	राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के कोयले की बिक्री	1986
1322	पूर्वोत्तर रेलवे में सैंट्रल ट्रेफिक कन्ट्रोल सिस्टम	1986
1323	माल डिब्बे में आग लगना	1986–87
1324	कम्पाला में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेला	1987
1325	दिल्ली प्रशासन को सीमेंट का सम्भरण	1987–88
1326	कतार के उद्योग तथा व्यापार प्रतिनिधिमण्डल	1988
1327	लौह-अयस्क के लिये परिष्करण संयंत्र	1988

स्थगन-प्रस्ताव और ध्यान दिलाने वाली सूचना के बारे में पाकिस्तानी सेनाओं द्वारा गोला बारी — 1989

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना 1989

जमुना बाजार, दिल्ली की झुग्गियों का गिराया जाना । 1989

श्री बड़े 1989

श्री मेहरचन्द खन्ना 1992

सदस्य द्वारा व्यक्तिगत स्पष्टीकरण 1992

ध्यान दिलाने वाली सूचना के बारे में (प्रश्न) 1992

सभा पटल पर रखे गए पत्र 1993

अध्यक्ष द्वारा दिए गए निदेशों में संशोधन 1993

सभा का कार्य

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—*contd.*

Unstarred Question Nos.	*Subject*	PAGES
1303	Station on N.E. Railway	1978
1304	Visit of Film Delegation to U.S.A.	1978
1305	Manure and Sulphur Factory	1978-79
1306	Third Class Sleeper Coaches	1979
1308	Departmental Examination by Railway Board	1979
1310	Export of Jute to Australia'	1980
1311	Rail links in Bastar Area in M.P.	1980-81
1312	Ancillary Industries Committee	1981
1313	Cold Rolled Black Plain Sheets	1981-82
1314	Paper Mill in Mysore	1983
1315	Container Service	1983
1316	Exploration of Gold and Silver	1983-84
1317	Export of Banana	1984
1318	Rajhara and Nandini Mines	1984
1319	Madhya Pradesh Mining Corporation	1985
1320	Railway Accident near Sholapur Station	1985
1321	N.C.D.C. Sale of Coal	1986
1322	Central Traffic Control System on N.E. Railway	1986
1323	Fire to a Goods Wagon	1986-87
1324	International Trade Fair at Kampala	1987
1325	Supply of Cement to Delhi Administration	1987-88
1326	Industry and Trade Delegation from Qatar	1988
1327	Benefication Plant for Iron Ores'	1988

Re: Motion for Adjournment and Calling Attention Notice
Firing by Pakistan Forces

Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance
Demolition of jhuggies in Jamuna Bazar, Delhi

Shri Bade

Shri Mehr Chand Khanna

Personal explanation by Member

Re : Calling Attention Notice (Query)

Papers laid on the Table

Amendments to Directions by Speaker

Business of the House'

सशस्त्र सेना (विशेष शक्तियां) जारी रखना विधेयक— विषय	पृष्ठ
विचार करने का प्रस्ताव	1995—2001
श्री दाजी	1995
श्री मी० रु० मसानी	1996
श्री खाडिलकर	1996
श्री प्र० चं० बरुआ	1999
डा० मा० श्री अणे	2000
श्री किशन पटनायक	2000
श्री स्वर्ण सिंह	2001
खण्ड 1 और 2 —	
पारित करने का प्रस्ताव—	
श्री स्वर्ण सिंह	2003
केरल आय-व्यय—सामान्य चर्चा—	
लेखानुदानों की मांगें (केरल) 1965–66, और	
अनुदानों की अनुपूरक मांगे (केरल), 1964–65 . .	2023
श्री रंगा	2007
श्री वारियर :	2008
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
उनसठवां प्रतिवेदन	2013
विधेयक पुरःस्थापित	2013—2023
संविधान (संशोधन) विधेयक (**अनुच्छेद 15 तथा 16 का संशोधन**) .	2013
[श्री सेझियान का]	2013
संविधान (संशोधन) विधेयक (**अनुच्छेद 120 का संशोधन**) . .	2013
[श्री स० मो० बनर्जी का]	2014
संविधान (संशोधन) विधेयक (**अनुच्छेद 105 तथा 194 का संशोधन**) .	2014
[श्री शिवमूर्ति स्वामी का]	2014
संविधान (संशोधन) विधेयक (**अनुच्छेद 75 का संशोधन**)	2014
[श्री यशपाल सिंह का]—वापिस लिया गया विचार करने का प्रस्ताव	
श्री दी० चं० शर्मा	2014
श्री रघुनाथ सिंह . . .	2015
श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा	2015
श्री किशन पटनायक	2015
श्री श्याम लाल सर्राफ . .	2016
श्री शिवनारयण	2016

Subject	PAGES
Armed Forces (Special Powers) Continuance Bill—	
Motion to consider .	1995 2001
Shri Daji	1995
Shri M. R. Masani	1996
Shri Khadilkar .	1996
Shri P. C. Borooah .	1999
Dr. M. S. Aney .	2000
Shri Kishen Pattnayak .	2000
Shri Swaran Singh	2001
Clauses 1 and 2—	
Motion to pass—	
Shri Swaran Singh	2003
Kerala Budget—General Discussion—	
Demands for Grants on Account (Kerala) ; and	
Demands for Supplementary Grants (Kerala), 1964-65	2003
Shri Ranga	2007
Shri Warior	2008
Committee on Private Members' Bills and Resolutions—	
Fifty-ninth Report . .	2013
Bills introduced	2013—23
Constitution (Amendment) Bill (*Amendment of articles* 15 *and* (16) by Shri Sezhiyan	2013 2013
Constitution (Amendment) Bill (*Amendment of article* 120) by Shri S. M. Banerjee	2013 2014
Constitution (Amendment) Bill (*Amendment of articles* 105 *and and* 194) by Shri Sivamurthi Swami	2014 2014
Constitution (Amendment) Bill—*withdrawn* (*Amendment of article* 75) by Shri Yashpal Singh	2014
Motion to consider	
Shri D. C. Sharma	2014
Shri Raghunath Singh .	2015
Shri Narendra Singh Mahida	2015
Shri Kishen Pattnayak . .	2015
Shri Sham Lal Saraf	2016
Shri Sheo Narain	2016

विषय	पृष्ठ

विचार करने का प्रस्ताव--जारी

श्री हाथी . . . 2016

श्री यशपाल सिंह . . . 2018

नवयुवक (हानिकर प्रकाशन) संशोधन विधेयक (धारा 2 का संशोधन)

[श्री च० का० भट्टाचार्य का] विचार करने का प्रस्ताव . . . 2019

श्री च० का० भट्टाचार्य . . . 2019

श्री रघुनाथ सिंह . . . 2020

श्री ह० च० सोय . . . 2021

श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा . . . 2021

श्री शिव नारायण . . . 2022

श्री कृ० ल० मोरे . . . 2022

श्री हुकम चन्द कछवाय . . . 2022

श्री तुलशीदास जाधव . . . 2023

Subject PAGES

Constitution (Amendment) Bill—*Contd.*

Shri Hathi 2016

Shri Yashpal Singh 2018

Young Persons (Harmful Publications) Amendment Bill (*Amendment of section* 2) by Shri C. K. Bhattacharyya . .

Motion to consider 2019

Shri C. K. Bhattacharyya 2019

Shri Raghunath Singh . . . 2020

Shri H. C. Soy 2021

Shri Narendra Singh Mahida . . 2021

Shri Sheo Narain 2022

Shri K. L. More 2022

Shri Hukam Chand Kachhavaiya . . 2022

Shri Tulsidas Jadhav 2023

लोक-सभा
LOK SABHA

शुक्रवार, 19 मार्च, 1965 / 28 फाल्गुन, 1886 (शक)

Friday, March 19, 1965/Phalguna 28, 1886 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए ।

MR. SPEAKER in the Chair

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

पठानकोट-कठुआ रेल लाइन

+

*481. **श्रीमती रामदुलारी सिन्हा :**
श्री दलजीत सिंह :
श्री अब्दुल गनी गोनी :
श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा :
श्रीमती ज्योत्सना चन्दा :
श्री महेश्वर नायक :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पठानकोट से कठुआ तक रेल की लाइन कहां तक बन गयी है ;

(ख) यह लाइन कब तक बन कर तैयार हो जायेगी ;

(ग) क्या इस लाइन को उधमपुर तक बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है ; और

(घ) यदि हां, तो यह कब तक बढ़ायी जायेगी ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) पठानकोट और माधोपुर के बीच पहले से रेलवे लाइन मौजूद है । इस लाइन को कठुआ तक बढ़ाया जा रहा है, जो माधोपुर से लगभग 8.7 किलोमीटर दूर है । इस लाइन के निर्माण में रावी नदी पर एक पुल बनाने का काम भी शामिल है । निर्माण कार्य में अब तक लगभग 80 प्रतिशत प्रगति हुई है ।

(ख) यदि रावी पुल के लिये गढ़े हुए गर्डर समय पर मिल गए तो आशा है, यह लाइन अक्टूबर, 1965 तक बन कर तैयार हो जायेगी ।

(ग) और (घ). इस रेलवे लाइन का विस्तार जम्मू तक करने के लिये सर्वेक्षण किया गया है और इसके निर्माण के लिये विभिन्न मार्गों के सुझाव पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है। लेकिन, अभी यह निर्णय करना बाकी है कि इस लाइन को किस रास्ते ले जाया जाय और इस प्रायोजना को चौथी योजना में शामिल किया जाय या नहीं।

श्रीमती रामदुलारी सिन्हा : इस लाइन को बिछाने से पहिले क्या इससे होने वाले लाभ अथवा हानि के बारे में कोई अनुमान लगाया गया था ; यदि हां, तो कितने समय के पश्चात् इससे लाभ होने लगेगा ?

श्री शाम नाथ : आशा है कि लाइन के बनने के 11 वर्ष पश्चात् दक्षिणी सम्पर्क से 5.20 प्रतिशत लाभ होने लगेगा ।

श्रीमती रामदुलारी सिन्हा : इस लाइन को कब चालू किया जायेगा ?

श्री शाम नाथ : सर्वेक्षण किया जा चुका है। दो सम्पर्क के बारे में एक दक्षिणी तथा दूसरा उत्तरी, सम्भव है। इसका अभी निर्णय नहीं किया गया कि इनमें से कौनसा अच्छा रहेगा। सम्बद्ध हित रखने वालों की सलाह से जब इस बारे में निर्णय कर लिया जायेगा तब इसको चौथी योजना में शामिल कर लिया जायेगा ।

श्रीमती ज्योत्सना चन्दा : सरकार इस लाइन को जम्मू तथा श्रीनगर तक बढ़ाने के बारे में कब तक निर्णय ले लेगी ?

श्री शाम नाथ : इस लाइन को जम्मू तक बढ़ाने के बारे में बहुत जल्दी निर्णय लिया जायेगा ।

Shri Sheo Narain : May I know as to when the programme relating to extension of a railway line to Uddhampur, to which I had referred to in my budget speech, is going to be completed and what would be its estimated cost ?

Shri Sham Nath : The question of Uddhampur rail link is also being considered but since that line would pass through a difficult Terrain, the cost would, therefore, be very high. There is, therefore, some difficulty about it.

Shri R. S. Tiwary : Is it a fact that Pakistan has objected to our having a railway line beyond Kathua; and if so, what is being done in this regard ?

Shri Sham Nath : No, there is no such thing and nor there can be something like that.

श्री स० चं० सामन्त : इस रेलवे लाइन के लिये कितनी नदियों पर पुल बनाने हैं और इस कार्य में कितनी प्रगति हुई है ?

श्री शाम नाथ : रावी मुख्य नदी है ।

श्री श्यामलाल सर्राफ : क्या सरकार इससे अवगत है कि रावी पर पुल के निर्माण में बहुत देरी हो गई है, हो सकता है कि यह उन कारणों से हुई है जिनका माननीय मंत्री ने उल्लेख किया है अथवा अन्यथा और कि लाइन का निर्माण भी प्रत्याशित गति से नहीं चल रहा है ? क्या शेष निर्माण-कार्य को यथाशीघ्र पूरा करने के लिये प्रयत्न किये जायेंगे ?

श्री शाम नाथ : यह सच है कि पुल के लिये बने हुए गर्डरों के मिलने में कुछ देरी हो गई है। यह इस देरी का मुख्य कारण है।

श्री श्यामलाल सर्राफ : मैं शेष निर्माण-कार्य जैसे सड़कों, स्टेशनों के निर्माण ग्रादि का उल्लेख कर रहा हूं।

श्री शाम नाथ : जैसा कि मुख्य उत्तर में बताया गया है, समूचे रूप से परियोजना में ग्रब तक लगभग 80 प्रतिशत प्रगति हुई है।

Shri Yashpal Singh : Have the Government taken this into consideration that this line is very important in view of the danger posed both by Pakistan and China? What the Government doing to give priority to this line, how it would be expedited and when this work would be completed?

Shri Sham Nath : Effort would be made to take a decision on this matter as soon as possible.

Shri Gulshan : Are the Government considering to connect Chandigarh, the capital of Punjab, by a main railway line during the Fourth Five Year Plan?

Mr. Speaker : That is a separate question. This question is in connection with Kashmir only.

श्री ग्र० प्र० शर्मा : इस लाइन के मार्ग निर्धारण सम्बन्धी प्रश्न के बारे में कब तक ग्रन्तिम निर्णय लिया जायेगा, ग्रौर रेलवे मंत्रालय इसके लिये कितना समय लेगा ?

श्री शाम नाथ : मैंने ग्रभी बताया कि हमने ग्रन्य हित रखने वाले व्यक्तियों से सलाह करनी है। उनसे सलाह करने के पश्चात् इस बारे में ग्रंतिम निर्णय लिया जायेगा।

कोयले पर ग्राधारित उद्योग

+

*482. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती** :
श्री प्र० चं० बरुग्रा :
श्री द्वा० ना० तिवारी :

क्या **इस्पात ग्रौर खान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने राज्य सरकारों से ग्रनुरोध किया है कि वे ईंटों के भट्टों के लिए उदारतापूर्वक लाइसेंस दे ग्रौर कोयले पर ग्राधारित उद्योगों के विकास को बढ़ावा दे;

(ख) क्या संघ सरकार ने घटिया किस्म के कोयले ग्रौर कच्चे कोक के वितरण पर नियन्त्रण ढीला कर दिया है ;

(ग) कोयले की खपत में हो रही कमी को रोकने के लिए कौन से ग्रन्य उपाय खोजे गये हैं; ग्रौर

(घ) क्या इन संरक्षणात्मक उपायों के परिणामस्वरूप खान के मुहानों पर इकट्ठा स्टाक कम हो गया है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, हां ।

(ग) कोयले के उपभोग में हुई कमी को रोकने के लिये सरकार ने कई कदम उठाये हैं, जैसे:—

(1) नीची श्रेणी के कोयले तथा साफ्ट कोक के वितरण नियन्त्रण को शिथिल करना ।

(2) ईंट के भट्टों तथा साफ्ट कोक के डिपो के बारे में लाइसेंस देने की नीति में उदारता ।

(3) राज्य शासनों को मन्त्रणा दी गई है कि वे कोयले पर आधारित उद्योगों की बढ़ती में प्रोत्साहन दें तथा औद्योगिक भट्टियों में लकड़ी तथा लकड़ी के कोयले के प्रयोग को कम करें ।

(4) उपभोक्ताओं को अपने कोटा से अधिक कोयला लेने की इजाज़त ।

(घ) कोयले के मुहानों पर कोयले का संचय जो जुलाई, 1964 में 5.14 मिलियन मीटरी टन था अब कम होकर जनवरी, 1965 में 5.09 मिलियन मीटरी टन हो गया है ।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : क्या सरकार ने घरेलू खपत के लिये गोबर की बजाय कच्चे कोक को अधिक प्रयोग में लाने की सम्भावनाओं के बारे में विचार किया है ?

श्री प्र० चं० सेठी : हम एक न्यून कार्बनीकरण सन्यन्त्र स्थापित करने पर विचार कर रहे हैं और इस दिशा में परीक्षण किये जा रहे हैं । यदि ऐसा हो जायेगा तो शायद इसका अधिक उपयोग हो सकेगा ।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : कच्चे कोक के उत्पादकों को कौनसी विशेष सहायता उपलब्ध की जा रही है जिससे वे अपने उत्पादों को भारत के उत्तरी भागों में पहुंचा सकें ?

श्री प्र० चं० सेठी : कोई सहायता नहीं दी जा रही है ।

Shri D. N. Tiwary : May I know the increase in the consumption of coal as a result of the measures adopted by the Government and whether there is any fall in production due to accumulation of coal on pit heads?

Shri P. C. Sethi : Actually the pit head stocks of coal are 7.5% of the total production. When the production was 40 million tons, the pit head stocks, at that time, were 7% only. Thus they are not much and production has not been affected by them.

Shri D. N. Tiwary : My question was that whether there was any increase or decrease in the consumption of coal as a result of the steps taken by the Government? What is the actual position in regard thereto?

Shri P. C. Sethi : I have already stated in reply to the main question that the pit head stocks have decreased from 5.14 million tonnes to 5.09 million tonnes.

श्री रामेश्वर टांटिया : पिछले वर्षों में कोयले की कमी के कारण कुछ उद्योगों ने भट्टी के तेल को प्रयोग में लाना आरम्भ कर दिया था । जब अब देश में हमारे पास फालतू कोयला है तो क्या सरकार भट्टी के तेल के प्रयोग पर रोक लगायेगी और कोयले की खपत में वृद्धि करेगी ?

श्री प्र० चं० सेठी : वास्तव में, सीमेंट के कुछ कारखानों को तेल का उपयोग करने दिया गया था। उन्होंने तेल के लिये ठेके किये हैं और वे अब तेल का उपयोग करने जा रहे हैं। अब उन्हें वापस लाना कठिन है।

Shri Tulsidas Jadhav : Since we have got surplus coal, are the Government making any effort to this effect that there is increase in use of coal for domestic consumption?

Shri P. C. Sethi : I said that a low carbonisation plant is being set up for this purpose.

श्री शिवाजीराव शं० देशमुख : तापीय सन्यन्त्रों द्वारा कम खर्चे पर विद्युत् का उत्पादन करने के लिये घटिया किस्म के कोयले को सस्ता बनाने के लिये सरकार के पास कोई विशेष प्रस्ताव हैं ?

श्री प्र० चं० सेठी : अभी कोयले के मूल्यों में कमी करने की कोई सम्भावना नहीं है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या मन्त्री जी का ध्यान भारतीय खनन संस्था, कलकत्ता के सभापति के उसवक्तव्यकी ओरदिलाया गया है जिसमें उन्होंने कहा है किसरकार के गलत आयोजन और अपेक्षित कोयले के बहुत अधिक अनुमान लगाने के कारण अब ऐसी स्थिति है कि जब तक सरकार कोयले के निर्यात में वृद्धि करने के लिये विशेष कदम नहीं उठाती, कोयला उद्योग को घोर संकट का सामना करना पड़ेगा ? क्या उन्होंने इस विवरण को देखा है, और इस बारे में उनका क्या दृष्टिकोण है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : प्रथम श्रेणी के कोयले का निर्यात किया जा रहा है, घटिया किस्म के कोयले के लिये मण्डियां नहीं मिल रही हैं। हमारे पास घटिया किस्म का कोयला ही फालतू है। मांग की दृष्टि से धातुकार्मिक कोयले का अधिक उत्पादन करना पड़ेगा। यदि और जब हमें घटिया किस्म के कोयले के लिये मण्डियां मिल जायेंगी तो हमारी स्थिति बहुत अच्छी हो जायेगी। हम इसका निर्यात करने के लिये सभी प्रयत्न कर रहे हैं।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Is it a fact that coal has been found at a number of places in Madhya Pradesh but the Central Government are not allowing to exploit it whereas they compel us to bring coal from other places where it costs us more as a result of which all the goods which are manufactured there are costly, why the Government do not allow us to exploit coal which has been found in Madhya Pradesh and use the same in the industries there ?

Shri P. C. Sethi : So far as transportation of coal is concerned it is for the Railways to decide from where the coal should be brought. Since the coal which has been found in Madhya Pradesh, is of lower grade we had to reduce the demad of that coal to be excavated from there.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Mr. Speaker, Sir, my question has not been answered that the coal which is brought from outside, costs us more and as a result of which the manufactured goods are costly, why the Goverament do not allow to excavate the coal which has been found in Madhya Pradesh so that cheap coal could be made available to the industries there ?

Shri P. C. Sethi : If coal is available there, we try to supply it from there but from where coal is to be given, it is decided in consultation with the Railway Department.

विद्युत-चालित करघा जांच समिति

+

*483. श्री दे० जी० नायक :
श्री दे० द० पुरी :
श्री सोलंकी :
श्री नरसिम्हा रेड्डी :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री किशन पटनायक :
श्री मधु लिमये :
श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना :
श्री मि० सू० मूर्ति :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री जसवन्त मेहता :

क्या **वाणिज्य** मन्त्री 11 दिसम्बर, 1964 के तारांकित प्रश्न संख्या 481 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच सरकार ने विद्युत्-चालित करघा जांच समिति की सिफारिशों पर विचार कर लिया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि आल इण्डिया काटन पावरलूम एसोसिएशन की फ़ीड्रेशन ने सरकार से अभ्यावेदन किया है कि विद्युत्-चालित करघा जांच समिति की सिफारिशें पूरी तरह से मान ली जायें ; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी): (क) शक्ति-चालित करघा जांच समिति की सिफारिशें अब भी सरकार के विचाराधीन हैं ।

(ख) जी, हां ।

(ग) शक्ति-चालित करघा जांच समिति की सिफारिशों पर कोई निर्णय करने से पहले आल इण्डिया काटन पावरलूम एसोसिएशन की फ़ीड्रेशन के विचारों पर भी गौर किया जाएगा ।

श्री० दे० जी० नायक : क्या विद्युत्-चालित करघों के लिये अबाध लाइसेंस जारी करने से हथकरघों के उत्पादन पर प्रभाव पड़ेगा और क्या इससे हथकरघा बुनकरों पर भी प्रभाव पड़ेगा ?

श्री सें० वें० रामस्वामी : अबाध लाइसेंस देने से जैसा कि अशोक मेहता समिति ने सिफारिश की है, हथकरघों पर निस्सन्देह प्रभाव पड़ेगा । चूंकि वर्तमान लाइसेंस देने की पद्धति के अन्तर्गत भी बिना लाइसेंस प्राप्त कई विद्युत् चालित करघों से हथकरघा उद्योग पर प्रभाव पड़ रहा है, अतः यह स्पष्ट है कि अबाध लाइसेंस देने से हथकरघा उद्योग पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा ।

श्री दे० जी० नायक : हथकरघा के कपड़े के उत्पादन में वृद्धि करने के लिये सरकार कौनसे कदम उठाना चाहती है ?

श्री सें० बें० रामस्वामी : हथकरघा उद्योग को हर सहायता दी जा रही है ; सहकारी समितियों के सम्बन्ध में भी योजनायें हैं। हथकरघों में प्रौद्योगिकीय सुधार हैं। हथकरघा बोर्ड तथा राज्य सरकार इन सभी बातों का अध्ययन कर रहे हैं।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : क्या सरकार ने विद्युत्-चालित करघा जांच समिति की सिफारिशों को मान लिया है और यदि हां, तो कौनसी विशिष्ट सिफारिशों को मान लिया गया है और क्रियान्वित कर दिया गया है ?

श्री सें० वें० रामस्वामी : मन्त्रालय ने अशोक मेहता समिति की सिफारिशों को मोटे तौर से मान लिया है परन्तु उनकी इस मुख्य सिफारिश को नहीं माना गया कि विद्युत्-चालित हथकरघों के लिये अबाध लाइसेंस दिये जाने चाहियें। मन्त्री जी ने मन्त्रिमण्डल से यह निवेदन किया है कि अबाध लाइसेंस देने से हथकरघा उद्योग तथा विद्युत्-चालित करघा उद्योग में अनावश्यक तथा अस्वस्थ होड़ लग जायेगी। वास्तव में योजना आयोग भी आरम्भ में इसके पक्ष में नहीं था अथवा हमारे से सहमत नहीं था। बाद में वे हमारी राय से सहमत हो गये कि किसी किस्म का कोई विनिमयम अवश्य होना चाहिये, यद्यपि लाइसेंसों पर नियन्त्रण जिसके बारे में हम सोच रहे हैं, काफी नहीं हैं परन्तु कुछ राज-कोषीय उपाय भी किये जाने चाहियें।

श्री स० मो० बनर्जी : क्या यह सच है कि बम्बई के विद्युत्-चालित करघों के लोगों की एक संस्था ने उन पर लगाये गये निर्बन्धनों को हटाने की मांग की है और वे चाहते हैं कि अशोक मेहता समिति की रिपोर्ट को क्रियान्वित किया जाय और यदि हां, तो सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री सें० वें० रामस्वामी : प्रतिक्रिया तो निश्चित है। वह एक पक्षीय राय है। इसके विपरीत इण्डियन काटन मिल ओनर्ज़ एसोसिएशन ने अभ्यावेदन किया है कि इस सिफारिश को न माना जाये, उन्होंने कुछ कारण भी बताये हैं कि सरकार को विद्युत्-चालित करघा समिति की रिपोर्ट को क्यों नहीं मानना चाहिये। इसके अतिरिक्त आल इण्डिया हैंडलूम बोर्ड और कई हथकरघा संस्थाओं ने भी एक भिन्न ढंग से अभ्यावेदन किया है और सरकार से इस रिपोर्ट को न माननेके लिये अनुरोध किया है। इन परस्पर विरोधी दृष्टिकोणों को ध्यान में रखते हुए सरकार एक सन्तुलित दृष्टिकोण बनायेगी और तब कोई निर्णय लेगी।

श्रीमती सावित्री निगम : क्या विद्युत्-चालित करघा तथा हथकरघा बुनकरों की कई संस्थाओं ने सरकार को अभ्यावेदन किया है कि सारा लाभ थोड़े से कुछ धनी लोगों को होने की बजाये लाभ साधारण बुनकरों को होना चाहिये और कि अबाध लाइसेंस दिये जाने चाहियें ?

श्री सें० वें० रामस्वामी : जैसा कि मैंने पहले निवेदन किया है कि इस बारे में दो दृष्टिकोण हैं : अशोक मेहता समिति ने अबाध लाइसेंस देने की सिफारिश इस आधार पर की है कि वर्तमान लाइसेंस देने की प्रणाली असफल रही है, परन्तु हमारा दृष्टिकोण यह है कि अबाध लाइसेंस देने के लिये यह कारण काफी नहीं है; हम लाइसेंस देने की प्रणाली को अधिक कड़ा बन सकते हैं और अन्य राजकोष संबन्धी उपाय भी जुटा सकते हैं।

श्री तिरुमल राव : क्या सरकार ने समस्त भारत के हथकरघा बुनकरों द्वारा किये गये अभ्या-वेदन की ओर उचित ध्यान दिया है कि विद्युत्-चालित हथकरघों के अविचारपूर्ण संरक्षण से बहुत बेरोजगारी फैल जायेगी और क्या सरकार देश की आर्थिक स्थित का भी ध्यान रखेगी ?

श्री सें० वें० रामस्वामी : हम इन अभ्यावेदनों की ओर पूरा ध्यान दे रहे हैं क्योंकि जो भी योजना हम आरंभ करें उसके फलस्वरूप बड़े पैमाने पर बेरोज़गारी नहीं फैलनी चाहिये । हथकरघा उद्योग में काफी लोगों को रोज़गार मिला हुआ है, इसलिये हमें यह देखना पड़ेगा कि उसका संरक्षण कैसे किया जाये ।

श्री ओझा : देश में चलने वाले कुल विद्युत्-चालित करघों की तुलना में उनमें से कितने बिना लाइसेंस के चल रहे हैं ?

श्री सें० वें० रामस्वामी : यह बताना कठिन है कि कितने विद्युत्-चालित करघे बिना लाइसेंस के चल रहे हैं । लाइसेंस प्राप्त 1,49,000 विद्युत्-चालित करघे हैं । ऐसा अनुमान है कि बिना लाइसेंस विद्युत्-चालित करघे 70,000 अथवा इससे भी अधिक हो सकते हैं ।

श्रीमती रामदुलारी सिन्हा : क्या बिहार के हथकरघा उद्योग से प्रत्येक राज्य के वर्तमान पंजीकृत हथकरघों के आधार पर विद्युत्-चालित करघों के आवंटन के विरुद्ध कोई विरोध पत्र प्राप्त हुआ है; और बिहार तथा मद्रास में पंजीकृत हथकरघों की संख्या कितनी है ?

श्री सें० वें० रामस्वामी : बिहार में हथकरघों के आंकड़े अभी मेरे पास हैं ।

श्री श्यामलाल सर्राफ : क्या सरकार इस सभा में प्रस्तुत किये गये आयव्ययक के अनुसार विद्युत्-चालित करघा द्वारा तैयार की गयी असली सिल्क से उत्पादन शुल्क को खत्म करने के किन्हीं प्रस्तावों के साथ असली सिल्क बुनने के लिये उन नये विद्युत्-चालित करघों के लिये लाइसेंस देने के लिये तैयार है जिनके लिये निर्यात बढ़ाने के लिये विशेषतया उनके अपने मन्त्रालय में मांग है ?

श्री सें० वें० रामस्वामी : सिल्क के लिये विद्युत्-चालित करघों के बारे में चिक्मलापुर जैसे स्थानों से जहां वे कहते हैं कि नकली सिल्क से कोई लाभ नहीं होता है,और कि उनको असली सिल्क बनाने की अनुज्ञा दी जानी चाहिये, अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं । 2,000 करघों के लिये कुछ लाइसेंस दिये गये हैं ।

Shri Gulshan : Have the Government given any consideration to the fact that unemployment among the handloom weavers in villages is going on increasing day by day as the Government have not given any assistance to them; if so, whether the Government would think of giving them some assistance?

श्री सें० वें० रामस्वामी : कई योजनायें हैं जिनके अनुसार हथकरघा बुनकरों को सहायता दी जा रही है । राज्य सरकारें सहायता करती हैं और सहकारी योजना के अन्तर्गत वित्त तथा अन्य सुविधायें जैसे मशीनें करघे आदि भी दिये जाते हैं ।

Shri Kishan Patnaik : So far there has been no excise duty in respect of small powerloom industry but it has now been imposed as per the new budget, has the Government's policy undergone a change in regard to small powerloom industry?

श्री सें० वें० रामस्वामी : पहले चार विद्युत्-चालित करघों को छूट थी परन्तु अब नये वित्त विधेयक के अन्तर्गत प्रत्येक विद्युत्-चालित करघे के पीछे 25 रुपये प्रति वर्ष देने पड़ेंगे जो कि वास्तव

में बहुत कम हैं। यह लगभग 2 रुपये प्रति मास बनता है, जब कि प्रत्येक विद्युत्-चालित करघे से 500 रुपये प्रति मास लाभ होगा ।

श्री रामनाथन चेट्टियार : माननीय मंत्री ने एक अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में बताया कि विद्युत चालित करघा उद्योग को अबाध लाइसेंस देने से हथकरघा उद्योग पर प्रभाव पड़ेगा, यदि हां, तो क्या इससे घरेलू खपत की किस्मों की तुलना में निर्यात होने वाली किस्मों पर अधिक प्रभाव पड़ेगा और सरकार सहायता देने के लिये कौन से कदम उठाने जा रही है जिससे निर्यात को बढ़ाया जा सके ?

श्री सें० वें० रामस्वामी : इस प्रश्न का कि क्या निर्यात होने वाली किस्मों पर प्रभाव पड़ेगा, अभी विश्लेषण नहीं किया गया है । परन्तु सामान्यतया विद्युत-चालित करघों के लिये अबाध लाइसेंस देने से हथकरघा उद्योग पर निस्संदेह प्रभाव पड़ेगा ।

श्री कन्डप्पन : हथकरघा उद्योग विद्युत चालित करघा उद्योग का मुकाबला नहीं कर सकता और इसलिये हथकरघा बुनकर विद्युत-चालित करघा उद्योग में जाने के इच्छुक हैं । हथकरघा बुनकर को कठिनाई हो रही है । उनके पास वित्त की कमी है । अतः मेरा प्रश्न यह है कि क्या सरकार उन बुनकरों को सहायता देने की एक योजना बनायेगी जिससे वे केन्द्र तथा राज्यों की आवश्यक वित्तीय सहायता से विद्युत-चालित उद्योग चालू कर सकें ?

श्री स० व रामस्वामी : मालूम होता है कि प्रश्न यह है कि क्या हथकरघा बुनकरों को विद्युत चालित करघे लगाने के लिये कोई सहायता दी जायेगी । मुख्य बात यह है कि क्या यह गैर-सरकारी अथवा सहकारी क्षेत्र में होना चाहिये । यह मंत्रालय सामान्यतया सहकारी क्षेत्र के पक्ष में है जिस के लिये राज्य सरकारें वित्त की व्यवस्था कर सकती हैं ।

श्री कन्डप्पन : क्या सहकार बुनकरों की सहायता नहीं कर सकती है जिससे वे इकट्ठे मिलकर कार्य कर सकें ।

श्री सें० वें० रामस्वामी : सहकारी समितियां जो हैं । राज्य सरकारें इनका ध्यान रखेंगी ।

श्री रंगा : क्या यह सच है कि प्रत्येक विद्युत-चालित करघे के पीछे 20 रुपये प्रति मास कर अथवा शुल्क देनी पड़ती है ?

श्री सें० वें० रामस्वामी : यह 25 रुपये प्रति वर्ष प्रति करघा है ।

श्री रंगा : यह कर किस लिये लगाया जा रहा है ? क्या इससे हथकरघा उद्योग को अथवा विद्युत्-चालित करघा उद्योग को अथवा सरकार को लाभ होगा ?

श्री सें० वें० रामस्वामी : इसका कारण यह है कि ४ और इससे कम विद्युत्-चालित करघों के बारे में छूट के कारण उत्पादन-शुल्क बड़े पैमाने पर अपवंचन किया जा रहा था क्योंकि उदाहरणार्थ 50 विद्युत्-चालित करघों के एक बड़े शेड में कर से बचने के लिये हर चार करघों के लिये भिन्न भिन्न नाम दिये जाते थे । इस त्रुटि को दूर करने के लिये वित्त मंत्री ने प्रत्येक करघे के पीछे, चाहे उनकी संख्या कितनी ही क्यों न हो, 25 रुपये प्रति वर्ष उत्पादन शुल्क लगाना उचित समझा ।

खेलों के सामान का निर्यात

\+

*484. **श्री ब्रजेश्वर प्रसाद :**
श्री विश्वनाथ राय :
श्री समनानी :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना में खेलों के सामान का आयात कम हो गया है ;

(ख) क्या दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि की तुलना में खेलों के सामान के निर्माण के लिए आवश्यक माल के आयात में वृद्धि हुई है ; और

(ग) क्या खेलों के सामान का निर्यात बढ़ाने के लिये देशी कच्चे माल का उचित उपयोग नहीं किया जा रहा है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी):(क) जी, नहीं। तीसरी पंचवर्षीय योजना के पहले चार वर्षों में खेल के सामान के निर्यात का योग 2.16 करोड़ रु० रहा, जब कि दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में इस निर्यात का योग 1.71 करोड़ रु० रहा था।

(ख) और (ग). अधिक नहीं, श्रीमान्। निर्यात के अलावा देश में भी उत्पादन, मांग और खपत बराबर बढ़ रही है। इसलिये केवल थोड़ी सी ऐसी किस्मों के आयात की अनुमति दी जाती है जो भारत में नहीं बनती अथवा उपलब्ध नहीं हैं। खेल के सामान का उद्योग अधिकतर ी सामग्री पर आधारित है ।

श्री ब्रजेश्वर प्रसाद : जम्मू तथा काश्मीर में पैदा किये गये स्वदेशी कच्चे माल के उपयोग के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

श्री सें० वें० रामस्वामी : खेल के सामान के लिये कुछ प्रकार की इमारती लकड़ी की जरूरत होती है जैसे कि शहतूत, प्रभूर्ज, बीच, बैत आदि। ये सभी पश्चिम पाकिस्तान में हैं। परन्तु हम जम्मू तथा काश्मीर में शहतूत उगाने का प्रयत्न कर रहे हैं। जम्मू तथा काश्मीर सरकार खेल के सामान के लिये शहतूत की काफी लकड़ी देने के लिये राजी हो गई है।

श्री अब्दुल गनी गोनी : क्या कच्चे माल का उत्पादन वर्ष प्रति वर्ष बढ़ रहा है, परन्तु दूसरी ओर वस्तुएं बनाने में कच्चे माल की खपत बढ़ने की बजाय कम होती जा रही है और क्या सरकार का जम्मू तथा काश्मीर में कुछ और कारखाने खोलने का विचार है ?

श्री सें० वें० रामस्वामी : सर्वप्रथम हमारे पास कच्चा माल होना चाहिये। जहां तक शहतूत की लकड़ी का सम्बन्ध है जम्मू तथा काश्मीर सरकार राजी हो गई है। अन्य प्रकार की लकड़ी जैसे कि बैत, बीच और प्रभूर्ज के सम्बन्ध में हमने वनों के महानिरीक्षक से कहा है कि खेल के सामान के उद्योग को सप्लाई के लिये इन वृक्षों का विकास किया जाये।

श्री द्वा० ना० तिवारी : तृतीय योजना के दूसरे और तीसरे वर्ष में कितने मूल्य का खेल का सामान निर्यात किया गया ?

श्री सें० वें० रामस्वामी : मुझे खेद है कि मैं इस समय नहीं बता सकता।

श्री श्याम लाल सर्राफ : क्या सरकार इससे अवगत है कि बल्लों के निर्माण के लिये अच्छी किस्म की बैत सर्वोत्तम लकड़ी है, क्या यह देश के भीतर उपलब्ध है अथवा बाहर से मंगानी पड़ती है ? क्या उसको देश में पैदा करना अब तक संभव हो सका है और यदि नहीं, तो बल्लों के निर्माण के लिये इस बैत को प्राप्त करने के लिये क्या प्रयत्न किये जायेंगे ?

श्री सें० वें० रामस्वामी : इसका आयात किया जा सकता है। अभी तक बैत का हमारे देश में पूरी तरह विकास नहीं किया गया है। इसीलिये जैसे कि मैंने बताया हमने महानिरीक्षक वन से इसकी जांच करने के लिये कहा है।

श्री जयपाल सिंह : हमारे देश में कौन सा कच्चा माल उपलब्ध नहीं है जिसको कि आयात करना पड़ेगा ?

अध्यक्ष महोदय : वह पहले ही बता चुके हैं ।

श्री सें० वें० रामस्वामी : लकड़ी के अतिरिक्त रासायनिक आसंजक बरोज़ा आदि आयात करने पड़ते हैं ।

Shri Yashpal Singh : Have we achieved any amount of self sufficiency regarding raw materials as compared to the last plan or we still depend upon other countries ?

श्री सें० वें० रामस्वामी : कुछ माल हम आयात कर रहे हैं और इसके साथ ही हम अपना स्वदेशी माल भी बना रहे हैं ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : कौन कौन से देश भारत से खेल का सामान आयात कर रहे हैं और क्या सरकार अन्य मंडियों को खोजने की भी किसी योजना पर विचार कर रही है ?

श्री सें० वें० रामस्वामी : मेरे पास लगभग 17 देशों की सूची है । ब्रिटेन ने 1963 में 11 लाख रु० के मूल्य का सामान आयात किया । मलाया-सिंगापुर ने 9 लाख रु० के मूल्य का सामान आयात किया । पूर्वी जर्मनी ने 6 लाख रु० के मूल्य का सामान आयात किया ।

अध्यक्ष महोदय : केवल देशों के नाम ही दिये जायें ।

श्री सें० वें० रामस्वामी : ये ही तीन बड़े देश हैं ।

Cotton Spinning Mills

\+

*486. **Shri Rameshwar Tantia :**
Shri Onkar Lal Berwa :
Shri Chandak :
Shri P. C. Borooah :
Shrimati Maimoona Sultan :
Shri Hukam Chand Kachhavaiya :

Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government have under consideration any proposal to set up 55 new cotton spinning mills in the public and cooperative sectors;

(b) if so, the number of such mills to be opened in each sector;

(c) the nature of assistance to be given by Government to the private sector; and

(d) when and in which States these mills are expected to be set up ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri S. V. Ramaswamy) : (a) Yes, Sir.

(b) The proposal envisages that 20 to 25 mills should be set up in the public sector and the rest in the cooperative sector.

(c) Any assistance that the co-operative sector may require will be given to the extent possible.

(d) These mills are intended to be set up during the Fourth and Fifth Plan periods in areas which will be decided in consultation with the Planning Commission, preference being given to backward areas.

श्री रामेश्वर टांटिया : कितने लाइसेंसों का उपयोग नहीं किया जा रहा है और क्या सरकार ने इसके कारणों की जांच की है और सरकार ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने जा रही है जिनके पास वे लाइसेंस काफी समय से हैं और वे कुछ भी नहीं कर रहे हैं ?

श्री सें० वें० रामस्वामी : यह एक सामान्य प्रश्न है । हम ने 600 से कुछ अधिक एककों के लिये लाइसेंस जारी कर रखे हैं । कुल लगभग 60 लाख तकुवे होते हैं । इन में से लगभग 3,00,000 तकुवे लग गये हैं और 39,000 लगाये जा रहे हैं । इस में अनेक कठिनाइयां हैं जैसे कि मशीनों की कमी, मशीनों के आयात पर प्रतिबन्ध, वित्तीय कठिनाइयां आदि ।

श्री रामेश्वर टांटिया : एक सूत की मिल में कितने प्रतिशत भारतीय मशीनें होती हैं और कितने प्रतिशत आयातित मशीनें ?

श्री सें० वें० रामस्वामी : आयातित मशीनें लगभग 25 प्रतिशत होंगी और स्वदेशी 75 प्रतिशत ।

श्री रामेश्वर टांटिया : मंत्री महोदय ने बताया कि वे कई मिलें स्थापित कर रहे हैं । यदि मशीनों के आयात के लिए धन की कमी है तो इन मिलों के बारे में क्या कार्यक्रम बनाया गया है ?

अध्यक्ष महोदय : यह तो बिल्कुल भिन्न प्रश्न है ।

श्रीमती सैयदा सुल्तान : क्या यह सच है कि मफतलाल मिल्स ने मध्य प्रदेश में देवास में "स्टैन्डर्ड मिल" के नाम से एक कपड़ा मिल चालू की जिसके लिये मध्य प्रदेश सरकार ने भूमि दी थी और विदेशी मुद्रा का प्रबन्ध केन्द्रीय सरकार ने किया था, और बाद में इस मिल को किसी अन्य स्थान पर ले जाया गया ; यदि हां, तो किन परिस्थितियों में उस मिल को दूसरे स्थान पर ले जाने की अनुमति दी गई और उ स्थान का क्या नाम है ?

श्री सें० वें० रामस्वामी : श्रीमन्, एक विशेष मिल के सम्बन्ध में यह एक विशिष्ट प्रश्न है और इसका उत्तर देने के लिये मुझे पूर्व सूचना चाहिये ।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : The hon. Minister said that about 15—20 mills will be established. What is the employment potential of these mills and what quality of cloth will be manufactured there and whether Indian machinery or imported machinery will be put?

श्री सें० वें० रामस्वामी : प्रत्येक मिल में 25,000 तकुवे होंगे । प्रत्येक मिल में लगभग 1000 व्यक्तियों को रोजगार देने की आशा है । इन मिलों में कपड़ा बुनने का विचार नहीं है ।

डा० सरोजिनी महिषी : पिछले वर्ष कितने मिलों ने विस्तार के लिये प्रार्थना पत्र भेजे थे और कितनी मिलों को लाइसेंस दिये गये और क्या उनका सही उपयोग किया गया था ?

श्री सें० वें० रामस्वामी : जिन मिलों ने विस्तार के लिये प्रार्थनापत्र दिये हैं उनकी संख्या तो मैं नहीं बता सकता हूं । कुछ ने तो विस्तार कार्य के लिये कदम उठाये हैं जबकि बहुत सों ने ऐसा नहीं किया है ।

श्रीमती ज्योत्सना चन्दा : क्या सरकार आसाम में भी एक सूत की मिल खोलेगी ?

श्री सें० वें० रामस्वामी : यह प्रश्न अभी विचाराधीन है । योजना आयोग के परामर्श से ऐसा किया जायेगा ।

श्री फ० गो० सेन : क्या सरकार की यह नीति है कि मिलों को धीरे धीरे सरकारी क्षेत्र से सहकारी क्षेत्र में ले जाया जाये ?

श्री सें० वें० रामस्वामी : सरकारी क्षेत्र में मिलें केवल केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों द्वारा ही स्थापित की जा सकती हैं । केन्द्रीय क्षेत्र में केन्द्रीय सरकार द्वारा 5 ऐसी मिलें स्थापित करने का विचार है जिनका मूल उद्देश्य निर्यात करना होगा । शेष राज्य क्षेत्र तथा सहकारी क्षेत्र में होंगी । एक क्षेत्र से दूसरे क्षत्र में मिलों को ले जाने का कोई विचार नहीं है ।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : पिछड़े क्षेत्रों को सहायता देने की सरकार की नीति को ध्यान में रखते हुए, क्या सरकार ने उत्तर बिहार के मामले पर विचार किया है ?

श्री सें० वें० रामस्वामी : अभी स्थिति के बारे में कुछ भी कहना कठिन है ।

Shrimati Jamuna Devi : May I know whether all the mills contemplated to be established in the 3rd Plan have since been established in the specified areas, if not, the number of mills recommended by Madhya Pradesh Government for Madhya Pradesh, the number of mills so far established and action taken regarding rest of the mills?

श्री सें० वें० रामस्वामी : मध्य प्रदेश के लिये मेरे पास पथक् आंकड़े नहीं हैं । जैसाकि मैंने बताया लगभग 60 लाख तकुवों के लिये लाइसेंस दिये गये हैं जिनमें से 3 लाख तकुवे पहले से लगा दिये गये हैं । अधिक तकुवे लगाये जा रहे हैं ।

श्री शिवाजी राव शं० देशमुख : सहकारी क्षेत्र में तकुवे लगाने के लिये तृतीय योजनावधि में अब तक कुल कितने प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए हैं, कितने तकुवों के लिये लाइसेंस दिये गये हैं और उन म से अब तक कितने तकुवें लगाने बाकी हैं और इस योजना में क्या आर्थिक आकार रखा गया है ?

श्री सें० वें० रामस्वामी : जहां तक सहकारी मिलों का सम्बन्ध है 14 मिलें पहले से ही काम कर रही हैं और उन में कुल 1.75 लाख तकुवे लगे हुए हैं । 21 का निर्माण चालू है । 26 और मिलों को लाइसेंस दिये गये हैं । सहकारी क्षेत्र में कुल 10,25,000 तकुवे होंगे ।

श्री पी० रा० रामकृष्णन : सरकारी क्षेत्र में जो मिलें खोली जा रही हैं क्या वे निर्यात को बढ़ावा देने वाली होंगी ? मैं यह प्रश्न इसलिये पूछ रहा हूं कि निर्यात को बढ़ावा देने के लिये जो मिलें स्थापित की जा रही हैं उनमें नवीनतम मशीनें लगाई जायगी । क्या नई मिलें देश की आवश्यकता को पूरा करेंगी अथवा वे निर्यात के लिये होंगी ?

श्री सें० वें० रामस्वामी : जैसाकि मैं पहले बता चका हूं 5 मिलें केन्द्रीय सरकार द्वारा चलाई जायेंगी जोकि निर्यात को बढ़ावा देने वाली होंगी । 20 मिलें राज्य सरकारों द्वारा चलाई जायेंगी । लगभग 25 सहकारी क्षेत्र में होंगी । जहां तक मिलों का सम्बन्ध है जहां तक संभव होगा नवीनतम मशीनें खरीदी जायेंगी ।

श्री नरेन्द्र सिंह महीडा : मेरे राज्य में कांग्रेस के भूतपूर्व अध्यक्ष सूत कताई मिल के अध्यक्ष हैं । क्या सरकार को यह नीति है कि ऐसे भूतपूर्व कांग्रेसियों को सूती कपड़ा मिलों का अध्यक्ष नियक्त किया जाए ?

अध्यक्ष महोदय : श्री रंगा ।

श्री रंगा : यह देखते हुए कि हथकरघा बुनकर इस सूत के सब से बड़े उपभोक्ता होंगे और वे अपनी पृथक सहकारी सूत की मिलों की मांग करते रहे हैं इन सहकारी सूत की मिलों में से कितनी मिलें स्वयं हथकरघा बुनकरों द्वारा चलाई जा रही हैं ?

श्री सें० वें० रामस्वामी : ये सहकारी सूत की मिलें राज्य सरकारों द्वारा चलाई जायेंगी । हथकरघा बुनकरों द्वारा भाग लिये जाने का भी उपबन्ध है क्योंकि दिसम्बर, 1963 में हुई सहकारी सूत की मिलों की गोष्ठी के अनुसार यह तय पाया था कि इन सूत की मिलों की सदस्यता हथकरघा तथा शक्तिकरघा बुनकरों की समितियों अथवा सहकारी मिलों, व्यक्तिगत हथकरघा तथा शक्तिकरघा एककों, होज़री एककों, बेलन तथा माल तैयार करने की सहकारी सूत की मिलों आदि तक ही सीमित होगी ।

Shri Sheo Narain : Have the Government received some proposal for permission to set up another mill from Mafat Lal or the Madhya Pradesh Government ?

श्री सें० वें० रामस्वामी : किसी विशेष मिल के बारे में उत्तर देने के लिए मुझे पूर्व सूचना चाहिए ।

श्रीमती सावित्री निगम : यह देखते हुए कि विदेशी मुद्रा की कमी है और इन मिलों को खोलने के लिये बड़ी मांग की जा रही है, देश में कपड़ा मिलों के उत्पादन की भी पूर्वयोजना बनाने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्री सें० वें० रामस्वामी : देश में कुछ मशीन निर्माता हैं । वे अनेक ऐसी मशीनें बना रहे हैं जो सूत की मिलों में लगाई जाती हैं । वे हमारी सहायता कर रहे हैं । भविष्य की आवश्यकताओं का हमें लगभग 25 प्रतिशत आयात करना पड़ेगा । इसके अनुसार हमने व्यवस्था की है ।

श्री द्वा० ना० तिवारी : क्या बिहार में कुछ कताई मिलें स्थापित की जायेंगी और कुछ लाइसेंस दिए जाएंगे . . . . . .

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय पृथक् पृथक् राज्य के बारे में उत्तर नहीं दे सकते। अगला प्रश्न ।

राष्ट्रीय कोयला विकास निगम की कोयला खानें

+

*488. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**
श्री दाजी :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय कोयला विकास निगम की कोयला खानों का वार्षिक उत्पादन 1963 में 100 लाख टन से घट कर 1964 में 80 लाख टन हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस कमी के क्या कारण हैं ;

(ग) राष्ट्रीय कोयला विकास निगम की कितनी खानें बन्द हो गई हैं या निकट भविष्य में बन्द होने की संभावना है ;

(घ) क्या यह सच है कि यंत्रीकृत खानों में अधिकतर मशीनें बेकार पड़ी हैं ; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख). राष्ट्रीय कोयला विकास निगम की कोयला खानों से उत्पादन 1963 में 9·35 मिलियन मीटरी टन था, जो 1964 में 8.16 मिलियन मीटरी टन हुआ। उत्पादन म कमी का मख्य कारण यह रहा है कि कोयले की मांग में जैसीकि आशा थी, वृद्धि नहीं हुई है ।

(ग) कोयले के उत्पादन और उसके उपभोग में सतत् असंतुलन को रोकने के लिये, राष्ट्रीय कोयला विकास निगम ने अपनी तीन नई खानों में उत्पादन स्थगित कर दिया है और अन्य तीन खानों के विकास की गति को धीमा कर दिया है । इसके अतिरिक्त, गिरिदीह कोयला-खान समूह में तीन पुराने गढ़े भविष्य में बन्द करा देने का विचार है परन्तु ऐसा कोयला परतें समाप्त हो जाने के कारण होगा ।

(घ) और (ङ). कोयले की मांग का आशानुसार न बढ़ने के कारण कोयले का उत्पादन और विकास सीमित करना पड़ा और कुछ मशीनों का प्रयोग उसी हद तक कम करना पड़ा । जब कोयले की मांग बढ़ जायेगी तो इन मशीनों का प्रयोग भी अधिक होने लगेगा।

अतिरिक्त भागों के न मिलने के कारण भी कुछ मशीनें काम में नहीं लाई जा रही हैं। जरूरी अतिरिक्त भागों को प्राप्त करने के लिये कार्रवाई की गई है ।

श्री इन्द्रजीत गु कोयले के उपभोग में इस अप्रत्याशित गिरावट के परिणाम-स्वरूप राष्ट्रीय कोयला विकास निगम की इन नई खानों म, जोकि हाल ही में खोली गई हैं और जिन्हें अब चलाया नहीं जा सकता है, कितनी पूंजी रुक गई है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : इन खानों की अलग अलग संख्या इस समय बताना कठिन है । हम उन मशीनों और मज़दूरों को लगाने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं जो कुछ अन्य खानों में हैं क्योंकि हम धातुकर्म कोयले के उत्पादन के लिये प्रयत्न कर रहे हैं । यद्यपि हम श्रेणी दो और श्रेणी तीन के कोयले का उत्पादन घटा रहे हैं, हम धातुकर्म कोयले का उत्पादन बढ़ाने का प्रयत्न कर रहे हैं । इसलिये हम उनको काम में ला सकेंगे । मैं इस समय प्रत्येक खान की लागत के अलग अलग आंकड़े नहीं दे सकूंगा ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या मंत्री महोदय इस से अवगत हैं कि उत्पादन को घटाने और कुछ खानों को बन्द करने के कारण इन खानों के मज़दूरों की बड़ी संख्या को छंटनी का भय हो गया है और राष्ट्रीय कोयला विकास निगम की अन्य खानों में उन को लिये जाने के लिये यदि कोई कदम उठाये जा रहे हैं तो वे क्या हैं ?

श्री संजीव रेड्डी : जी, हां । हम ने उन्हें पेशकश की है । जो स्वेच्छा से सेवा-निवृत्त होना चाहते है उन्हें मुआवज़ा दिया जाता है और जो रोज़गार चाहते हैं उन्हें दूसरी खानों में भेजा जा रहा है । हम किसी भी व्यक्ति को गलियों में नहीं फैंकना चाहते ।

Shri A. P. Sharma : By what time those machines will start working hich are at present lying idle for the non availability of spare parts ?

Shri P. C. Sethi : Orders for spare parts have already been placed. The percentage closed due to non availability of spare parts and other reasons has shown considerable improvement during the last few days.

Shri A. P. Sharma : By what time the spare parts will be received ?

Shri P. C. Sethi : Order has been placed. It is difficult to give the time.

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : क्या यह सच नहीं है कि राष्ट्रीय कोयला विकास निगम की उत्पादन क्षमता, अब जो उत्पादन किया जा रहा है उससे अधिक है, और यदि हां, तो उत्पादन में गिरावट के क्या कारण हैं ?

श्री प्र० चं० सेठी : उत्पादन क्षमता निश्चय ही ऊंची है परन्तु मांग में कमी के कारण हम ने कुछ खानों को बन्द कर दिया है और कुछ खानों में उत्पादन भी कम कर दिया है ।

श्रीमती सावित्री निगम : कोयले की कम खपत के कारणों का पता लग लिये क्या कोई व्यवस्थित जांच की गई है और क्या मूल्य भी सबसे लिये जिम्मेवार कारणों में से एक है ?

श्री प्र० चं० सेठी : जी नहीं । इसके विभिन्न कारण हैं जैसे कि सीमेंट के कारखानों में डीजल का प्रयोग और तेल का प्रयोग ; जब कमी थी तो मांग भी बहुत बड़ी थी । अनेक कारण हैं जो कि इसके लिये जिम्मेवार हैं ।

श्री रामेश्वर टांटिया : क्या राष्ट्रीय कोयला विकास निगम की कोयला खानों में से गिरिध कोयला खान को गत कई वर्षों से भारी घाटा पड़ रहा है, और यदि हां, तो क्या सरकार इसको बन्द करना चाहती है अथवा चलाना चाहती है ?

श्री प्र० चं० सेठी : यह सच है कि गिरिध कोयला खानों के कुछ पिट खाली हो गये हैं, और हमें भारी घाटा पड़ रहा है । उन खानों को बन्द करने का हमारा कार्यक्रम है ।

डा० सरोजिनी महिषी : मांग में गिरावट के कारण कोयले का उत्पादन कम हुआ है ; और क्योंकि कुछ मशीनों बन्द पड़ी हैं इसलिये मांग भी घट गई है । क्या सरकार इस बुराई को दूर करना चाहती है ?

श्री प्र० चं० सेठी : हम इसको दूर करने का प्रयत्न कर रहे हैं, क्योंकि चतुर्थ योजना में मांग फिर बढ़ जायेगी ।

श्री शिवाजीराव शं० देशमुख : इस पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए, विशेषत: यह कि निम्न श्रेणी कोयले के कुछ किस्मों का उपयोग बिजली के तापीय उत्पादन के अतिरिक्त किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जा सकता, क्या सरकार कम से कम इस प्रकार के कोयले की कीमत कम करने के प्रश्न पर विचार करेगी ताकि उसकी मांग बढ़ जाये ?

श्री संजीव रेड्डी : कीमतों का कम होना अधिक उत्पादन पर निर्भर होता है, केवल उत्पादन के अधिक होने पर ही माल सस्ता होता है । किन्तु वर्तमान स्थिति में कीमतों को कम करना कठिन है । प्रत्येक तापीय संयंत्र को कोयले की सप्लाई की जा रही है, और हमारे पास अन्य तापीय संयंत्रों के लिए भी पर्याप्त मात्रा में कोयला उपलब्ध है ।

श्री अ० प्र० जैन : ऐसा प्रतीत होता है कि यह एक आम बीमारी लग गई है कि पुर्जों के अभाव में मशीनें बेकार पड़ी रहती हैं, अभी हाल ही में हमने ट्रैक्टरों के बारे में सुना और आज हम कोयला निकालने वाली मशीनों के बारे में सुन रहे हैं । क्या मैं जान सकता हूं कि माननीय मंत्री महोदय, यह सुनिश्चित करने के लिए कि इन छोटी-छोटी बातों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए, कार्यवाही कर रहे हैं जिससे कि बहुमूल्य मशीनें बेकार न पड़ी रहें ?

श्री संजीव रेड्डी : जब मैं रांची गया तब मुझे इस बारे में जानकारी हुई, मुझे स्वयं इस बात पर दुख हुआ । हम केवल पुर्जे ही प्राप्त करने के लिए नहीं अपितु यह भी सुनिश्चित करने के लिए कार्यवाही कर रहे हैं कि अन्य उपक्रमों को भी फालतू ही मशिनरी दी जाये । हमारे पास जो फालतू मशिनरी है उसके सम्बन्ध में हमने अन्य उपक्रमों को बता दिया है ताकि इस मशिनरी का उपयोग यदि एन० सी० डी० सी० में नहीं हो सकता है तो अन्य स्थानों में हो सके ।

श्री अ० प्र० जैन : उपमंत्री महोदय ने तो कहा था कि पुर्जे कब तक आ जायेंगे इस सम्बन्ध में उन्हें जानकारी नहीं है ।

श्री संजीव रेड्डी : हमने पुर्जों के लिए आदेश दे दिये हैं।

श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा : राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के कई भू-तत्ववेत्ता काम पर लगे हुए हैं। क्या यह सच है कि भू-तत्ववेत्ताओं की छंटनी की जा रही है, और यदि हां, तो क्या उन्हें सरकारी अन्य मंत्रालयों में रखने की सिफारिश की जायेगी ?

श्री संजीव रेड्डी : मुझे जानकारी नहीं है । मैं इस बात को माननीय सदस्य से सुन रहा हूं । मैं नहीं समझता कि हमने भू-तत्ववेत्ताओं की छंटनी की है ।

Shri Rameshwaranand : Nowadays trains run late and the plea is advanced that coal of superior quality is not available. May I know whether coal of inferior quality is supplied to the Railways and whether Government are producing varieties of low grade coal ?

Shri P. C. Sethi : Coal is supplied to the Railway according to their demands. Sometimes variety of low-grade coal also comes from some colliery.

Shri Achal Singh : May I know whether the hon. Minister is aware of the fact that there are big factories and industries in Ferozabad, and the supply of coal has been suspended to them ?

Shri P. C. Sethi : There is no shortage of coal and it is being supplied in full.

Shri Yashpal Singh : May I know whether Government have had any statistics to show the reasons leading to less production of coal in the Public Sector and more production in the Private Sector than their respective targets ? Have these two sectors ever been compared ?

श्री संजीव रेड्डी : गैर-सरकारी क्षेत्र के खदानों में भी कोयला पड़ा हुआ है । जब हमारे पास 50 लाख टन फालतू कोयला है, तो यह केवल एन० सी० डी० सी० खानों में नहीं अपितु गैर-सरकारी क्षेत्र के खानों में भी है ।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : May I know whether it is a fact that some Trade Unions have given notices regarding a strike and they will be going on a strike from 22nd ?

Mr. Speaker : In these coal mines ?

Shri P. C. Sethi : No, Sir, they are not going on a strike.

श्री श्यामलाल सर्राफ : सम्बन्धित मंत्री महोदय ने कुछ समय पूर्व इस सदन में यह घोषणा की थी कि उपभोक्ता क्षेत्रों के निकट स्टॉक के ढेर लगा दिये जायेंगे, मैं अनुभव के आधार पर मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि जहां तक पंजाब, जम्मू तथा काश्मीर और अन्य क्षेत्रों का सम्बन्ध है, ऐसे कोई भी स्टॉक जमा नहीं

किये गये हैं । क्या इस प्रश्न पर विचार किया गया है ? क्या मांग कम होने का कारण यह है कि वहां स्टॉक जमा नहीं है, और यदि हां, तो सरकार इस दिशा में क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री संजीव रेड्डी : मेरा यह विचार था कि रेलवे यातायात सम्बन्धी रुकावटें दूर कर दी गई हैं, केवल दक्षिण-पूर्वी सेक्शन में यातायात सम्बन्धी अवरोध बना हुआ है । मैंने पंजाब और काश्मीर में परिवहन की कठिनाई के बारे में कुछ भी नहीं सुना । वहां कोई कठिनाई नहीं होगी ।

श्री श्यामलाल सर्राफ : मैं स्टॉक जमा करने के विषय में पूछ रहा था ।

श्री संजीव रेड्डी : जहां तक स्थानों में स्टॉक जमा करने का प्रश्न है, परिवहन की कठिनाई होने पर ही केवल ऐसा किया जाता है । खदानों के निकट माल के ढेर लगे हुये हैं । परिवहन की कोई दिक्कत नहीं है । मैं नहीं समझता कि प्रत्येक राज्य में स्टॉक जमा करना आवश्यक है ।

Jamalpur Railway Workshop

*490. **Shri A. P. Sharma :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether any arrangements are being made to switch over to the new type of repair work in the Railway Workshop at Jamalpur and in similar locomotive workshops on other Railways where only the steam locomotives are being repaired at present; and

(b) whether any additions and alterations are being made in these Workhops to meet the pressure of repair work which would increase as a sequal to the substitution of diesel and electric traction for steam ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ramsubhag and (b). Arrangements have been and are being made as req- o develop necessary facilities, by way of additions and alterations, to undertake workshop repairs and overhaul of Diesel and Electric Locomotives in some of the existing steam-loco repair workshops.

A start has already been made in this direction in Kharagpur Workshops of the South-Eastern Railway and Kanchrapara Workshops of the Eastern Railway. Such facilities will progressively be developed in other workshops as well, as and when the need arises.

Shri A. P. Sharma : My question was specifically in regard ro the Jamalpur Workshop that what arrangements have been made or going to be made in it ? If the work relating to repair of electric locomotives is not to be started there; whether there would be retrenchment of workers or they would be transferred to any other place ?

Dr. Ram Subhag Singh : There would be no retrenchment of workers. With the increased use of electric and diesel locomotives on Eastern and

South Eastern Railways, three workshops are being developed; Khargpur Workshops for diesel locomotives, Kanchrapara for electric locomotives for the present and in Jamalpur workshop arrangements are being made for manufacture of stream locomotives which were previously being manufactured in Kanchrapara and repairs would also be carried out there. Like this our present requirements would be met by these three workshops. As I said in reply to part (b) of the main question, if need be, arrangements would also be made at other places and the interests of the Jamalpur workshop would be kept in mind.

Shri A. P. Sharma : Are the Government aware that one thousand skilled workers were rendered surplus in Jamalpur as a result of implementation of the last Intensive Scheme and due to which promotion of a number of skilled and semi-skilled workers was blocked. To avoid such a situation resulting from electrification, if the people of Jamalpur are to be declared surplus like that, may I know whether they would be given promotions at other places or that type of work would be started there?

Dr. Ram Subhag Singh : It means that dieselisation and electrification should not be done. We would not stop it and the implementation of the Intensive Scheme would also not be abandoned only because there is some defect in it. As far as the question of retrenchment of workers is concerned, that would, of course, be kept in mind. But our ideology would remain the same that there is increase in speed of the railway trains and there is maximum increase in the efficiency of workers.

सेलम-निवेली इस्पात परियोजना

\+

491. **श्री क० ना० तिवारी :**
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री विभूति मिश्र :
श्री सेझियान :
डा० श्रीनिवासन :
श्री परमशिवन :
श्री शिवमूर्ति स्वामी :
श्री यशपाल सिंह
श्री भागवत झा आजाद :
श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेलम लोह अयस्क तथा निवेली लिग्नाइट पर आधारित इस्पात कारखाना स्थापित करने का निर्णय करने में कोई प्रगति हुई है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी संक्षिप्त रूप-रेखा क्या है?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख). ब्रिटिश अमेरिकन स्टीलवर्क्स फार इण्डिया कंसार्टियम से नैवेली-सेलम क्षेत्र में इस्पात कारखाने

के विस्तृत प्रायोजना प्रतिवेदन के साथ साथ बैलाडिला–विशाखापत्तनम और गोआ–आर्सपेट क्षेत्रों में इस्पात कारखानों के शक्यता प्रतिवेदनों का अध्ययन करने और उपयुक्त स्थानों के बारे में सिफारिशें देने को कहा गया है । मई 1965 तक उनकी सिफारिशें मिल जाने की संभावना है । उसके पश्चात् इस बारे में निर्णय किया जायेगा ।

श्री क० ना० तिवारी : क्या यह सरकारी क्षेत्र में होगा अथवा गैर सरकारी क्षेत्र में होगा ?

श्री प्र० चं० सेठी : यह सरकारी क्षेत्र में होगा ।

श्री क० ना० तिवारी : क्या कंसार्टियम ने इस परियोजना के लिये वित्त की व्यवस्था करना स्वीकार कर लिया है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : यह ब्योरे अभी तैयार नहीं किये गये हैं ।

श्री शिवमूर्ति स्वामी : क्या दस्तूर एण्ड कं० ने होस्पेट में एक इस्पात कारखाना स्थापित करने की सिफारिश की है ।

श्री संजीव रेड्डी : सिफारिश करने का प्रश्न ही नहीं है । कुछ लोगों ने प्रारम्भिक रिपोर्टें तैयार की हैं ।

श्री कन्डप्पन : मेरा प्रश्न निश्चित रूप से सलेम–निवेली इस्पात परियोजना के सम्बन्ध में है । क्या सरकार इससे अवगत है कि विशेषज्ञ राय के अनुसार सलेम अयस्क एक विशेष किस्म का है जिसमें फास्फोरस और सल्फर भी नहीं है और कि वहां पर कारखाना स्थापित करने में बहुत कम विदेशी मुद्रा अन्तर्ग्रस्त है ?

श्री संजीव रेड्डी : मैं यह सब तकनीकी मामलों को विशेषज्ञों पर ही छोड़ना चाहूंगा ।

श्री कन्डप्पन : क्या सरकार को पता है कि इसमें बहुत कम विदेशी मुद्रा अन्तर्ग्रस्त है ?

श्री संजीव रेड्डी : सरकार मद्रास, मैसूर और आन्ध्र प्रदेश के सदस्यों की उत्तेजना से अवगत है ।

Shri Yashpal Singh Are the Government in a position to tell as to when this work would be completed ?

श्री **संजीव रेड्डी** : जैसा कि मैंने कहा एक कार्यक्रम तैयार किया गया है । मई के अन्त तक हमें रिपोर्ट मिल जायेगी ।

1949

श्री तिरूमल राव : क्या माननीय मंत्री का ध्यान मद्रास के उद्योग मंत्री श्री वेंकटारमन के वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि मद्रास सरकार सदैव कारखाने को स्थापित करने जा रही है ?

श्री कन्डप्पन : विधान सभा में यह वचन दिया गया है।

श्री तिरुमल राव : क्या मैं यह स्पष्ट रूप से जान सकता हूं कि केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकार के बीच सम्बन्ध की क्या स्थिति है और यदि मैसूर सरकार को भी उसकी मर्ज़ी से एक अपना कारखाना स्थापित करने की इजाजत दी जायेगी ?

श्री अ० प्र० जैन : मैसूर को भी।

श्री संजीव रेड्डी : मैंने मद्रास विधान सभा में दिये गये एक ऐसे वक्तव्य को समाचार-पत्रों में पढ़ा है। इससे उनका क्या आशय है उसका ब्योरा मेरे पास नहीं है। मैंने आज प्रात:काल ही समाचारपत्रों में पढ़ा है।

श्री रामनाथन चेट्टियार : इस योजना पर कुल कितनी लागत आयेगी और कितनी विदेशी मुद्रा की आवश्यकता पड़ेगी ? क्या इस मामले के बारे में निर्णय करने में देरी का मुख्य कारण इस योजना के लिये विदेशी मुद्रा को ढूंढना है ?

श्री संजीव रेड्डी: परियोजना की रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात् ही विदेशी मुद्रा के बारे में और यह सब कुछ बताया जा सकेगा।

श्री रामनाथन चेट्टियार : मैंने योजना की कुल लागत और उसमें विदेशी मुद्रा के हिस्से के बारे में पूछा है ?

श्री संजीव रेड्डी : यही तो मैंने भी बताया है कि परियोजना की रिपोर्ट मिलने के पश्चात् ही विदेशी मुद्रा तथा दशीय मुद्रा का पता चलेगा।

श्री पी० रा० रामाकृष्णन : क्या दस्तूर एण्ड कं० की रिपोर्ट विशेषज्ञ समिति के समक्ष रखी जायेगी। अथवा विशेषज्ञ समिति अपने आप सलेम परियोजना के गुण-दोषों का अध्ययन करेगी ?

श्री संजीव रेड्डी : सभी रिपोर्टें जिनमें सलेम पर दस्तूर एण्ड कं० की रिपोर्ट भी शामिल है विशेषज्ञ समिति को भेजी गई है। उन्होंने हास्पेट के बारे में रिपोर्ट दी है। हिन्दुस्तान स्टील वालों ने विशाखापटनम के बारे में रिपोर्ट दी है। जो भी हमारे पास कागज था हमने उनको भेज दिया है।

श्री परमशिवन : इस मामले को आंग्ल-अमरीकी कसार्टियम को निर्दिष्ट करने का क्या कारण है जबकि भूतपूर्व मंत्री ने इसको पहले ही अन्तिम रूप दे दिया था ?

श्री संजीव रेड्डी : भूतपूर्व मंत्री ने इसे अन्तिम रूप नहीं दिया था।

श्री द्वा० ना० तिवारी : क्या यह अनुमान लगाया गया है निवेली लिग्नाइट से पैदा होने वाला इस्पात अधिक महंगा अथवा सस्ता होगा।

श्री संजीव रेड्डी : मैं इस बारे में अभी कोई राय प्रकट नहीं करना चाहता क्योंकि इससे गलतफहमी होने की सम्भावना है।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि दसतूर एण्ड कं० के अनुभव तथा महंगी सेवाओं का उपयोग बोकारो परियोजना में नहीं किया जा सका क्या सरकार अगली परियोजना में उनकी सेवाओं का उपयोग करेगी ?

श्री संजीव रेड्डी : मैं इसका उत्तर नहीं दे सकता।

हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची

\+

*492. { **श्री हिम्मतसिंहका :**
श्री मि० सू० मूर्ति :
श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या **उद्योग तथा संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची में तकनीकी तथा गैर-तकनीकी कर्मचारियों की बड़े पैमाने पर छंटनी करने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं।

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र) : (क) और (ख). हेवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन में असैनिक निर्माण कार्य लगभग पूरा होने वाला है, इसलिये दूसरी शाखाओं में व्यक्तियों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए प्रबन्धकों द्वारा स्थिति की जांच की जा रही है। इसका परिणाम जांच पूरी हो जाने के बाद ही लग सकेगा। ऐसी अवस्था में वह ठीक-ठीक बता सकता संभव नहीं है कि कितने लोगों की छंटनी करना आवश्यक होगा।

श्री हिम्मतसिंहका : यह कई बार सुनने में आया है कि कार्य बन्द हो जाने से बहुत हानि हो रही है। क्या सरकार ने ऐसी हानियों को रोकने के लिये उचित कदम उठाये हैं ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में भारी इंजीनियरिंग तथा उद्योग मंत्री (श्री त्रि० ना० सिंह) : यद्यपि यह प्रश्न मुख्य प्रश्न स नहीं उठता है, परन्तु यदि अध्यक्ष महोदय इजाजत दें तो मैं उत्तर दूंगा।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न छंटनी के बारे में है। यह एक अलग प्रश्न है।

श्री रामेश्वर टांटिया : क्या यह सच है कि कुछ कर्मचारियों अथवा अधिकारियों के विरुद्ध काम बन्द हो जाने के बारे में जांच की गई थी और क्या यह भी सच है कि उनकी छंटनी करने की बजाय उनको पदोन्नति दे कर कुछ अन्य स्थानों पर भेज दिया गया है।

अध्यक्ष महोदय : केवल छंटनी के शब्द को बीच में लाने से इस प्रश्न को संगत नहीं बनाया जा सकता।

डा० सरोजिनी महिषी : ऐसी जांच के आधार क्या हैं ?

श्री विभुधेन्द्र मिश्र : यह जांच प्रक्कलन समिति द्वारा की गई सिफारिश के परिणामस्वरूप की जा रही है।

श्री बसुमतारी : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि अनुसूचित जाति तथा आदिम जाति के लोगों को बहुत कम नौकरियां मिली हुई हैं, क्या उनके बारे में सहानुभूति से विचार किया जायेगा ?

श्री त्रि० ना० सिंह : उनके दावों के बारे में सहानुभूति से विचार किया जायेगा।

श्री अ० प्र० शर्मा : यदि जांच के पश्चात श्रमिकोंकी संख्या अपेक्षित संख्या से अधिक होती है, तो सरकार क्या करने जा रही है ? क्या उनको कहीं और जगह पर लगाया जायेगा ?

अध्यक्ष महोदय : यह एक परिकल्पनात्मक प्रश्न है।

Shri H. C. Soy : While making retrenchment will the Government take this into account that the employment of displaced persons there is much less ?

Mr. Speaker : Certainly.

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मुझे ज्ञात है कि असैनिक निर्माण में लगे लगभग 1700 कर्मचारियों को फालतू घोषित किया गया है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि ये सब प्रशिक्षित तथा योग्यता प्राप्त तकनीकी लोग हैं, क्या यह सुनिश्चित करने के लिये कोई कदम उठाये जा रहे हैं कि उनको सरकारी क्षेत्र में लगा लिया जाये ? उदाहरण के तौर पर बोकारों और अन्य स्थानों पर हो रहे निर्माण कार्य में।

श्री अ० प्र० शर्मा : मैंने भी यही प्रश्न पूछा था परन्तु, श्रीमन्, आप ने कहा कि यह परिकल्पनात्मक प्रश्न है। यह बिलकुल वही प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : परन्तु वह प्रश्न एक दूसरे रूप में पूछा गया था। आप कहते गये कि यदि जांच करने के पश्चात् यह आवश्यक हो जाता है. . . .'

श्री अ० प्र० शर्मा : मैं जानना चाहता हूं कि क्या उन्हें पुनर्नियुक्त किया जायेगा ?

श्री विभुधेन्द्र मिश्र : लगभग 1700, मेरे विचार में ऐसी किसी जांच को अन्तिमरूप नहीं दिया गया है। जहां तक उनकी पुनर्नियुक्ति का सम्बन्ध है, हमने बोकारों और अन्य इस्पात परियोजनाओं के अधिकारियों से पहले ही यह प्रश्न उठाया है। हमारे अपने संयंत्र, हिन्दुस्तान मशीन टूल्ज़, के लिये अनुमानित 1840 श्रमिकों की आवश्यकता है, जबकि केवल 125 श्रमिक ही नियुक्त किये गये हैं और वहां भी कुछ को लगाया जा सकेगा।

Shri D. N. Tiwary : Is it a fact that workers are surplus in the Heavy Engineering Corporation, Ranchi and in other such factories ? Has any assessment been made in this regard and if so, with what results ?

Shri T. N. Singh : There are certain cases of over-staffing here and there. But this question is specifically in connection with construction workers who are employed in temporary basis and who do not come under the category of permanent staff.

श्रीमती सावित्री निगम : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि हरिद्वार तथा अन्य स्थानों पर निर्माण-कार्य हो रहा है, क्या यहां से छटनी किये गये लोगों को हरिद्वार तथा अन्य स्थानों पर लगाया जायेगा ?

अध्यक्ष महोदय : वही प्रश्न फिर दुहराया जा रहा है।

श्री नरेन्द्र सिंह महीडा : क्या सरकार बेरोजगार वैज्ञानिकों को बनाये गये पूल की तरह इंजीनियरों का पूल बनाने का विचार कर रही है अथवा वे बेरोजगार असैनिक इंजीनियर होंगे ?

अध्यक्ष महोदय : पहले जांच तो हो लेने दीजिये।

अल्प सूचना प्रश्न
SHORT NOTICE QUESTION

परिसज्जित इस्पात का निर्यात

+

अल्प सूचना प्रश्न संख्या 4.

श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री शिंकरे :
श्री बृजराज सिंह :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री ओंकार सिंह :
श्री जगदेव सिद्धांती :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री राम हरख यादव :
श्री यशपाल सिंह :
श्री कपूर सिंह :
श्री बूटा सिंह :
श्री च० का० भट्टाचार्य :
श्री अ० ना० विद्यालंकार :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि, समाचार पत्र में प्रकाशित समाचार के अनुसार, हाल ही में ब्रिटेन को भेजे गये 17 लाख रुपये के मूल्य के भारतीय परिसज्जित इस्पात के एक परेषण को प्रेषिती न लेने से मना कर दिया क्योंकि उसे ठीक ढंग से पैकिंग न करने और संभाल कर न ले जाने के कारण वह खराब हो गया था ;

(ख) यदि हां, तो सौदे का ब्यौरा क्या है तथा माल के न लिये जाने के कारण कितनी हानि होने का अनुमान है ; और

(ग) इस स्थिति का सुधार करने और भविष्य में इसकी पुनरावर्त्ति को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

The Deputy Minister in the Ministry of Steel and Mines (Shri P. C. Sethi) : (a) and (b) : About 1682 tonnes of steel reinforcing bars in in straight lengths valued at about Rs. 7 lakhs were exported on separate contracts booked by certain private exporting firms. The consignees have claimed that the consignments reached their destination in a bent and twisted condition. The matter is, at present, being settled with the foreign parties concerned in accordance with normal commercial practices and the estimate of loss is yet to be assessed.

(c) Hindustan Steel Limited are investigating how the damage claimed has arisen. As an interim measure they have taken prompt action both at the plants and at the docks to ensure proper packing and handling of the cargo to avoid recurrence of such complaints.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : The hon. Minister said that the matter is being enquired into by the Government, may I know when the report would be made available ? Has this type of material been sent for the first time due to which it was not packed properly and if so, whether the factory which had done the defective packing, has been instructed accordingly to the effect as to how it should be packed ?

Shri P. C. Sethi : Though 30,000 tonnes of material has already been exported but it is the first time that 1682 tonnes of this type of material consisting of 40 feet long bars was sent which reached the destination in a bent and twisted condition. There was a complaint about defective packing. These were mishandled at the docks and railways about which an enquiry is being held.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Is there any department to check all the consignments and to submit a report to the effect that they have been packed properly before they are finally sent ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेडडी) : यह सच है कि पैकिंग त्रुटिपूर्ण थी। यह माल ऐसा था जो पहली बार भेजा गया था और पकिंग में कुछ खराबी रह जाना स्वाभाविक ही था। मुझे यह मानना पड़ेगा कि कार्य को ठीक प्रकार से नहीं किया गया। इसकी जांच केवल हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड द्वारा ही नहीं परन्तु सरकार द्वारा भी की जायगी।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि सारा राष्ट्र यह जानने के लिये उत्सुक था कि हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड द्वारा पहली बार निर्यात किये गये माल को विदेश में अच्छी तरह प्राप्त किया जाये, क्या सरकार ने इस बात की जांच की है कि क्या इस पहले निर्यात की देख भाल उस संस्था के प्रबन्धक तथा अन्य उच्च अधिकारियों द्वारा की गई थी ?

श्री संजीव रेड्डी : यह पहला निर्यात नहीं था। इस प्रकार के माल (लम्बी छड़ों) का पहली बार निर्यात किया गया था। अन्यथा हम पिछल दो-तीन वर्षों से निर्यात कर रहे हैं। हिन्दुस्तान स्टील लिमिटड ने स्वयं इस मामलें का अध्ययन करने के लिये तीन व्यक्तियों की एक समिति नियुक्त की है जो उन लोगों से, जिन्होंने हमारे से माल खरीदा था, भी बातचीत करेगी। इस त्रुटिपूर्ण पैकिंग के कारणों की छानबीन करनी पड़ेगी। सरकार भी इसकी जांच करेगी।

Shri Raghunath Singh : According to the practice in Railways, pieces of tat are tied on the tips of such material, had tat been tied on the tips of the bars ?

श्री संजीव रेड्डी : हम इन सब बातों का पता लगायेंगे।

Shri Yashpal Singh : Steel is too hard to be bent easily. Were these bars made of wax that these were bent ? Who has been held responsible for this defective packing ?

Shri P. C. Sethi : The bars of such a length of 40 feet often bend, it is, however, correct that they were not packed properly for which enquiry is being held and precautions are being taken to prevent such recurrences in future.

तम्बाकू का निर्यात

*478. **महाराजकुमार विजय आनन्द :**
श्री विभूति मिश्र :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विभिन्न देशों को तम्बाकू-उत्पादों का निर्यात करने के मामले में भारत को कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है ;

(ख) यदि हां, तो भारतीय निर्यातकों को क्या सहायता देने का सरकार का विचार है ताकि वे अपनी कठिनाइयां दूर कर सकें;

(ग) तम्बाकू-उत्पादों का निर्यात बढ़ाने के हेतु सुझाव देने के लिए, उद्योग तथा संभरण मंत्रालय के सचिव, श्री एस० रंगानाथन की अध्यक्षता में बनाई गई समिति के निर्देश पद क्या हैं और उसके कौन कौन सदस्य हैं; और

(घ) प्रतिवेदन के कब तक दिये जाने की संभावना है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) प्रतिस्पर्धा तो करनी पड़ती है, फिर भी हाल के महीनों में हमारा निर्यात उत्साह-जनक रहा है । 1963-64 के कुल वर्ष में जहां विभिन्न किस्म के भारतीय तम्बाकू उत्पादों के निर्यात का कुल योग 66 लाख रु० रहा था वहां अप्रैल से नवम्बर, 1964 की अवधि में यह काफी वृद्धि होकर 105 लाख रु० हो गया ।

(ख) रंगनाथन समिति जो सिफारिशें करेगी उनके प्रकाश में भारतीय निर्यातकों को सहायता देने के प्रश्न पर सरकार विचार करेगी ।

(ग) समिति के संगठन और विचारणीय विषय प्रकट करने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 4016 / 65]**

(घ) समिति ने अपनी पहली बैठक 1 फरवरी 1965 को की । आशा है कि समिति अगले तीन महीनों में अपनी रिपोर्ट पेश कर देगी ।

इस्पात की आवश्यकता

*479. **श्री मुहम्मद इलियास :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के दुर्गापुर, भिलाई और रूरकेला कारखानों में इस्पात उत्पादन का नियोजन करने से पहले देश में इस्पात की कुल आवश्यकता के बारे में बाजार का विश्लेषण कर लिया गया था, और यदि हां, तो इसका आधार क्या था ;

(ख) सरकारी क्षेत्र के इस्पात कारखानों में बना सब इस्पात पूरी तरह काम आ सके यह सुनिश्चित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ;

(ग) क्या यह सच है कि सरकारी क्षेत्र के इस्पात कारखानों से उपलब्ध इस्पात की बिक्री में कठिनाई अनुभव हो रही है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) प्रारम्भ में सार्वजनिक क्षेत्र में तीन इस्पात कारखाने स्थापित करने से पहले देश में इस्पात की आवश्यकताओं के बारे में बाजार का कोई विस्तृत विश्लेषण नहीं किया गया था। फिर भी चपटी वस्तुएं तैयार करने के लिये राउरकेला कारखाना स्थापित करने का फैसला प्रथम पंचवर्षीय योजना में किया गया था क्योंकि यह अनुभव किया गया था कि इन पदार्थों की मांग और सप्लाई में बड़ा अन्तर था। इसी प्रकार भिलाई का कारखाना रेल की पटरी और ढांचों की बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए स्थापित किया गया था। दुर्गापुर का संयंत्र एक बार और शेप्स संयंत्र है जो रेल का माल जैसे सलीपट, पहियों और धुरों का भी उत्पादन करता है।

तीसरी और चौथी योजना अवधियों में आयोजन और उत्पादन के लिए अधिकतर व्यवहारिक अनुसंधान की राष्ट्रीय परिषद् द्वारा मांग के अनुमानों पर ही निर्भर किया गया।

(ख) सार्वजनिक क्षेत्र के इस्पात कारखानों की वर्तमान क्षमता का पूरा पूरा उपयोग किया जा रहा है। कारखाने पहल से ही प्राप्त किये गये आर्डरों के आधार पर इस्पात का उत्पादन करते हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

कम्प्रैसरों का निर्माण

480. **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री दलजीत सिंह :
श्री प्र० के० देव :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री कोया :
श्री रामपुरे :

क्या **उद्योग तथा सम्भरण** मंत्री 18 सितम्बर, 1964 के तारांकित प्रश्न संख्या 283 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंग कि:

(क) देश में भारी पम्पों तथा कम्प्रेसरों के निर्माण के लिए कारखाने की स्थापना में इस बीच कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) क्या इस प्रयोजन के लिए किसी स्थान का चुनाव कर लिया गया है ?

उद्योग तथा संभरण मत्रालय में उपपमंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र) : (क) और (ख). दिसम्बर, 1964 में सोवियत अधिकारियों के साथ एक करार पर हस्ताक्षर किये गये थे। यह करार स्थान के बारे में विस्तृत रूप से जांच-पड़ताल करने, प्रारम्भिक तकनीकी और आर्थिक आंकड़े इकट्ठे करने तथा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट बनाने के लिये एक निदेश-ज्ञापन तैयार करने के लिये किया गया था। विदेशी विशेषज्ञों के दल ने जो इस काम को कर रहा था,

परियोजना के लिये स्थान का चुनाव करने के बारे में फरवरी, 1965 में अपनी रिपोर्ट दे दी थी। इस रिपोर्ट पर अभी विचार किया जा रहा है।

भिलाई इस्पात कारखाना

485. **डा० उ० मिश्र :**
डा० रानेन सेन :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि श्रम और रोजगार मंत्रालय के अधीन केन्द्रीय कार्यान्विति तथा मूल्यांकन समिति ने बद्ध लौह अयस्क खानों में औद्योगिक संबंधों के बारे में भिलाई इस्पात कारखाने को अनुशासन संहिता के उल्लंघन का दोषी ठहराया है; और

(ख) यदि हां, तो स्थिति को ठीक करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) केन्द्रीय कार्यान्वयन तथा मूल्यांकन समिति ने अपनी 29 अगस्त, 1964 की बैठक में भिलाई इस्पात कारखाने से सम्बन्धित दो मामलों पर विचार किया था। पहले का सम्बन्ध भिलाई इस्पात कारखाने के प्रबन्धकों और इस्पात कर्मचारी संघ, भिलाई, के बीच दिनांक 3 नवम्बर, 1962 के समझौते के क्षेत्र के निर्वाचन से था। इस विषय में समिति ने यह अनुभव किया कि कानूनी सलाह की रोशनी में यह संभव है कि श्रम मंत्रालय आगे उठाये जाने वाले कदमों पर विचार करे।

दूसरे जिस विषय पर समिति ने विचार किया उसका सम्बन्ध भिलाई इस्पात संयंत्र की स्वामिक खानों में श्रमिकों की ठेका प्रथा को खत्म करने से था। इस बारे में समिति का विचार था कि ठेका प्रथा को यथाशीघ्र समाप्त कर देना चाहिए।

(ख) पहले मामले में भारत सरकार ने विवाद को 21 दिसम्बर, 1964 को औद्योगिक न्यायाधिकरण, बम्बई को निर्णय हेतु भेज दिया है। दूसरे मामले में भिलाई इस्पात कारखाने की पंजीकृत खानों में केवल विभागीय श्रमिकों द्वारा ही काम करवाया जाता है। डाली खान से मजदूरों द्वारा खनिज लोहा निकालने का काम खान के यंत्रीकृत किये जाने तक सर्वथा अस्थायी रूप में ठेकेदारों द्वारा करवाया जा रहा है।

चाय का निर्यात

*487. **श्रीमती शारदा मुकर्जी :**
श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि गत कुछ वर्षों में भारतीय चाय की विदेशों में बिक्री ज्यों की त्यों रही है; और

(ख) यदि हां, तो अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय चाय की स्थिति को सुधारने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) और (ख). जी, नहीं। 1960-61, 1961-62 तथा 1963-64 में निर्यात लगभग रु० 123 करोड़ पर स्थिर

रहा है। 1962-63 में यह बढ़ कर रु० 129 करोड़ हो गया है। इस वर्ष 1964-65 के प्रथम 9 महीनों में चाय का निर्यात रू० 103·5 करोड़ तक पहुंच रहा है और रु० 135 करोड़ तक पहुंच जाने की आशा है।

रेलवे वैगन

*489. **श्री महेश्वर नायक :**
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री हिम्मत सिंहका :
श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोयला उद्योग को रेलवे वैगनों के सम्भरण में भारी कटौती कर दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण है ;

(ग) क्या यह बात रेलवे प्राधिकारियों को बताई गई है कि इस कटौती के परिणाम-स्वरूप खान मुहानों पर बहुत स्टाक इकट्ठा हो गया है जिससे कोयले के उत्पादन में कमी हो सकती है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) जी नहीं।

(ख) सवाल नहीं उठता ।

(ग) जी नहीं।

(घ) सवाल नहीं उठता :

रूई का भाव

*494. **श्री मलाइछामी :**
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री दे० शि० पाटिल :
श्री तुलशीदास जाधव :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विदित है कि रुई सर्वेक्षण योजना के लागू होने के पश्चात् रुई के भाव अचानक गिर गये हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि अच्छी किस्म की रुई मिलों को लाभप्रद दरों पर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है ; और

(ग) यदि हां, तो स्थिति को सुधारने के लिये सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी): (क) जी, नहीं। मूल्य उपयुक्त उच्चतम सांविधिक सीमाओं के आसपास ही रहे हैं।

(ख) जी, नहीं। मिलें प्रचलित मूल्यों पर माल प्राप्त करने में समर्थ हैं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

अफ्रीकी देशों को भारतीय प्रतिनिधि मण्डल

*495 **महाराजकुमार विजय आनन्द :**
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री रा० बरूआ :
श्री कोया :
श्री ल० ना० भंजदेव :
श्री मुहम्मद इलियास :

क्या **वाणिज्य** मंत्री 4 दिसम्बर, 1964 के तारांकित प्रश्न संख्या 356 के उत्तर के सम्बध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय उद्योगपतियों का जो सद्भावना शिष्टमण्डल सितम्बर, अक्टूबर, 1964 में कुछ अफ्रीकी देशों की यात्रा पर गया था, उसकी सिफारिशें कहां तक क्रियान्वित की गई हैं ; और

(ख) सिफारिशों क क्रियान्वित करने से विदेशी मुद्रा के उपार्जन करने के क्या परिणाम निकलने की संभावना है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) अधिकांश सिफारिशें बहुत व्यापक और दीर्घकालीन ढंग की हैं। इस लिए इनके क्रियान्वित करने की प्रणाली लगातार जारी रहने वाली है। नाइजीरिया, इथोपिया, केनिया, जाम्बिया, उगाण्डा और लीबिया में कई सम्मिलित प्रायोजनाएं चालू हो गई हैं अथवा स्थापना की दिशा में काफी आगे बढ़ गई हैं। इनमें सूती वस्त्र, तामचीनी, चीनी, सीमेण्ट के नल, पेंसिलें, साबुन, तेल निकालने, उस्तरे के ब्लेड और हल्के इंजीनियरी सामान के उद्योग सामिल हैं। प्रतिवेदन की अन्य विशिष्ट सिफारिशों का व्यापक रूप से प्रचार कर दिया गया है। इनमें दिलचस्पी रखने वाले भारतीय औद्योगिक इनकी सम्भावनाओं से लाभ उठाने का प्रयत्न कर रहे हैं और सरकार आवश्यक सहायता दे रही है।

(ख) आशा है कि विदेशों में ऐसे सम्मिलित उद्योग स्थापित होने से विदेशी मुद्रा के उपार्जन में वृद्धि होगी। इसका कोई अनुमान अभी लगाना सम्भव नहीं है।

नमक उद्योग

*496. **श्री प्र० चं० बरूआ :**
श्री हिम्मत सिंहका :
श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या **उद्योग तथा संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सामान्य नमक के भारी मात्रा में स्टाक जमा हो जाने के कारण देश में नमक उद्योग संकट में है ; और

(ख) यदि हां, तो इस समस्या को हल करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

उद्योग तथा सम्भरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र) : (क) और (ख). नमक पर आधारित रासायन उद्योग की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिये तीसरी पंचवर्षीय योजना में नमक का उत्पादन बढ़ाने के लिए किए गए प्रत्यनों के परिणामस्वरूप इस आम किस्म के नमक का उत्पादन खपत से अधिक है । लेकिन इसके स्टाक का इस प्रकार इकट्ठा होना कोई चिन्ता का विषय नहीं है ।

इस्पात की जमाखोरी

*497. **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री स० चं० सामन्त :
श्री प्र० चं० बरूआ :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लोहा तथा इस्पात सलाहकार परिषद् ने अपनी हाल की बैठक में सरकार का ध्यान सरकारी उपक्रमों द्वारा बड़े पैमाने पर इस्पात की बर्बादी तथा जमाखोरी की ओर दिलाया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इन आरोपों की सत्यता का पता लगाया है तथा उसका क्या परिणाम निकला है ; और

(ग) परिषद् ने और क्या सिफारिशें की हैं तथा सरकार ने उनके बारे में क्या निर्णय किया है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी): (क) और (ख) लोहा और इस्पात सलाहकार परिषद् की 20-2-1965 की बैठक में एक सदस्य ने सरकारी प्रायोजनाओं तथा सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा अपनी सामान्य आवश्यकताओं से बहुत अधिक इस्पात का स्टाक रखने की बातें कही थी और एक विशिष्ट उदाहरण भी दिया था । सम्बद्ध विभाग द्वारा कथित इकाई के स्टाक की जांच की गई और यह मालूम हुआ कि सदस्य द्वारा बैठक में लगाये गये आरोप न्यायसंगत नहीं थे ।

(ग) समिति ने कोई विशिष्ट सिफारिशें नहीं की थीं । विचार विमर्श के दौरान ने व्यक्तिगत रूप से कई बातें कहीं थीं और सरकार के विचारार्थ सुझाव दिये थे इनकी जांच की जा रही है ।

व्यापार तथा प्रशुल्क सम्बन्धी सामान्य समझौता

*498. **श्री प्र० चं० बरूआ :**
श्री महेश्वर नायक :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या व्यापार तथा प्रशुल्क सम्बन्धी समझौते में विकासोन्मुख देशों को विकसित देशों द्वारा सहायता दिये जाने सम्बन्धी नया अध्याय जोड़ने के साथ साथ विभिन्न संशोधन करने वाले एक संलेख पर हाल में जनेवा में हस्ताक्षर किये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो समझौते में क्या विशिष्ट संशोधन किये गये हैं ;

(ग) संलेख पर किन किन देशों ने हस्ताक्षर किये ; और

(घ) किन किन विकसित देशों में विकासोन्मुख देशों से होने वाले आयात पर लगे प्रतिबन्धों में ढील दी है तथा इससे आगामी वर्ष में भारत से होने वाले निर्यात में कितनी वृद्धि होने की संभावना है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) से (ग) जी, हां। अन्तिम रूप से पारित अधिनियम और संलेख की एक प्रति (अंग्रेजी में) जिसमें व्यापार तथा प्रशुल्क सम्बन्धी सामान्य करार का नया अध्याय और उन देशों की सूची दी गई है जिन्होंने संलेख पर हस्ताक्षर किये हैं, सभा पटल पर रखी जाती है। [पुस्तकालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी.-4017/65]

(घ) उन वस्तुओं की एक सूची भी (अंग्रेजी में) सदन की मेज पर रखी जाती है जिनमें भारत की दिलचस्पी है और जिन के आयात शुल्क को विकसित देशों ने घटा अथवा हटा दिया है। विकसित देशों ने विकासशील देशों की दिलचस्पी वाले कुछ उत्पादों पर लगे आयात प्रतिबन्धों को उदार करने की भी समय समय पर घोषणा की है। अपना निर्यात बढ़ाने के लिये इन तथा अन्य अनुकूल घटनाओं से लाभ उठाने के बराबर प्रयत्न किये जा रहे हैं। परन्तु निर्यात पर अन्य अनेक तत्वों का भी प्रभाव पड़ता है और उदारता के इन उपायों के फलस्वरूप हमारे निर्यात के बढ़ने में कितनी सुविधा होगी इसका ठीक ठीक आकलन नहीं किया जा सकता।

Sericulture Industry in Punjab

1269. Shri Hem Raj Will the Minister of **Commerce** be pleased to refer to the reply given to Unstarred question No. 933 on the 4th December, 1964 and state :

(a) whether a reply form the Punjab Government has since been received in regard to the development of sericulture in the hilly regions of Punjab ; and

(b) if so, when the final decision in this regard is likely to be taken ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri S. V. Ramaswamy) (a) *and* (b) : The revised scheme regarding the development of sericulture in the hilly areas of Punjab is still awaited form the Government of Punjab.

रायगडा (उड़ीसा) में ऊपरी पुल

1270. **श्री रामचन्द्र उलाका :** क्या **रेलवे** मंत्री 25 सितम्बर, 1964 के अतारांकित प्रश्न सं० 1241 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रायगडा (उड़ीसा) में सड़क का ऊपरी पुल बनाने में नवीनतम कितनी प्रगति हुई है ; और

(ख) कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ): (क) और (ख). ऊपरी पुल के लिए जगह और पुल तक सड़कों के मार्ग-निर्धारण के बारे में अभी तक राज्य सरकार का अंतिम फैसला नहीं हुआ है। ऐसी हालत में, अभी यह बताना सम्भव नहीं है कि किस तारीख तक यह काम पूरा हो जायेगा।

राजस्थान में छोटे पैमाने के उद्योग

1271. **श्री धुलेश्वर मीना :**
श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **उद्योग तथा संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1965–66 में छोटे पैमाने के उद्योगों के विकास के लिये राजस्थान से कोई योजनाएं प्राप्त हुई हैं ;

(ख) यदि हां, तो उन पर कतनी राशि खर्च की जायेगी ; और

(ग) योजनाओं का स्वरूप क्या है ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र) : (क) जी, हां। राज्य की 1965–66 की वार्षिक योजना में।

(ख) 35.93 लाख रु०।

(ग) **योजना का ब्यौरा**

	1965–66 की वार्षिक योजना में प्रस्तावित राशि
	रुपये लाखों में
1. लघु उद्योगों/औद्योगिक सहकारी समितियों को ऋण	18.03
2. बजलो के लवु उद्योगों को राज्य सहायता	0.40
3. वित्तीय निगम को राज्य सहायता	0.12
4. कर्मचारियों की औद्योगिक सहकारी समितियों को राज्य सहायता	0.20
5. कार्यालय की देख-रेख के लिये जिला उद्योग एसोसियेशन को राज्य सहायता	0.10
6. प्रशिक्षण केन्द्रों के समुह को	2.94

7. लेदर वर्क्स ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट . .	1.40
8. चीनी मिट्टी के लिये सेवा-सह-प्रशिक्षण संस्था	3.84
9. संयंत्र के अन्दर प्रशिक्षण . .	0.10
10. कर्मचारियों की संख्या बढ़ाना तथा उद्योग निदेशालय का विस्तार करना	6.02
11. लघु उद्योग निगम	1.50
12. औद्योगिक अनुसंधान प्रयोगशाला का विस्तार	0.30
13. खण्डों में सामान्य सुविधा केन्द्र	1.70
14. समाज कल्याण की योजनायें .	0.28
योग	35.93

तिरूनेलवेली का भूतत्वीय सर्वेक्षण

1272. श्री म० प० स्वामी: क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास राज्य के तिरुनेलवेली जिले में कोई भूतत्वीय सर्वेक्षण किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मूख्य बातें क्या है और अब तक क्या परिणाम निकले हैं ।

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) जी, हां । (—) मील माप पर सम्पूर्ण जिलें का भौमिकी सर्वेक्षण लगभग पूरा हो चुका है ।

(ख) सर्वेक्षण से उच्च श्रेणी के चूना-पत्थर तथा लाइमनाइट के बड़े संचयों और गारनैट, ग्रेफाइट, जिप्सम और माइका के कुछ चिन्हों का पता लगा है । इन खनिजों की स्थूल रूप-रेखा इस प्रकार है :—

1—चूना-पत्थर :—कुछ उच्च श्रेणी के चूने तथा डोलामाइट चूना-पत्थर के मुख्य संचयों के अनुमान इस प्रकार हैं :—

	मिलियन मीटरी टन
रामयण पट्टी . .	3.98
तलाइयत्तू	4.88
सीलियानलुर .	0.78
गोपालापुरम . .	0.26
विरानम . .	0.04

अच्छी किस्म का चूना-पत्थर लाइन पोर्टलैंड सीमेंट और रासायन बनाने के लिये उपयुक्त रहेगा ।

2--गारनेंट, लाइमनाइट और मोनालाइट:--ओवारी-नवालादी क्षेत्र में गारनेंट के लगभग 36,000 मीटरी टन और कुट्टनकुली क्षेत्र में लगभग 20,000, मीटरी टन संचयों का अनुमान है। वयप्पर-कल्लर क्षेत्र में 32,000 मीटरी टन लाइमनाइट, 15,00 मीटरी टन जिरकन, 95,00 मीटरी टन गारनेट और 14,00 मीटरी टन मोनाजाइट प्राप्त हो सकता है ।

3--जिप्सम :--कोइल-पट्टी, इट्टायापुरम् और श्री वैकुंठम् तालकों से कुछ सैकड़ों मीटरी टन जिप्सम प्राप्त हो सकता है ।

4--अन्य :--इस जिले में कई अन्य खनिज भी मिले हैं, जैसे फैलस्पर, मैगनाटाइट तथा माइका, परन्तु आर्थिक दृष्टि से इनका कुछ महत्व नहीं है ।

अन्तर्राष्ट्रीय भूतत्वीय कांग्रेस

1273. **श्री द्वा० ना० तिवारी :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिसम्बर, 1964 के मध्य में दिल्ली में हुई अन्तर्राष्ट्रीय भूतत्वीय कांग्रेस में अमरीकी भूतत्व शास्त्री डा० हुजन द्वारा प्रस्तुत किये गये पत्र की ओर दिलाया गया है जिसमें यह कहा गया है कि भारत लगभग दो हजार मील उत्तर की ओर जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या कांग्रेस में इस से सम्बन्धित सभी बातों पर चर्चा हुई थी ; और

(ग) उस में क्या निर्णय किये गये ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) और (ख) जी, हां ।

(ग) यह ऐसा सिद्धांत है जिसकी कि अभी निश्चित होना शेष है ।

दिल्ली के बड़े रेलवे स्टेशन के एक रेलवे कर्मचारी के विरूद्ध जांच

1274. **श्री यशपाल सिंह :** क्या **रेलवे** मंत्री दिल्ली के बड़े स्टेशन के एक रेलवे कर्मचारी के पास अत्यधिक सम्पत्ति होने के कारण उसके विरुद्ध जांच के सम्बन्ध में पूछे गये 27 नवम्बर, 1964 के तारांकित प्रश्न संख्या 232 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि इस मामले पर आगे क्या प्रगति हुई है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह): विभागीय जांच में सम्बन्धित अफसर को उसके पास आमदनी के अनुपात से अधिक परिसम्पत्ति होने के अभियोग से बरी कर दिया गया है। लेकिन 1956 के रेल सेवा आचरण नियमों के तकनीकी अतिलंघन के लिए उसे दोषी ठहराया गया है । इन नियमों के अनुसार सम्पत्ति आदि की खरीद के सम्बन्ध में किसी तरह का लेन-देन करने से पहले कर्मचारी को प्रशासन की पुर्वानुमति लेना आवश्यक है ।

वस्तुएं बेचने के ठेके

1275. **श्री हुकम चन्द कछवाय :**
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री सू० ला० वर्मा :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 सितम्बर, 1964 से 31 दिसम्बर, 1964 तक उत्तर रेलवे प्रशासन ने कितने मामलों में वस्तुएं बचने के ठेकेदारों को, जिनके पास पहले ही एक स्टेशन का ठेका है, किसी दूसरे स्टेशन पर वस्तुएं बेचने का ठेका दिया है ; और

(ख) इस अवधि में इन ठेकों के लिये कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुए ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) दो ।

(ख) एक ठेके के लिए चार और दूसरे के लिए 11 आवेदन-पत्र मिले थे । वर्तमान आदेशों के अनुसार, उन ठेकेदारों को ठेके देने पर कोई पाबन्दी नहीं है जिनके पास 2 यूनिट से कम ठेके हों, लेकिन शर्त यह है कि नया ठेका देने पर उनके ठेकों की कुल संख्या 2 यूनिट से बढ़ने न पाये ।

दिल्ली डिवीजन में स्टेशन

1276. **श्री ओंकार लाल बेरवा :**
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री सू० ला० वर्मा :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर रेलवे के दिल्ली डिवीजन में ऐसे कुल कितने रेलवे स्टेशन हैं तथा उनके नाम क्या हैं जिन पर वर्ष 1965–66 में बिजली लगाये जाने का विचार है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह): 1965–66 में निम्नलिखित 6 स्टेशनों पर बिजली लगाने का विचार है :—

1. मनूपली
2. भुच्यु
3. जसिया
4. जसपालां
5. खेड़ा कलां
6. नांगलोई

Theft of Cement Bags form Attar Railway Station

1277. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya** Will the Minister of **Railways** be pleased to state ;

(*a*) whether it is a fact that the lock of the godown at the Attar Railway Station on Indore-Khandwa section was broken and 8000 bags of cement were stolen on the 17th March, 1964 ;

(*b*) whether it is also a fact that the aforesaid bags were booked from Attar to Barwaha Station on 31st May, 1964 without any orders ;

(*c*) whether it is also a fact that the lock of the godown was broken on the 17th March, 1964 and the Police was informed on 13th June, 1964 ; and

(*d*) if so, whether any enquiry has been conducted into the matter and the result thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Sham Nath): (*a*) Yes, the lock was found open on 17-3-64. 218 bags of cement out of the total 483 in stock were found missing on 28-5-64.

(*b*) and (*c*) The facts are as follows :—

On 28-5-64, when cement was to be transferred from Attar to Barwaha station, the count of bags revealed a shortage of 218 cement bags and the matter was reported to the Police on 2-6-1964.

(*d*) A departmental enquiry was conducted and as a result of it three Railway employees were held responsible, against whom departmental action is in progress.

निर्यात

1278 **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
श्री प्र० चं० बरूआ :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि में निर्यात से प्राप्त होने वाली आय का मोटे तौर पर क्या अनुमान है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी): चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि में निर्यात का लक्ष्य सब कुछ मिला कर 5,100 करोड़ रु० रखा गया है जिसमें से 1970–71 में वर्ष में निर्यात का स्तर 1,110 करोड़ रु० हो जाने की आशा है ।

अरब सागर के तल में कोबाल्ट और मैग्नीशियम

1279. **महाराजकुमार विजय आनन्द:** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अरब सागर के तले से कोबाल्ट और मग्नीशियम अयस्कों के निकालने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ख) वैज्ञानिक अनुसंधान और उपयोगी कार्यों में कहां तक इनका उपयोग होगा ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) और (ख) अरब सागर की तलहटी में तांबा, कोबाल्ट और निकल मिश्रित पिण्ड कुछ थोडी मात्रा में ही मिले हैं । मैंगनीज़ प्राप्त होने के कोई चिन्ह नहीं मिले हैं । भारतीय भौमिकी विभाग अन्तर्राष्ट्रीय हिन्द महासागरीय अभियान में भाग लेते समय इस पर अन्वेषण करेगा । यह काम चौथी योजना के अन्तर्गत किये जाने अन्वेषणों में भी शामिल है । आगे कार्य इस अनुसंधान के परिणाम पर निर्भर होगा ।

आगरा जाने वाली रेल गाड़ी का रोका जाना

1280. **श्री द्वा० ना० तिवारी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 24 दिसम्बर, 1964 को प्रातः लगभग साढ़े नौ बजे आगरा जाने वाली यात्री गाड़ी को सदैव देर से चलने के विरोध में यात्रियों ने ओखला के निकट रोक दिया था;

(ख) क्या यह भी सच है कि पुलिस ने घटनास्थल का चित्र लेने वाले प्रैस फोटोग्राफरों के साथ दुर्व्यवहार किया; और

(ग) विरोध करने वाले कितने व्यक्ति गिरफ्तार किये गये ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) से (ग) 21 दिसम्बर, 1964 को आगरा जाने वाली कोई सवारी गाड़ी ओखला के पास नहीं रोकी गयी थी। 22-12-1964 को 362 अप नयी दिल्ली - आगरा कैन्ट सवारी गाड़ी नयी दिल्ली स्टेशन से ठीक समय, अर्थात् सुबह 8 बज कर 50 मिनट पर चली लेकिन हजरत-निजामुद्दीन स्टेशन पर इसे 13 मिनट तक रुका रहना पड़ा। इस का कारण यह था कि नयी दिल्ली-तुगलकाबाद माल गाड़ी, जो हजरत निजामुद्दीन स्टेशन से सुबह 8 बजकर 50 मिनट पर चली थी,का एक होज पाइप अलग हो गया जिसकी वजह से वह हजरत निजामुद्दीन और ओखला के बीच 20 मिनट रुकी रही। 362 अप सवारी गाड़ी को हजरत निजामुद्दीन स्टेशन पर रोके जाने पर, यात्रियों ने उस की खतरे की जंजीर को बार-बार और अंधाधुन्ध तरीके से खींचना शुरु कर दिया जिस से हजरत निजामुद्दीन और ओखला के बीच के ब्लाक स्टेशन पर यह गाड़ी 1 घंटा 35 मिनट तक रुकी रही।

किसी प्रैस फोटो ग्राफर के साथ दुर्व्यवहार नहीं किया गया। इस सम्बन्ध में सरकारी रेलवे पुलिस ने तीन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया।

तिलरथ स्टेशन के निकट रेलगाड़ी का पटरी से उतर जाना

1281. **श्री द्वा० ना० तिवारी** :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री विभूति मिश्र :
श्री क० ना० तिवारी :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 22 दिसम्बर, 1964 को उत्तर-पूर्व रेलवे के बरौनी-कटिहार मुख्य लाइन सैक्शन पर 2 डाउन अवध-तिरुहत डाक गाड़ी तिलरथ रेलवे स्टेशन के निकट पटरी से उतर गई थी,

(ख) यदि हां, तो इस के परिणामस्वरूप कितने व्यक्तियों की मृत्यु हो गई और कितनों को चोटें आयीं; और

(ग) दुर्घटना के क्या कारण थे ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां।

(ख) दुर्घटना के फलस्वरूप 5 यात्रियों को मामूली चोटें आयीं।

(ग) लखनऊ-स्थित रेलवे संरक्षा के अपर आयुक्त (Additional Commissioner of Railway Safety) ने इस दुर्घटना की जांच की थी। अभी तक उन्हों ने अपनी अन्तिम रिपोर्ट नहीं दी है। उन के अन्तिम निष्कर्षों के अनुसार यह दुर्घटना तोड़-फोड़ की कार्यवाही के कारण हुई।

कांगडा में सीमेंट कारखाना

1282. **श्री दलजीत सिंह:** क्या **उद्योग तथा संभरण** मंत्री 1 जून, 1964 के अतारांकित प्रश्न संख्या 116 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि पंजाब के कांगड़ा जिले में सीमेंट कारखाना स्थापित करने में अब तक कितनी प्रगति हुई है ;

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र) : 16 अगस्त, 1963 को मैसर्स सुरेन्द्र (ओवरसीज) प्राइवेट लिमिटेड को एक औद्योगिक लाइसेंस कांगड़ा जिले में समलौटी नामक स्थान पर एक सीमेंट के कारखाने की स्थापना करने के लिए दिया गया था लेकिन पार्टी ने अपने को इस कार्य में असमर्थ मान कर उसे वापिस दे दिया जिसे 14 अगस्त, 1964 को रद्द कर दिया गया।

इसी क्षेत्र में सीमेंट का एक कारखाना लगाने के लिए एक और पार्टी के नए प्रार्थना पत्र पर विचार किया जा रहा है।

ट्रैक्शन मोटरें

1283. **श्री प्र० चं० बरूआ:** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रेलवे का अपने वर्कशापों में ट्रैक्शन मोटरें बनाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो वे किस किस्म, नमूने तथा क्षमता की होंगी ; और

(ग) उन्हें किस के सहयोग से बनाने का विचार है ?

रेलव मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) से (ग) जी, हां। चितरंजन रेल इंजन कारखाने में बड़ी लाइन की माल गाड़ियों के इंजन के लिए सम्पूर्णत: लटकाने वाले ए० सी० ट्रैक्शन मोटर तैयार करने की योजना मंजूर हो चुकी है। ये ट्रैक्शन मोटर सीरीज वाऊंड डी० सी० पल्सेटिंग करेंट से चलने वाले 1580 हार्स पावर के होंगे। इस सम्बन्ध में ग्रुप नामक 8 यूरोपीय फर्मों के एक संघ से सहयोग लिया जा रहा है।

दुर्गापुर का कोयला खनन की मशीनें बनाने वाला कारखाना

1284. **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री सं० चं सामन्त :

क्या **उद्योग तथा संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दुर्गापुर का कोयला खनन की मशीनें बनाने वाला कारखाना कोयला धोने की मशीनों का निर्माण करेगा;

(ख) क्या इस प्रयोजन के लिए कोई डिजाइन संगठन स्थापित किया गया है;

(ग) क्या इस के लिये कोई सहयोग प्राप्त किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो सहयोगी का नाम क्या है ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र) : (क) जी हां ।

(ख) अभी नहीं ।

(ग) और (घ) एक डिजाइन तथा इंजीनियरिंग संगठन स्थापित करने के लिए तथा आवश्यक तादाद में कोयला धोने के उपकरणों का उत्पादन करने के लिए पोलिश विशेषज्ञों के साथ बातचीत चल रही है ।

रेलवे अस्पताल

1285. **श्री स० चं० सामन्त :**
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री सुबोध हंसदा :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने रेलवे अस्पतालों में क्षय रोगियों के लिये अतिरिक्ति बिस्तर हैं;

(ख) क्या तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में क्षय रोगियों के लिये व्यवस्था करने के लिए किसी रेलवे अस्पताल का विकास किया गया है;

(ग) इस समय कितने क्षय रोगी रेलवे अस्पतालों की प्रतीक्षा-सूची में हैं; और

(घ) क्षय रोग से पीड़ित रेलवे कर्मचारियों के लिये सामान्य अस्पतालों में कितने स्थान सुरक्षित हैं ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) :(क) 52 रेलवे अस्पतालों में रेलवे चेस्ट क्लिनिक हैं, जिन में क्षय रोगियों के लिये 671 खाटों की व्यवस्था है ।

(ख) जी हां । तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में अब तक रेलवे अस्पतालों में 275 खाटों की व्यवस्था की जा चुकी है और इस योजना की बाकी अवधि में 589 अतिरिक्त खाटों की व्यवस्था करने का कार्यक्रम बनाया गया है ।

(ग) 501 ।

(घ) रेलों ने देश के भिन्न-भिन्न भागों में स्थित सैनीटोरियम में 1061 खाटें आरक्षित कर रखी हैं ।

दांतेवाडा-भद्राचलम रेलवे लाइन

1286. **श्री कोल्ला वैकैया :**
श्री म० ना० स्वामी :
श्री ईश्वर रेड्डी :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने दांतेवाड़ा से भद्राचलम रोड तक बड़ी लाइन बिछाने के लिये इंजीनियरी और यातायात संबंधी प्रारम्भिक सर्वेक्षण की मंजूरी दे दी है ;

(ख) यदि हां, तो यह लाइन लगभग कितनी लम्बी होगी;

(ग) अनुमानित लागत क्या है ;

(घ) कौन कौन से प्रमुख नगर इस लाइन के रास्ते में पड़ेंगे; और

(ङ) सर्वेक्षण दल अपना कार्य कब आरभ करेगा ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) जी हां ।

(ख) इस लाइन की लम्बाई लगभग 259 किलोमीटर है ।

(ग) सर्वेक्षण के काम पर 15·45 लाख रुपये की लागत का अनुमान है । इस लाइन के निर्माण पर कितनी लागत आयेगी इस का पता सर्वेक्षण का काम पूरा होने पर ही लग सकेगा ।

(घ) परीक्षण के तौर पर इस लाइन का जो मार्ग निर्धारण किया गया है, उस पर निम्नलिखित महत्वपूर्ण नगर पड़ेंगे :—

सुकमा
कुंता
कुनावरम

इस लाइन के मार्ग निर्धारण के बारे में तभी निश्चय हो सकेगा जब इस से सम्बन्धित सर्वेक्षण का काम पूरा हो जायेगा ।

(ङ) सर्वेक्षण पार्टी द्वारा क्षेत्र-कार्य फरवरी, 1965 से शुरू कर दिया गया है ।

मध्य प्रदेश में कोयला

1287. **श्री रामेश्वर टांटिया :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश में बढ़िया किस्म के कोयले के निक्षेप मिले हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि उस क्षेत्र में अर्द्ध-कोक कोयले के निक्षेप भी पाये गये हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस क्षेत्र से कुल कितनी मात्रा में कोयला निकाला गया है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) जी, हां ।

(ख) मध्य प्रदेश के कोरबा, चिरमिरी, चरचा-झिलिमिली, विश्राम-पुर और सोहागपुर क्षेत्रों में अधिकांशत: प्रथम श्रेणी के कोयले के लगभग 400 मिलियन मीटरी टन संचयों का अनुमान लगाया गया है ।

(ग) चरचा-झिलिमिली और पंच-कान्हन घाटी से प्राप्त होने वाले कुछ कोयलों में अर्ध-कोकिंग विशेषतायें बताई जाती हैं ।

(घ) वर्ष 1964 में मध्य प्रदेश में लगभग 3·8 मिलियन मीटरी टन कोयला प्रथम श्रेणी तथा इस से ऊंची श्रेणी का निकाला गया है ।

जापानी तरीके से इस्पात का उत्पादन

1288. **श्री शिवमूर्ति स्वामी :**
श्री मधु लिमये :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छोटे पैमाने पर तथा विभागीय आधार पर इस्पात तथा कच्चा लोहा बनाने के जापानी तरीकों का अध्ययन करने के लिए एक अध्ययन दल जापान भेजा गया था;

(ख) यदि हां, तो दल ने क्या सिफारिशें की हैं; और

(ग) देश के वढ़िया किस्म के लौह अयस्क के बाहुल्य वाले क्षेत्रों में जांच करने के लिए इस्पात मिल का ऐसा छोटे पैमाने का उत्पादन यूनिट प्राप्त करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) फरवरी-मार्च, 1964 में एक शिष्ट मंडल जापान गया था । इस का उद्देश्य जापान के इस्पात उद्योग का अध्ययन करना था न कि छोटे पैमाने पर तथा विभागीय आधार पर इस्पात तथा लोहा बनाने के जापानी तरीकों का अध्ययन करना ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

खानों से लोह अयस्क निकालने के लिये मशीनों का प्रयोग

1289. **श्री शिवमूर्ति स्वामी** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में खानों से लोह-अयस्क निकालने में मशीनों का प्रयोग करने के लिये यदि कोई कदम उठाये गये हैं तो वे क्या हैं ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : सरकार की नीति है कि जहां भी उचित हो, लोहे की खानों का यंत्रीकरण करने में प्रोत्साहन दे, जो कि संचयों के किस्म, तलरूप, कार्य के अनुमाप पर निर्भर है । अभी तक सरकारी क्षेत्र में नीचे दी हुई खानों का यंत्रीकरण किया जा चुका है :—

(1) भिलाई इस्पात प्लांट से लगी हुई राजहारा खान ;

(2) राउरकेला इस्पात प्लांट से लगी हुई बरसुआ खान ;

(3) दुर्गापुर इस्पात प्लांट से लगी हुई बोलानी खान जिस में प्रगतिशील यंत्रीकरण हो रहा है ;

(4) राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लि० की किरिबरू लोह अयस्क खानें जो निर्यात के लिये स्थापित की गई हैं ;

ऊपर कही हुई खानों के अतिरिक्त मध्य प्रदेश की बेलादिला के संचय नं० 14 की लौह अयस्क खान, जो कि राष्ट्रीय खनिज विकास निगम द्वारा निर्यात के लिये स्थापित की जा रही है, पूर्ण यंत्रीकरण की हुई खान होगी ।

उड़ीसा की दोतरी खान का, जिसे उड़ीसा खनन निगम लि० विकसित कर रही है भी यंत्रीकरण होगा ।

2. गैर सरकारी क्षेत्र में नीचे दी गई बड़ी खानें यंत्रीकृत हैं :

(1) टाटा लोहा तथा इस्पात कं० लि० की नोमूंदी और जोडा पूर्वी खानें;

(2) भारतीय लोहा और इस्पात कं० लि० की गुआ खान ।

उत्तर रेलवे के धूरी-भटिण्डा सेक्शन पर वस्तुएं विक्रय (वेंडिंग) के ठेकेदार

1290. **श्री बूटा सिंह :**
श्री गुलशन :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री प० ह० भील :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर रेलवे के दिल्ली डिवीजन में धूरी-भटिंडा सेक्शन पर वस्तुएं बेचने के ठेकेदारों के विरुद्ध असन्तोषजनक काम के बारे में जनता तथा रेलवे अधिकारियों से बहुत सी शिकायतें प्राप्त हुई हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इन ठेकेदारों पर प्रशासन ने जुर्माना भी किया था तथा फिर भी उन के काम में कोई सुधार नहीं हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो उन के ठेकों को रद्द न करने के क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभगसिंह): (क) से (ग) जहां तक धूरी स्टेशन का सम्बन्ध है, इस तरह की कोई शिकायत नहीं मिली है। धूरी-भटिण्डा सेक्शन के दूसरे स्टेशनों के बारे में सूचना मंगायी जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

उत्तर रेलवे का डिविजनल लेखा कार्यालय

1891, **श्री ओंकार लाल बेरवा :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जनवरी 1964 से 31 दिसम्बर 1964 तक उत्तर रेलवे के डिविजनल लेखा कार्यालय, नई दिल्ली में दिल्ली डिविजन के चतुर्थ श्रेणी के ईजीनियरी कर्मचारियों तथा तृतीय श्रेणी के वाणिज्य तथा परिवहन कर्मचारियों के कुल कितने अनुपूरक बिल भुगतान के लिए प्राप्त हुए;

(ख) उनमें से कितने भुगतान के लिए पास किए गये, कितने वापिस किये गये और कितने बिलों का अभी भुगतान करना बाकी है;

(ग) 1 जनवरी, 1964 से 31 दिसम्बर, 1964 तक भुगतान के लिए ठेकदारों के कुल कितने बिल प्राप्त हुए ; और

(घ) अभी कितने बिलों का भुगतान करना बाकी है ?

रेलवे मंत्रालय में उप मंत्री (श्री शाम नाथ) : 1-1-1964 से 31-12-1964 तक प्राप्त हुए पूरक बिलों की कुल संख्या

(क) (1) चौथे दर्जे के इंजीनियरी कर्मचारी 939

(2) तीसरे दर्जे के वाणिज्य और परिवहन कर्मचारी 2495

(ख)

	पास किये गये बिलों की कुल संख्या	वापिस किये गये बिलों की संख्या जिन का अभी भुगतान नहीं हुआ है
(1) चौथे दर्जे के इंजीनियरी कर्मचारी	926	13
(2) तीसरे दर्जे के वाणज्यि और परिवहन कर्मचारी	2448	47

(ग) 1-1-1964 से 31-12-1964 तक प्राप्त ठेकेदारों के बिलों की कुल संख्या 1745

(घ) उन बिलों की संख्या जिनका अभी भुगतान नहीं हुआ है कोई नहीं

उदयपुर में जस्ता पिघलाने का कारखाना

1292. **श्री रामचन्द्र उलाका :**
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री 4 दिसम्बर, 1964 के अतारांकित प्रश्न संख्या 952 के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बीच धातु निगम के मामलों पर विचार कर लिया है तथा उदयपुर में जस्ता पिघलाने का कारखाना स्थापित करने के बारे में इस बीच निर्णय कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) और (ख) इस विषय की अभी जांच की जा रही है ।

मैंगनीज अयस्क का उद्योग

1293. **श्री रामचन्द्र उलाका :**
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैंगनीज़ अयस्क उद्योगों की समस्याओं का अध्ययन करने के लिये बनाई गई समति ने अब अपना प्रतिवेदन दे दिया है ;

(ख) यदि हां, तो इसमें मुख्य-मुख्य सिफारिशें क्या हैं; और

(ग) सरकार ने उन पर क्या निर्णय किये हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) समिति ने अपना प्रतिवेदन अभी नहीं दिया है परन्तु उसके शीघ्र ही दिये जाने की आशा है ।

(ख) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठते ।

राजमाश का निर्यात

1294. **श्री विश्वनाथ राय :**
श्री समनानी :
श्री ब्रजेश्वर प्रसाद :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजमाश (दाल) का निर्यात काफी कम हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या इसके निर्यात के लिये मण्डियों का पता लगाने के कोई प्रयत्न किये गये हैं और उनका क्या परिणाम निकला ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) राजमाश निर्यात करने के आंकड़े अलग से नहीं रखे जाते । सूखे खाद्य सेम, जिसमें राजमाश भी शामिल है, का निर्यात 1962–63 में 9,952 रुपये से बढ़ कर 1963–64 में 35,828 रूपये हो गया है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

बर्लिन में प्रदर्शनी

1295. **श्री रामेश्वर टांटिया :**
श्री राम हरख यादव :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम जर्मनी ने 22 सितम्बर से अक्तूबर, 1965 तक बर्लिन में होने वाली प्रदर्शनी में भाग लेने के लिये भारत को आमंत्रित किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत सरकार का विचार प्रदर्शनी में भाग लेने का है ;

(ग) प्रदर्शनी में किस प्रकार की वस्तुएं रखी जायेंगी; और

(घ) प्रदर्शनी में भाग लेने से भारत को क्या लाभ होगा ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) बर्लिन की प्रदर्शनी के अधिकारियों ने भारत सरकार को निमन्त्रण भेजा है ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) और (घ) : प्रश्न ही नहीं उठते ।

इस्पात का आयात

1296. **श्री रामचन्द्र उलाका :**
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **उद्योग तथा संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 1964–65 में इस्पात का आयात करने के लिये उड़ीसा राज्य को कितनी विदेशी मुद्रा नियत की गई है ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र) : उड़ीसा राज्य को लघु उद्योगों के लिये आयात किये गये इस्पात के लिये 1964–65 में 28·09 लाख रूपये की विदेशी मुद्रा आवंटित की गई है ।

उड़ीसा में भारी उद्योग

1297. **श्री रामचन्द्र उलाका :**
श्री धुलेश्वर मीना :
श्री रामचन्द्र मलिक :

क्या **उद्योग तथा संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार 1965–66 में उड़ीसा में कुछ भारी उद्योग स्थापित करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र): (क) और (ख) : जी नहीं ।

उड़ीसा में छोटे पैमाने के उद्योग

1298. **श्री धुलेश्वर मीना :**
श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री रामचन्द्र मलिक :

क्या **उद्योग तथा संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले छः महीनों में छोटे पैमाने के उद्योगों के बारे में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिये उड़ीसा से कितने व्यक्ति विदेशों को भेजे गये हैं; और

(ख) वे किन किन देशों को भेजे गये हैं ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र) : (क) कोई नहीं । विदेशों में प्रशिक्षण के लिए व्यक्तियों को उद्योग विशेष की आवश्यकता और व्यक्ति विशेष की योग्यता के आधार पर भेजा जाता है, राज्य वार नहीं ।

(ख) प्रश्न हीं नहीं उठता ।

Industries in the Public and Private Sectors

1299. **Shri Madhu Limaye :**
Dr. Ram Manohar Lohia :

Will the Minister of **Industry and Supply** be pleased to state :

(*a*) whether Government have collected any data on the period elapsing between the (*i*) completion of the necessary Government consents with regard to industrial licence, licence for import of capital goods, foreign collaboration, issue of capital (*ii*) actual commencement of production and(*iii*)the achievement of full production in various industries in public and private sectors sanctioned since May, 1952 ;

(*b*) if so, the number of units in private and public sectors in the case of which the period between the date of consents and the starting of work for establishing the units and the actual date of commencing production was more than three years ;

(*c*) whether the data collected in this regard shows that, for comparable enterprises, the time was longer in the case of public sector units than for those in the private sector ; and

(d) if so, the reasons therefor, and the steps taken by the Govern ment toimprove the situation?

The Deputy Minister in the Ministry of Industry and Supply (Shri Bibudhendra Misra) : (a) to (d) . Although the Government have not collected any specific data on the points mentioned, they are aware of the comparatively long time-lags that have occurred in several Industrial projects, in the public as well as the private sector, between the grant of governmental sanction and the commissioning of the unit for production. These delays have arisen primarily from the shortage of foreign exchange for the import of plant and equipment, and the difficulties often experienced in securing foreign technical and financial collaboration on suitable and acceptable terms.

जैसप एण्ड कम्पनी

1300. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**
श्री दाजी :

क्या **उद्योग तथा संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रधान मंत्री ने गत वर्ष जब वे पहली बार कलकत्ता गये थे मैसर्स जैसप एण्ड कम्पनी के कर्मचारियों को आश्वासन दिया था कि यदि कम्पनी का प्रबन्ध असन्तोषजनक सिद्ध हुआ तो सरकार इसे पूर्णत: अपने हाथ में ले लेगी ;

(ख) क्या सरकार को उक्त आश्वासन के पश्चात् गम्भीर कुप्रबन्ध तथा बड़े पैमाने पर कर्मचारियों को नौकरी से निकालने के मामलों का पता लगा है ; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र) : (क) प्रधान मंत्री ने 20 सितम्बर, 1964 को मैसर्स जैसप एण्ड कम्पनी, कलकत्ता के अपने दौरे पर यह कहा था कि सरकार का विचार इस कारखाने को अपने हाथ में लेने का है ।

(ख) यह कम्पनी अब बड़े सन्तोषजनक ढंग से चल रही है और उसने उत्पादन और बिक्री में काफी वृद्धि दिखाई है । न तो कुप्रबन्ध का कोई उदाहरण ही देखने में आया है और न बहुत बड़ी संख्या में कारीगरों को काम से ही निकाला गया है । निम्नलिखित कारणों से प्रधान मंत्री के दौरे वाले दिन कर्मचारियों की जो संख्या 10,075 थी वह 9–2–1965 को घटाकर 9,720 कर दी गई है :—

(1) सेवा निवृत्ति .	59
(2) मृत्यु	8
(3) त्यागपत्र	13
(4) छुट्टी लिये बिना अधिक समय तक अनुपस्थित . .	48
(5) आकस्मिक मजदूर	140
(6) अस्थायी मजदूर	87
योग .	355

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Paper Mill in Assam

1301. Shri Onkar Lal—Berwa :

Will the Minister of **Industry and Supply** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government are contemplating to set up a paper mill in Assam;

(b) whether the mill is being set up with foreign collaboration; and

(c) if so, the broad outlines of the proposal ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industry & Supply (Shri Bibudhendra Misra) : (a) to (c). All relevant data on the subject is being collected and a decision will be taken after due consideration of the data obtained.

उत्तर-पूर्व रेलवे में भ्रष्टाचार के मामले

1302. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1964–65 में उत्तर पूर्व रेलवे में रेलवे कर्मचारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के कितने मामले डिवीजनवार पकड़े गए हैं ;

(ख) यह मामले किस प्रकार के हैं ; और

(ग) अपराधी कर्मचारियों को किस प्रकार का दण्ड दिया गया है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) से (ग), एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

[पुस्तकालय में रखा गया । देखिए संख्या एल टी०--4018/65]

उत्तर-पूर्व रेलवे पर स्टेशन

1303. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर-पूर्व रेलवे पर आज तक कितने स्टेशनों पर बिजली लगी हुई है ; और

(ख) 1965–66 में कितने स्टेशनों पर बिजली लगाने का प्रस्ताव है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) 262,

(ख) 5.

फिल्म प्रतिनिधि मण्डल की अमरीका यात्रा

1304. **श्री कोया** ;
श्री रामपुरे :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चार सदस्यों वाले उस भारतीय फिल्म प्रतिनिधिमण्डल ने जिसने हाल में अमरीका यात्रा की थी अपना प्रतिवेदन भारत सरकार को दे दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रतिवेदन की मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी, हां ।

(ख) प्रतिवेदन में दी गई मुख्य बातें और सिफारिशें इस प्रकार हैं :--

(1) हमारे वर्तमान फीचर फिल्मों की अधिक मांग नहीं है, परन्तु हमारे डाकुमेण्टरी फिल्म सं० रा० अमेरिका में लोकप्रिय हैं ।

(2) सं० रा० अमेरिका को भारतीय फिल्मों का निर्यात बढ़ाने के लिये नीचे दिये कदम उठाने आवश्यक होंगे :--

भारत में उपशीर्षक देने की सुविधाओं का विस्तार, सं० रा० अमेरिका में भारतीय चलचित्र निर्यात निगम के एक शाखा कार्यालय की स्थापना और भारत में अमरीकी प्रोड्यूसरों द्वारा चलचित्र बनाने की सुविधाएं होना ।

Manure and Sulphur Factory

1305. **Shri Onkar Lal Berwa** : Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) whether Government have decided to established a factory for manure and sulphur at Khetri;

(b) whether it is being set up with any foreign assistance; and

(c) if so, the countries from which assistance is sought ?

The Minister of Steel and Mines (Shri Sanjiva Reddy) : (a) There is no proposal to set up a factory for sulphur at Khetri, but the sulphur gazes available from the Copper Smelter are proposed to be converted into sulphuric acid. The production of fertilizers to utilise the sulphuric acid is also under consideration.

(b) There is no proposal at present for foreign assistance in the setting up of the fertilizer unit.

(c) Does not arise.

तीसरे दर्जे के सोने के डिब्बे

1306. श्री राम चन्द्र मलिक : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का विचार 1 अप्रैल, 1965 से दक्षिण-पूर्व रेलवे की महत्व-पूर्ण गाड़ियों में तीसरे दर्जे के सोने के अधिक डिब्बे लगाने का है ; और

(ख) यदि हां, तो वे कौन सी गाड़ियां हैं ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) सवाल नहीं उठता ।

Departmental Examination by Railway Board.

1308. **Dr. Ram Manohar Lohia** :
Shri Kishen Pattnayak :
Shri Madhu Limaye :

Will the Minister of **Railway** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Railway Board proposed to hold a limited departmental examination in March, 1962, for filling up vacancies in the grade of Section Officers, the rules in regard to which were issued in August, 1961, but this Examination was postponed and it is now being held in April next;

(b) whether it is also a fact that some reservation of vacancies for Scheduled Castes and Scheduled Tribes to be filled on the basis of the above examination had been made but was not being adhered to; and

(c) if so, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) Originally the Examination was to be held departmentally in March, 1962, but it had to be postponed due to some administrative difficulties. The examination will now be held by the Union Public Service Commission in May, 1965.

(b) and (c) In terms of the extent orders issued by the Ministry of Home Affairs, no reservation is permissible for vacancies in the grade of Section Officers to be filled on the results of the forthcoming examination to be held by the Union Public Service Commission in May, 1965.

आस्ट्रेलिया को पटसन का निर्यात

1310. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्रीमती मैमूना सुल्तान :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान से कड़ी प्रतिस्पर्धा होने के कारण आस्ट्रेलिया में भारतीय पटसन की मांग कम होती जा रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) जी, हां ; जूट की बोरियों के बारे में ।

(ख) निर्यात होने वाले जूट के माल के बारे में जनवरी 1965 से अनिवार्य किस्म नियन्त्रण और जहाजी लदान से पूर्व निरीक्षण लागू कर दिया गया है । जूट आयुक्त के नेतृत्व में एक जूट शिष्ट मण्डल मौके पर बाजार का अध्ययन करने के लिये इस समय आस्ट्रेलिया गया हुआ है । यह शिष्ट मण्डल यह भी पता लगायेगा कि भारत से होने वाला बोरियों का आयात किन कारणों से घट गया है । शिष्टमण्डल के प्रतिवेदन का अध्ययन कर लेने के बाद सरकार उपयुक्त उपाय करेगी ।

मध्य प्रदेश में बस्तर क्षेत्र में रेल सम्पर्क

1311. **श्री विद्याचरण शुक्ल :**
श्री उइके :
डा० चन्द्रभान सिंह :
श्री रा० स० तिवारी :
श्री राम सहाय पाण्डेय :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुनर्वास मंत्रालय की प्रार्थना पर मध्य प्रदेश में बस्तर को दक्षिण तथा उत्तर से मिलाने के लिये बस्तर क्षेत्र में विभिन्न रेल सम्पर्कों के लिये सर्वेक्षण कार्य आरम्भ कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उन रेल सम्पर्कों का, जिनका सर्वेक्षण करने का विचार है, ब्योरा क्या है ; और

(ग) सर्वेक्षण कार्य पूरा होने में कितना समय लगेगा ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) से (ग). दांतेवाड़ा और भद्राचलम रोड (259 कि० मी०) के बीच एक बड़ी लाइन बनाने के लिये जनवरी, 1965 में इंजीनियरिंग और यातायात सर्वेक्षणों की मंजूरी दी गयी थी और आशा है, सर्वेक्षण का काम दिसम्बर, 1965 तक पूरा हो जायेगा । इसके अलावा 1965–66 में दण्डकारण्य क्षेत्र में कुछ दूसरी नई सम्पर्क

लाइनों के निर्माण की व्यावहारिकता और लागत के सम्बन्ध में भी अध्ययन करने का विचार है, जैसे दांतेवाड़ा से ढल्ली राजहरा तक एक लाइन और अम्बागुडा के पास से रायपुर-विजयनगरम लाइन पर तेल नदी के दक्षिण किसी स्थान तक दूसरी लाइन। इस काम के लिये बजट में 50,000 रुपये की व्यवस्था की गयी है।

सहायक उद्योग समिति

1312. **श्री विद्या चरण शुक्ल :**
श्री उइक :
डा० चन्द्रभान सिंह :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री प० ह० भील :
श्री चांडक :
श्री राम सहाय पाण्डय :

क्या **उद्योग तथा संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार से मध्य प्रदेश में सहायक उद्योग समिति की एक उप-समिति नियुक्त करने के लिये कोई सुझाव प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में कोई निर्णय किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र) : (क) जी हां।

(ख) इस प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है।

(ग) इसका ब्योरा विचार खत्म होने के बाद ही मालूम हो सकता है।

"कोल्ड रोल्ड ब्लैक प्लेन शीट्स"

1313. **श्री विद्याचरण शुक्ल :**
श्री उइके :
डा० चन्द्रभान सिंह :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री प० ह० भील :
श्री चांडक :
श्री राम सहाय पाण्डेय :

क्या **उद्योग तथा संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अक्तूबर, 1962 से मार्च, 1963 तक विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा "कोल्ड रोल्ड ब्लैक शीट्स" की कितनी मात्रा की मांग की गई तथा वास्तव में उनको कितना आबंटन किया गया ; और

(ख) ऐसा आवंटन किस आधार पर किया जाता है ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र) : (क) विभिन्न राज्यों के लघु उद्योगों के लिए उद्योग निदेशकों से प्राप्त कोल्ड रोल्ड ब्लैक प्लेन शीटों की मांग तथा अक्तूबर, 1962—मार्च, 1963 तक की अवधि के लिए लघु उद्योग कोटे के अन्तर्गत किए गए नियतन का ब्योरा निम्न प्रकार है :—

राज्य का नाम	मांग मीट्रिक टनों में	नियतन मीट्रिक टनों में
आंध्र प्रदेश	17,750	2,750
आसाम	2,820	500
बिहार	7,000	1,540
गुजरात	12,500	1,400
केरल	2,000	400
मध्य प्रदेश	9,573	1,500
मद्रास	4,817	1,400
महाराष्ट्र	17,500	2,750
मैसूर	2,450	875
उड़ीसा	3,100	675
पंजाब	11,837	4,735
राजस्थान	7,000	2,200
उत्तर प्रदेश	15,845	3,750
पश्चिम बंगाल	10,000	3,250
जम्मू तथा काश्मीर	1,468	275
हिमाचल प्रदेश	900	100
त्रिपुरा	120	50
मनीपुर	—	—
पांडीचेरी	125	50
दिल्ली	9,000	1,750
गोआ, दामन ड्यू	167	50
कुल	1,35,972	30,000

(ख) विभिन्न राज्यों को नियतन उद्योग निदेशकों से प्राप्त अक्तूबर, 1962 से मार्च, 1963 की पिछली अवधि के लिए मांग और नियतन को दृष्टि में रख कर ही किया गया था।

Paper Mill in Mysore

1314. Shri Madhu Limaye : Will the Minister of **Industry and Supply** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a new paper mill is being set up with the Canadian assistance in Shimoga District, Mysore State;

(b) if so, its proposed capacity;

(c) the nature of Canadian assistance expected to be received in this connection; and

(d) when it is likely to be set up ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industry & Supply (Shri Bibudhendra Misra) : (a) Yes, Sir. A private firm have been issued a letter of intent for the establishment of a newsprint/paper plant near Shimoga, Mysore State.

(b) 30,000 tons of newsprint[paper per year.

(c) The Canadian firm is to provide the technical know-how and also assist the Indian firm in the procurement of the imported part of the machinery under deferred payment terms. The details of the proposals and the full economics of the scheme, have however, yet to be worked out.

(d) It is difficult to forecast, at this stage, when exactly the mill will be set up.

"कन्टेनर सर्विस"

1315. श्री श० ना० चतुर्वेदी : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि किन्हीं मार्गों पर 'कन्टेनर सर्विस' चालू की गई है ;

(ख) यदि हां, तो कितने मार्गों पर ; और

(ग) क्या इसकी व्यवस्था केवल एक्सप्रेस माल गाड़ियों में होती है या अन्य रेलगाड़ियों में भी ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : जी नहीं। लेकिन आशा है कि जुलाई, 1965 तक बम्बई और अहमदाबाद के बीच परीक्षण के तौर पर कन्टेनर सर्विस चालू हो जायेगी ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

सोने और चांदी की खोज

1316. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी योजना में देश में सोने और चांदी के खोज-कार्य को बढ़ाने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) जी हां ।

(ख) चौथी योजना में मद्रास केरल में वयनाद सोना क्षेत्र, मैसूर में बेलारा और अज्जनहाली (तुमकर में), मंगलौर (गुलबर्ग में), कैम्पी कोट (हस्सन में), होराली (शिमोगा में) के सोने के क्षेत्र तथा बिहार में सिंघभूमि और धनबाद जिलों के स्वर्णिक-लौह क्षेत्रों में विस्तृत अन्वेषण किये जाने का विचार है । राजस्थान में उदयपुर में सिक्का जस्ता पर्तों का, जिसके अयस्क में चांदी भी मिश्रित है, अन्वेषण भी आगे जारी रखने का विचार है । भारत में चांदी अयस्क का स्वतन्त्र रूप से मिलने का अभी तक कोई अभिलेख नहीं है । इसे सिक्का-जस्ता या सोना अयस्क से उप-पदार्थ के रूप में प्राप्त किया जाता है ।

केलों का निर्यात

1317. **श्री मलाइछामी :**
श्री म० प० स्वामी :

क्या **वाणिज्य** मंत्री 20 दिसम्बर, 1963 के तारांकित प्रश्न संख्या 685 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र में दो निगम स्थापित होने के पश्चात् 1964-65 में केलों के उत्पादन में क्या सुधार हुआ है ; और

(ख) इस अवधि में केलों का कितनी मात्रा में निर्यात हुआ और उनका मूल्य क्या था ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) केवल एक सरकारी क्षेत्र निगम अर्थात् केला तथा फल विकास निगम, मदरास की अभी तक स्थापना की गई है । आंध्र प्रदेश, मदरास तथा महाराष्ट्र राज्यों में 1964–65 में केलों की निर्यात योग्य किस्मों का उत्पादन बढ़ाने की योजनाएं मंजूर हो चुकी हैं ।

(ख) 20 लाख रुपये मूल्य का 5453 मी० टन ।

राझेरा तथा नन्दिनी खानें

1318. **श्री मुहम्मद इलियास :**
डा० रानेन सेन :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के अधीन राझेरा तथा नन्दिनी खानों में खान अधिनियम के उल्लंघन की कोई शिकायत प्राप्त हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं और उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) और (ख). कुछ शिकायतें मिली थीं । भिलाई इस्पात कारखाने के प्रबन्धकों से उनकी जांच करने को कहा गया था ।

मध्य प्रदेश खनन निगम

1319. **श्री चांडक :**
श्री हुकम चन्द कछवाय :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने सोहागपुर तहसील के बख्शी तथा बार्खा गांवों में कोयले वाले क्षेत्रों तथा शक्ति तहसील के डोमरपारा गांव में डोलोमाइट वाले क्षेत्रों के लिये मध्य प्रदेश खनन निगम को खनन पट्टा देने की सिफारिश की है ;

(ख) यदि हां, तो मध्य प्रदेश खनन निगम से आवेदन पत्र कब प्राप्त हुआ था ;

(ग) क्या पट्टा दे दिया गया है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके कब दिये जाने की संभावना है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) और (ख). मध्य प्रदेश खनन निगम को सोहागपुर तहसील के अन्तर्गत बकाही और बकाहो ग्रामों में 2438.95 एकड़ भूमि से कोयला निकालने का खनन पट्टा प्रदान करने की सिफारिश मध्य प्रदेश सरकार से अक्तूबर, 1964 में प्राप्त हुई है। डोलोमाइट के लिये कोई आवेदन-पत्र अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) और (घ). उक्त प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है।

Railway Accident near Sholapur Station

1320. **Shri Kamble :**
Shri D. S. Patil :
Shri Baswant :
Shri Tulshidas Jadhav :

Will the Minister of *Railways* be pleased to state :

(a) whether any rail accident took place near Sholapur Station on the 16th January, 1965; and

(b) if so, the amount of loss of life and property caused as a result there of ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Sham Nath) (a) No. however, on 16-1-1965 a motor lorry dashed against a level crossing gate near the Down Outer Signal of Hotgi Station.

(b) As a result of this accident, a 4-year old boy, ths son of the gateman, was killed.

The cost of damage caused to the gate was approximately Rs. 10/- only.

राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के कोयले की बिक्री

1321. { **श्री रामेश्वर टांटिया :**
श्री यमुना प्रसाद मंडल :

क्या **इस्पात और खान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय कोयला विकास निगम ने प्रथम श्रेणी का कोयला उन मूल्यों से कम मूल्यों पर बेचने को कहा है जो कोयला खान नियन्त्रण आदेश के अन्तर्गत कानूनी तौर पर निर्धारित किये गये हैं ;

(ख) उक्त आदेश के विपरीत कार्य करने के क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या यह प्रथा भविष्य में जारी रहेगी ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते।

Centralised Traffic Control System on N. E. Railwa

1322. Dr. Mahadeva Prasad: Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that arrangements are being made to introduce Centralised Traffic Control System on the North Eastern Railway;

(b) if so, the progress made in this direction and the expenditure incurred there so far; and

(c) the total expenditure involved in introducing the aforementioned system on the entire North Eastern Railway?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh):(a) Yes Sir, Centralised Traffic Control System is being provided on the Gorakhpur-Chupra section (179 route kms.) of the North Eastern Railway.

(b) Progress made so far is 68%. Expenditure incurred so far is Rs. 2.25 crores.

(c) The expenditure involved in introducing the a forementioned system on the Gorakhpur-Chupra section will be Rs. 3.94 crores.

It is not proposed at present to provide Centralised Traffic Control System on any other section of North Eastern Railway.

Fire to a Goods Wagon

1323. { **Shri Hukam Chand Kachhavaiya:**
Shri Onkar Lal Berwa:

Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a goods wagon caught fire at Varanasi cantonment station on the 5th March, 1965;

(b) if so, the cause of the fire; and

(c) the estimated amount of the loss caused as a result thereof?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh): (a) Yes, but the incident occurred on 4-3-1965.

(b) According to preliminary enquiry, the fire is suspected to have been caused by the sparks coming out of the chimney of a steam locomotive which passed by the side of the ill-fated wagon. The exact cause of fire would be known only after a thorough probe by a Joint Enquiry Committee.

(c) Rs. 35,088/- approximately.

कमपाला में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेला

1324. **श्रीमती मैमूना सुल्तान** : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कमपाला में हाल में हुए उगांडा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में भारत को सर्वोत्तम राष्ट्रीय पेवेलियन के लिए प्रथम पुरस्कार मिला था ;

(ख) यदि हां, तो भारतीय पेवेलियन की मुख्य मुख्य बातें क्या थीं; और

(ग) उसमें भारतीय उद्योग के किन पहलुओं को प्रदर्शित किया गया था ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी, हां ।

(ख) सुरुचिपूर्ण ढंग के से सजाये गये भारतीय मण्डप में भारत से निर्यात किये जाने योग्य बहुत से उत्पादों का प्रदर्शन किया गया था, जिनमें हमारे नवनिर्मित उत्पादों पर विशेष बल दिया गया था । राष्ट्रीय पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत होने वाले भारत के औद्योगिक विकास को फोटो चित्रों, चार्टों इत्यादि के द्वारा प्रदर्शित किया गया था ।

(ग) प्रदर्शित की गई वस्तुओं में इंजीनियरी और बिजली के सामान, रसायनों, दवाइयों, और सम्बद्ध उत्पादों, प्लास्टिक के सामान, चमड़ा और रबड़ की वस्तुओं, वस्त्रों, खाद्य पदार्थों आदि को प्रमुखता दी गई थी ।

दिल्ली प्रशासन को सीमेंट का सम्भरण

1325. **श्रीमती मैमूना सुल्तान** : क्या **उद्योग तथा संभरण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन ने राजधानी में भवन निर्माण योजनाओं की कार्यान्विति सुनिश्चित करने के लिए सीमेंट के सम्भरण के लिए सरकार को हाल ही में एक संकट सन्देश (एस० ओ० एस०) भजा है ;

(ख) यदि हां, तो कितने सीमेंट की मांग की गई है ; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुधैन्द्र मिश्र): (क) से (ग). दिल्ली प्रशासन का अन्तिम पत्र 28–12–1964 को मिला था । दिल्ली के 33,000 मी० टन के सामान्य तिमाही

आवंटन के अलावा चालू तिमाही में दिल्ली को 25,000 मी० टन अतिरिक्त सीमेंट दिया गया। देश में सीमेंट की अत्यधिक कमी होने के कारण जितना सीमेंट इस समय उपलब्ध होता है उससे सीमेंट की सारी मांग पूरी नहीं हो सकती है। दिल्ली प्रशासन तथा अन्य राज्यों को हाल ही में सीमेंट के इस्तैमाल में कमी करने तथा परम्परागत इमारत निर्माण सम्बन्धी सामग्री जैसे चूने के मसाले के इस्तैमाल को प्रोत्साहन देने की सलाह दी गई है।

कतार से उद्योग तथा व्यापार प्रतिनिधिमण्डल

1326. **श्रीमती मैमूना सुल्तान** : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस देश में विनियोजन की सम्भावनाओं का पता लगाने तथा कतार की औद्योगिक परियोजनाओं के लिए भारतीय सहयोग प्राप्त करने के लिए कतार से हाल ही में एक उद्योग तथा व्यापार प्रतिनिधि मण्डल नई दिल्ली आया था ; और

(ख) यदि हां, तो उनके साथ किन विशेष प्रस्तावों पर चर्चा की गई थी; और उस चर्चा का क्या परिणाम निकला ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी): (क) और (ख). भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग चेम्बर संघ के निमन्त्रण पर 21–2–65 से 7–3–65 तक कतार के वाणिज्य चेम्बर के एक शिष्ट मण्डल ने भारत का दौरा किया। शिष्ट मण्डल का मुख्य उद्देश्य भारत के व्यापारियों और निर्यातकों के साथ व्यक्तिगत सम्पर्क स्थापित करना था। जहां तक हमें पता है, भारत में पूंजी लगाने अथवा कतार की औद्योगिक प्रायोजनाओं में भारतीय सहयोग के विषय में शिष्ट मण्डल ने अपनी भारत यात्रा के दौरान में कोई बातचीत नहीं की है।

लौह-अयस्क के लिये परिष्करण संयंत्र

1327. **श्रीमती मैमूना सुल्तान** : क्या **इस्पात और खान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस्पात परियोजनाओं के लिए अपेक्षित लौह-अयस्क तैयार करने के लिए परिष्करण तथा सिन्टरिंग सन्यन्त्र का जाल बिछाने की एक योजना है;

(ख) यदि हां, तो कितने सन्यन्त्र स्थापित किये जायेंगे तथा कहां कहां; और

(ग) योजना का अन्य ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) से (ग). कुछ इस्पात कारखानों में पहले ही से अभिशोधन और सिन्टरिंग सन्यन्त्र है। कई नई योजनाएं भी क्रियान्वित की जा रही हैं। ब्यौरे सभा पटल पर रखे गए विवरण में दिए गए हैं। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 4022/65]**

स्थगन प्रस्ताव तथा ध्यान दिलाने वाली सूचना के बारे में

RE: MOTION FOR ADJOURNMENT AND CALLING ATTENTION NOTICE

पाकिस्तानी सेनाओं द्वारा गोलीबारी

अध्यक्ष महोदय : मुझे निम्नलिखित विषय पर एक स्थगन प्रस्ताव और कई ध्यान दिलाने वाली सूचनायें मिली हैं ;

दिनांक 19 मार्च 1965 के "टाइम्स आफ इण्डिया" में छपी इस चिन्ताजनक खबर, कि कूच बिहार ज़िले के मेकलीगंज थाने के क्षेत्र में सशस्त्र पाकिस्तानी सेनाओं ने गोलीबारी की है और सम्पत्ति लूटी है, पर तुरन्त विचार किया जाय ।

क्या मन्त्री महोदय अभी इस विषय पर कुछ कहना चाहते हैं ?

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : ऐसा समाचार है कि विदेशी सेना वहां पर है ।

श्री नाथ पाई (राजापुर) : फिर पाकिस्तान के विदेश मन्त्री ने कहा है कि भारत ने दाहाग्राम में भारत ने आक्रमण और अतिक्रमण किया है ।

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : मैंने कुछ जानकारी एकत्र की है । यदि आप आज्ञा दें तो मैं आज दिन में वक्तव्य दे सकता हूं और सदन के समक्ष सभी तथ्य रख सकता हूं । यह बात ठीक है कि पाकिस्तान इस सम्बन्ध में बहुत गड़बड़ कर रहा है । हम इस पर विचार कर रहे हैं । मैं इस सम्बन्ध में 4–30 म० प० एक वक्तव्य दूंगा ।

अध्यक्ष महोदय : अच्छा हम इसे 4–30 बज लेंगे ।

लोक महत्व क अविलम्बनीय विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

जमुना बाजार दिल्ली की झुग्गियों का गिराया जाना

Shri Bade (Khargone): Sir, I call the attention of the Minister for Works and Housing to the following matter of urgent public importance and request him to make a statement thereon:

> "The ruthless demolition of Jhuggies in Jamuna Bazar, Delhi on the 13th March, 1965 and resulting in the death of one person".

निर्माण और आवास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) : दिल्ली डवलपमेंट अथारिटी की ज़मीन पर यमुना बाज़ार एरिया में लगभग 2,000 अनधिकृत झोंपड़ियां थीं । चन्द्रावल वाटर वर्कस से दक्षिणी दिल्ली की बस्तियों में पानी सप्लाई करने के लिए और चहार दीवारी के अन्दर शहर में तथा हार्डिंग

[श्री मेहर चन्द खन्ना]

ब्रिज एरिया को पानी की सप्लाई और अधिक बढ़ाने के लिए इस ज़मीन में से एक 36 इंच की पाईप लाइन डालनी थी। यह देखा गया कि पाईप लाईन को डालने का काम शुरू करने से पहले लगभग 144 झोंपड़ियों को हटाना ज़रूरी था। झोंपड़ियों के रहने वालों को सर्दी के मौसम में परेशानी से बचाने के लिए इन 144 झोंपड़ियों का हटाया जाना स्थगित कर दिया गया था। गर्मियों के आने से पानी की सप्लाई की प्रायोजना का कार्य आरम्भ करने का मामला अत्यन्त आवश्यक हो गया और इसलिए यह तय किया गया कि 13 मार्च, 1965 को झुग्गी झोंपड़ी हटाने की योजना के अन्तर्गत इन 144 झोंपड़ियों को हटा दिया जाये।

हटाने की कार्यवाही के शुरू होने के बाद, तुरन्त ही झोंपड़ियों के रहने वालों ने यह अनुरोध किया कि उन्हें झोंपड़ियों को स्वयं गिराने तथा पास में ही खाली पड़ी ज़मीन पर स्थान परिवर्तन करने की इजाज़त दे दी जाये। हटाने की कार्यवाही में लगे प्राधिकारियों ने उनके इस अनुरोध को मान लिया। लेकिन केवल लगभग आधे दर्जन गैर काननी तौर पर बैठे लोगों (स्कवैटर्स) ने ही स्वयं अपने आप उस स्थान की ओर जाना शुरू किया। उनमें से एक श्री मनफूल सिंह थे जो कि टूटे टिन शेड को स्वयं वैकल्पिक स्थान की ओर ले जाने लगे। ऐसा करते समय वे लड़खड़ा कर गिर पड़े। कहा जाता है कि उनकी मृत्यु हार्ट फेल हो जाने की वजह से हो गई जैसा कि पोस्ट मार्टम की रिपोर्ट से पता चला है।

इस एरिया में से हटाये गये 144 झोंपड़ी के निवासियों में से बाद में, उनको दिये गये वैकल्पिक वास के आवंटन की पर्चों को स्वीकार करने के लिए, 70 झोंपड़ी निवासी आये। इन 70 स्क्वैटर्स में से प्रत्येक को झुग्गी झोंपड़ी योजना के अन्तर्गत सीलमपुर (32) और वज़ीरपुर (38) में 25 वर्ग गज की कैम्पिग साईट आवंटित की गयी है।

Shri Yashpal Singh (Kairana): Is it a fact that officials of the demolition squad were given instructions to use force, if not, what action is proposed to be taken against those officials who caused the death of Manphool Singh?

Shri Mehr Chand Khanna: No such instructions are ever given. We are tackling this problem very sympathetically. We have provided accommodation to 15,000 families. In order to overcome the shortage of water a pipe from Chandrawal is being laid. For that we wanted to remove 144 families out of a total of 2,000 families.

Shri Hukum Chand Kachhavaiya (Dewas): The demolition of Jhuggies is in progress for the last one month and in many areas it has been carried out. There has actually been three deaths on account of this. Will the hon. Minister assure the House that force will not be used in it and those people who have settled on railway land will also be provided alternate land?

Shri Mehr Chand Khanna: There has been manyfold increase in the number of slum dwellers in Delhi during last four years. People have been coming from other places and occupying land here in an unauthorised way. We do not want to use force to remove them but they have got to be removed if we want to clear slums. Those who are staying since 1960 are being given 80 sq. yards of land.

Shri Naval Prabhakar (Delhi-Karol Bagh): Is it a fact that among the 144 families removed, there were in those families 3 such women who had delivered children only three days back.

Shri Mehr Chand Khanna: We have given one month's notice to the Jamuna Bazar families and land was offered to them according to their choice, but they did not go themselves. In regard to delivery cases I am not aware.

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती (बैरकपुर) : श्रीमान्, मैंने स्वयं देखा है कि हटाये जाने वाले लोगों में कुछ ऐसी भी महिलायें थीं जिन्होंने पिछली रात बच्चों को जन्म दिया था। उनको चले जाने को कहा गया और उनके घर गिरा दिये गये। क्या सरकार इन गरीब लोगों को समीप ही जगह नहीं दे सकती। उनकी कच्ची झोंपड़ियां गिरा दी गई हैं और पास ही पक्की बिल्डिंग अर्थात् धर्म संघ होस्टल जो बीच में आती है छेड़ा तक नहीं गया। इसके क्या कारण हैं ?

श्री मेहर चन्द खन्ना : मैंने भी स्वयं वहां जाकर देखा है।हमने केवल उन्हीं झुग्गियों को हटाया है कि जो प्रस्तावित पाइप के समीप आती थीं। जहां तक होस्टल वह समीप नहीं है। ऐसा मुझे बताया गया है।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : मेरा प्रश्न था कि उनको समीप ही स्थान क्यों नहीं दिया जाता ताकि वे जीविका उपार्जन कर सकें।

श्री मेहर चन्द खन्ना : हमें 50,000 परिवारों को स्थान देना है। सरकार के निर्णय के अनुसार इन को दिल्ली के निकट ही स्थान दिया जायगा। जो 1960 से पहले से रह रहे हैं को 80 वर्ग गज भूमि मिलेगी शेष को 25 वर्ग गज।

Shri Bagri (Hissar): In view of the shortage of residential accommodation, will the Government acquire big bunglows which have surplus land around them.

Shri Mehr Chand Khanna: It is correct that houses which were built in past have big compounds around them but now we want to make intensive use of land multi-storeyed buildings are being constructed.

Shri Maurya (Aligarh): The race course in New Delhi has now been surrounded by residential houses. Will not the Government convert this Race course into a residential area?

Shri Mehr Chand Khanna: This area has been shown as green in the Master Plan. It cannot be changed . It will remain like that.

श्री दाजी : क्या यह सच है कि इन लोगों को दिये जाने वाले प्लाट स्थायी रूप से नहीं दिये जाते और इसी कारण वे लोग वहां नहीं जाना चाहते।

श्री मेहर चन्द खन्ना : यह प्लाट इन लोगों को किराये पर दिये जायेंगे और स्वामित्व के आधार पर नहीं।

Shri Balmiki (Khurja): Is it a fact that no notice was given to Jamuna Bazar Jhuggi dwellers that they were to be removed and their Juggies demolished. Is it also a fact that Police used excessive force and one person died on account of Police's excesses and whether an enquiry will be conducted into all this?

Shri Mehr Chand Khanna: We give advance notice to them. They were to be removed in winter but on their representations to the Prime Minister it was postponed to summer. Now this action has been taken to ensure water supply to Delhi City.

Shri Kishan Pattnayak: The problem of Jhuggi dwellers is connected with the modernisation of Delhi City. I want to know whether there is any scheme under the consideration for promoting their economic standard and providing residential accommodation ?

Shri Mehr Chand Khanna: Our information is that all of them are employed and regarding accommodation I can say that we are giving plots.

सदस्य द्वारा व्यक्तिगत स्पष्टीकरण

PERSONAL EXPLANATION BY A MEMBER

श्री रंगा (चित्तूर) : मैंने मंगलवार जो यह कहा था 'आप को खड़ा नहीं होना चाहिये' उस पर खेद प्रकट करना चाहता हूं । यह उस समय की बात है जब श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी श्री खाडिलकर को जवाब दे रहे थे । मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिये था ।

अध्यक्ष महोदय : मैं श्री रंगा का आभारी हूं । इस से मैं बहुत प्रभावित हुआ हूं । मैं उन्हें आश्वासन देता हूं कि जब कभी कोई ऐसी बात कही जाती है तो मैं अपने में यह बात नहीं रखता ।

ध्यान दिलाने वाली सूचना के बारे में प्रश्न

RE: CALLING ATTENTION NOTICE (QUERY)

श्री उ० मू० त्रिवेदी (मंदसौर) : मैं ने एक ध्यान दिलाने की सूचना दी थी । यह बहुत महत्वपूर्ण विषय के बारे में है । पूरे मंदसौर ज़िले में हिन्दुओं को होली मनाने नहीं दी जा रही है ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य एक दल के नेता हैं । यह शान्ति और व्यवस्था का प्रश्न है अतः इसे संसद् में चर्चा का विषय नहीं बनाया जा सकता ।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र) : श्री त्रि० ना० सिंह की ओर से मैं निम्नलिखित पत्रों की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :

(1) समवाय अधिनियम, 1956 की धारा 619 क की उपधारा (1) के अन्तर्गत हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड, रांची, की वर्ष 1963-64 के वार्षिक

प्रतिवेदन की एक प्रति, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखा-परीक्षक की टिप्पणियों सहित ।

(2) उक्त कम्पनी के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 4014/65]

अध्यक्ष द्वारा दिये गये निदेशों में संशोधन

AMENDMENTS TO DIRECTIONS BY THE SPEAKER

सचिव : में निदेश 2 में किये गये संशोधनों की एक प्रति तथा लोकसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के अन्तर्गत अध्यक्ष द्वारा दिये गये निदेश 113ख की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं ।

श्री नरेंद्र सिंह . महीडा (आनन्द) : इसकी एक प्रति हमें दी जाये ।

अध्यक्ष महोदय : इसे समाचार—भाग 2 में प्रकाशित किया जायेगा और प्रत्येक माननीय सदस्य को मिल जायेगा ।

सभा का कार्य

BUSINESS OF THE HOUSE

संचार तथा संसद् कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह) : श्रीमान् जी, आप की अनुमति से मैं यह घोषणा करता हूं कि 22 मार्च, 1965 से आरम्भ होने वाले सप्ताह में निम्नलिखित सरकारी कार्य लिया जायेगा :—

(1) शष सरकारी कार्य जो आज के क्रमपत्र से बच जावेगा ।

(2) 1965-66 के सामान्य आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा ।

(3) 1965-66 के लिये लेखानुदानों की मांगों (सामान्य) का सभा के मतदान के लिये रखा जाना ।

(4) उद्योग (विकास तथा विनियमन) संशोधन विधेयक, 1965, जैसे राज्य सभा ने पास किया, का विचार तथा पास करना ।

मैं सभा को यह भी बता दूं कि विभिन्न मंत्रालयों की अनुदानों की मांगों पर चर्चा और मतदान, जो कि सोमवार, 29 मार्च, 1965 को आरम्भ होगा, निम्नलिखित क्रमानुसार लिया जायगा :

सामाजिक सुरक्षा
प्रतिरक्षा
संचार
वैदेशिक-कार्य
असैनिक उड्डयन
वाणिज्य
सिंचाई और विद्युत्
सामुदायिक विकास तथा सहकार
सूचना और प्रसारण
पुनर्वास
श्रम और रोजगार
परिवहन
स्वास्थ्य
उद्योग तथा संभरण
शिक्षा
गृह-कार्य
खाद्य तथा कृषि
इस्पात और खान
पैट्रोलियम और रसायन
वित्त
निर्माण और आवास
विधि

एक ऐसा विवरण जिसमें समय निर्धारित किये हुए के आधार पर यह दिया हुआ है कि किस दिन किस मंत्रालय की मांगों पर चर्चा होने की आशा है लोक सभा सचिवालय को अलग भेज दिया गया है ताकि लोक-सभा समाचार--भाग 2 के द्वारा सदस्यों को परिचालित कर दिया जावे ।

अध्यक्ष महोदय : उस दिन यह वचन दिया था कि सोमवार को सामान्य बजट पर अवश्य चर्चा आरम्भ होगी परन्तु अब कहते हैं कि जो आज की चर्चा से बचेगा वह पहले लिया जावेगा । यह तो वचन के अनुकूल नहीं है ।

श्री सत्य नारायण सिंह: उस दिन यह बताया गया था कि केरल के मामले के कारण कुछ बाधा हो गई है और इस का हमें पहले पता नहीं था । हम ने सोचा कि वहां सरकार बन जावेगी और यहां उस विषय पर कोई चर्चा नहीं होगी । मैं ने और वित्त मंत्री ने आपको इस बारे में प्रार्थना भी की है । हम केरल के मामले के अतिरिक्त और कुछ पहले यहां लेने वाले नहीं हैं । हम ने इसे जांचा है और इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि इसे सामान्य बजट के बाद नहीं लिया जा सकता । मुझे

पता है कि सदस्यों को कुछ असुविधा पहुंची है । इसलिये यदि सोमवार की बजाय मंगलवार को आरम्भ करें तो कोई हर्ज नहीं है ।

श्री मी० रु० मसानी (राजकोट) : सोमवार से हम 6 बजे तक बैठेंगें और इस प्रकार हमारे पास प्रतिदिन $5\frac{1}{2}$ घंटे होंगे । वैसे सामान्य बजट के लिये 20 घंटे निर्धारित किये हैं और इस प्रकार 25 तारीख को बजट पर चर्चा समाप्त हो जावेगी । बाकी के मामले 26 तारीख को लिये जा सकते हैं । यह काम बिना बाधा के हो सकता है ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती (बैरकपुर) : पहले यह निश्चित हुआ था कि सामान्य बजट पर शुक्रवार से चर्चा आरम्भ होगी । तत्पश्चात सर्वसम्मति से यह बात मान ली गई कि इसे सोमवार से लिया जाव । इसलिये अब मुझे आश्चर्य है कि मंत्री महोदय इसे इस प्रकार लावे । इसलिये हम इसे सोमवार से आरम्भ कर के वह महत्व दें जो इसे देना चाहिये ।

श्री उ० मू० त्रिवदी (मंदसौर) : जो मांगों के लिये समय निर्धारित किया है उस पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है ।

अध्यक्ष महोदय : एक बार हम यह समय निर्धारित कह दें तो फिर इस को ठीक प्रकार से पालन करना होगा ।

केरल के मामले को मैं वित्त मंत्री पर छोड़ता हूं । यदि हम इसे 26 तारीख तक समाप्त कर दें तो क्या राज्य सभा में इसके बाद नहीं लिया जा सकता ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : मुझे पता नहीं है कि दूसरा सदन इसे समय पर समाप्त कर सकेगा । वैसे इसके बारे में संसद् कार्य मंत्री को अधिक पता है ।

श्री सत्य नारायण सिंह : यदि इसे सोमवार को आरम्भ किया जावे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय: अब हम सामान्य आय-व्ययक पर चर्चा सोमवार से आरम्भ करेंगें ।

सशस्त्र सेना (विशेष शक्तियां) जारी रखना विधेयक

ARMED FORCES (SPECIAL POWERS) CONTINUANCE BILL

अध्यक्ष महोदय : अब सदन श्री स्वर्ण सिंह द्वारा 12 मार्च को प्रस्तुत किये गये निम्नलिखित प्रस्ताव पर आगे चर्चा करेगा :—

> "कि सशस्त्र सेना (विशेष शक्तियां) विनियम, 1958 कुछ और अवधि के लिये जारी रखने वाले विधेयक पर विचार किया जावे ।"

श्री दाजी बोल रहे थे ।

श्री दाजी (इन्दौर) : मुझे सेना को यह विशेष शक्तियां देने पर कोई आपत्ति नहीं है । परन्तु प्रश्न यह है कि इन शक्तियों के होते हुए सेना क्या कर पाई है । इन शक्तियों के होते हुए भी

[श्री दाजी]

हमारी सेना नागा विद्रोहियों को पाकिस्तान जाने से नहीं रोक सकी । मेंने पहले भी कहा था कि नागा विद्रोहियों ने पाकिस्तान में सैनिक शिक्षा के लिये एक सैनिक अकादमी खोली है और वहां से प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं । 1500 विद्रोही पाकिस्तान गये और उनमें से एक भी नहीं पकड़ा जा सका ।

जब मंत्री महोदय से इस विषय पर बात की तो उन्होंने कहा कि यह समझौते म लिखी गई शर्तों के विरुद्ध नहीं है । यदि हमने अपनी सेना को इन विशेषाधिकार देकर भेजा है तो नागा विद्रोहियों का इस प्रकार जाना क्यों नहीं बन्द किया । क्या इसका अर्थ हम यह लें कि नागा विद्रोहियों को अपनी शक्ति बढ़ाने का मामला उनके लिए खुला छोड़ दिया है और वह बातचीत की अवधि को यूंही महीनों तक बढ़ाते चले जावें ? इससे तो यह प्रतीत होता है कि या तो समझौता लिखते समय कोई त्रुटि रह गई और या इन तथाकथित शान्ति के दूतों को हम ने अधिक अधिकार दे दिये हैं और वे हमारे आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहे हैं जिसका हमें पता नहीं है ।

ऐसा प्रतीत होता है कि नागा विद्रोहियों की सैनिक तथा राजनीतिक शाखायें भी समझौते की शर्तों के हक म नहीं हैं ।

यह सुनकर बहुत धक्का लगा कि वैदेशिक कार्य मंत्री, श्री स्वर्ण सिंह को यहां यह मानना पड़ा कि नागा विद्रोही अपने आदमी पाकिस्तान भेज सकते हैं तथा वापस ला सकते हैं और यह समझौते के विरुद्ध नहीं है ।

वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : लाना निषेध है ।

श्री दाजी : लाना निषेध है, परन्तु भेजना निषेध नहीं है। बहुत ठीक । यदि यह निषेध है तो क्या हमने यह नागा विद्रोहियों को बता दिया है कि यह शर्तों के विरुद्ध है।

श्री स्वर्ण सिंह : उनमें से कोई भी वापिस नहीं आया है।

श्री दाजी : मैंने सोचा था कि पिछली बार आपने कहा था कि 1500 अथवा 1700 वापिस आ गये हैं।

नागा विद्रोहियों से बातचीत बड़ी नाजुक स्थिति में चल रही हैं। और हम उन्हें बिगाड़ना नहीं नहीं चाहते। परन्तु ऐसा दिखाई देता है कि सरकार की स्थिति इसमें स्पष्ट नहीं है। दूसरे नागा विद्रोहियों के साथ नर्मी बरती जा रही है। हम चाहते हैं कि नागा प्रदेश में शान्ति स्थापित हो। पर कहीं ऐसा न हो कि नागा विद्रोही इस अवधि का लाभ उठाकर अधिक हमले आरम्भ कर दें ।

इस लिये इस विधेयक को पास करने से पूर्व हम यह जानना चाहते हैं कि सेना इन नागा विद्रोहियों को विद्रोही कार्य से रोकने में क्या करती है।

श्री मी० क० मसानी (राजकोट) :यह बहुत महत्वपूर्ण विधेयक है क्योंकि इसके द्वारा हम अपनी सेना को अपने ही नागरिकों के विरूद्ध अधिकार दे रहे हैं। इसे सदन को हर मामले में बहुत सावधानी से काम लेना चाहिये।

मुझे वैदेशिक कार्य मंत्री की यह बात बहुत ठीक लगी कि वे इन अधिकारियों को तुरन्त समाप्त कर देंगे जब उनकी आवश्यकता नहीं होगी।

इस मामले में मैं वैदेशिक कार्य मंत्री तथा प्रधान मंत्री का समर्थन करता हूं और मानता हूं कि वे एक कठिन समस्या को हल कर रहे हैं।

सदन को पता है कि हम विभिन्न दलों के 15 सदस्यों नागा प्रदेश का दौरा 5 से 11 फरवरी तक करके आये। हमने वहा देखा भारत के विभिन्न प्रदेशों के व्यक्ति जो सेना में अथवा असैनिक विभागों में कार्य करते हैं, बड़े मिलकर कार्य कर रहे थे।

हमने वहां नागा विद्रोहियों से भी बातचीत की और कहा कि हमें मिलकर रहना चाहिये। हमे आपकी आवश्यकता है और आपको हमारी। भारत एक बड़ा परिवार है और हम सब उसके सदस्य हैं। हमारे पड़ोसी देश चीन बहुत खतरनाक है और उसके विरुद्ध हमें अपने आपको बचाना है।

नागा विद्रोही कहते हैं कि वे भारतीय नहीं हैं और कहते हैं कि हम आपस में मित्र वन कर रह सकते हैं परन्तु हमारे ऊपर आप राज्य नहीं कीजिये। हमने उन्हें समझाया कि आप ऐसे ही है जैसे कि कोई पंजाब, बंगाल का निवासी हो। इसमें दूसरे राज्य करने का प्रश्न ही नहीं उठता। हमने उन्हें यह भी बताया कि कुछ बातों में तो आप को देश के दूसरे भागों के लोगों से भी अधिक अधिकार मिले हुए हैं और आपके रिवाजों के बारे में संसद भी कोई कानून पास नहीं कर सकती।

इस प्रकार हमने उन्हें अपनी बात समझाई। वैसे वे बहुत बहादुर व्यक्ति हैं और बहुत अनुशासन में रहते हैं और उनमें 20 प्रतिशत तो अंग्रेजी बोलते हैं।

शान्ति मिशन के प्रयत्नों के कारण वहां अब शान्ति है और पिछले सितम्बर से युद्ध-विराम है।

कुछ व्यक्ति कहते हैं कि यह युद्ध-विराम समाप्त होना चाहिये और फिर से गोली चलानी आरम्भ कर दें। शायद उन्हें यह पता नहीं है कि यह लड़ाई हमारे ही नागरिकों के विरुद्ध है।

पिछली 24 फरवरी से यह निर्णय भी वहां हो गया है कि जहां भी हिंसा की घटना होगी उसे 3 भारत सरकार के प्रतिनिधि और 3 नागा विद्रोहियों के प्रतिनिधि, उसका शान्ति मिशन के तत्वाधीन, जांच करेंगे। इस प्रकार सचाई का पता लग जायेगा। एक बार हमारा ही कोई हथियार अपने आप चल गया और कहने वालों ने कह दिया कि नागा विद्रोहियों ने फिर युद्ध आरम्भ कर दिया। मुझे प्रसन्नता है कि नागाप्रदेश की ही सरकार ने इस समाचार का खंडन किया है।

अब यह तर्क की दृष्टि से कहा जाता है कि नागा लोग अपनी शक्ति मजबूत कर रहे हैं और अपना संगठन बना रहे हैं। कुछ लोग सीमा के पार गये और फिर आये भी। युद्ध विराम की एक शर्त यह थी कि जब तक युद्ध विराम चलेगा बाहर से शस्त्र नहीं आयेंगे। यद्यपि नागाओं ने इधर उधर कुछ सीमा पार की है, परन्तु यह सत्य है कि इस काल में एक भी गोली का आयात नहीं किया गया। मेरा निवेदन यह है कि हमें कुछ सौ नागाओं

[श्री मी० रू० मसानी]

के आने अथवा चले जाने से आतंकित तथा चिन्तित नहीं होना चाहिए। इस दिशा में सब से महत्वपूर्ण बात यह है कि ग्रामीण लोगों का दिल जीता जाये। यदि ऐसा कर लिया गया तो गोरिल्ला गतिविधियों को प्रोत्साहन नहीं मिलेगा। आज दक्षिण वियतनाम, मलाया इत्यादि स्थानों पर जो हो रही है उसमें हमें यह शिक्षा मिलनी है। युद्ध विराम के हो जाने से, लगभग 10 वर्ष के बाद नागरिक प्रशासन को चालू करने का अवसर प्रशासकों को उपलब्ध हुआ वे लोग नागालैंड में उस राज्य के लिए अधिक से अधिक जो कुछ कर सकते हैं, करने का प्रयास कर रहे हैं। मंत्री महोदय भी कहते हैं कि प्रथम बार उन्हें गांव में जाकर इन लोगों से मिलने का अवसर मिला है। वहां काफी सार्वजनिक सभाएं भी इन दिनों में हुई है इन सभाओं में शान्ति मिशन के प्रस्तावों का समर्थन किया गया। अब प्रश्न उत्पन्न होता है कि शान्ति मिशन के प्रस्ताव क्या है? सब बातों की एक बात कि नागा लोग अपने भाग्य का निर्णय स्वयं करना चाहते हैं। वे अपनी इच्छा से भारत संघ में सम्मिलित होना चाहते हैं। इसी आधार पर ही दोनों पक्षों में बातचीत हो रही है।

इस सारे मामले में मेरा निवेदन यह है कि हमें इन नागाओं से व्यवहार करते समय तनिक धैर्य से काम लेना चाहिये। हम चाहते हैं कि जो बातचीत चल रही है, उसके कोई ठोस परिणाम निकले। परन्तु लाभप्रद परिणाम निकले इसके लिए शायद हमें दो-तीन वर्ष तक प्रतीक्षा करनी पड़े: हमें याद रखना चाहिए कि कोरिया शांति करार दस वर्षों के बाद हुआ था। आस्ट्रिया शांति सन्धि के लिए 10 वर्ष लगे और आज यह देश मुक्त और तटस्थ है। मेरा तात्पर्य यह है कि हमें घबराना नहीं चाहिए। नागालैंड में भारतीय ध्वज लहरा ही रहा है। हमारी सेना भी वहां है। 1967 तक वहां, लोगों की चुनी हुई सरकार भी काम करेगी ही। मैंने नागालैंड के एक मंत्री को दिल्ली आकर लोगों से मिलने का भी अनुरोध किया था। मैंने उन्हें कहा था कि उन्हें दिल्ली में किसी खतरे का सामना नहीं करना पड़ेगा। 12 से 14 वर्ष तक तो गोलियां चलती रही हैं, और आज तुरन्त ही आप चाहते है कि शांति स्थापित हो जाय। चर्चिल का कथन हमें याद रखना चाहिए कि वास्तविक युद्ध से मौखिक तौर पर वाक्युद्ध कर लेना अच्छा है।

श्री खाडिल कर (खेड़): नागा लोग देश के अन्य भागों से प्रायः अलग रहे हैं। अतः उनकी विचारधारा हमारी से बिल्कुल भिन्न है। आज वहां सर्वत्र असन्तोष फैला हुआ है, इसलिए उसे बड़ी गम्भीर स्थिति वाला प्रदेश कहना चाहिए। इन नागाओं को तो शांति, का कभी अनुभव ही नहीं हुआ। वे 50000 से अधिक नागा तो हमारी सीमा से पार बर्मा में है। और इन सबके सम्बन्ध में बहुत ही मैत्रीपूर्ण है। इन लोगों ने गत 12, 14 वर्षों तक तथाकथित स्वतन्त्रता के लिए काफी भारी युद्ध लड़ा है। 14 वर्षों के पश्चात उन्हें कुछ शांति का आभास हुआ है। हमें इस समस्या पर विचार करने से पूर्व इस क्षेत्र की सारी स्थिति तथा नागाओं की भावनाओं का पूरा अध्ययन करना चाहिए। वहां की संस्कृति के

स्तर का ज्ञान प्राप्त करके तथा यह भी देख कर कि उनमें हमारे प्रति अभी समझ का अभाव है, हमें इस विषय पर विचार करना चाहिए।

मेरा विचार यह है कि सरकार ने इस दिशा में ठीक ही पग उठाया है। सेवा का कार्य तो वहां के असैनिक प्रशासन की सहायता करना है। असैनिक प्रशासन अपना कार्य बहुत शानदार ढंग से पूरा कर रहा है। समय का ध्यान रख कर सरकार को बड़े शांति पूर्वक ढंग से इस समस्या को हल करने का प्रयत्न करना चाहिए। यह बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि नागा लोग शक्ति से नहीं दबाये जा सकते। कुछ लोग कहते हैं कि नागा लोग शस्त्र इत्यादि ले कर आ जा रहे हैं। इस का कोई ठोस प्रमाण तो है नहीं। यह भी ठीक है कि सेना को पूरी तरह काम करने के आदेश नहीं दिये जाते। मेरा विचार यह है कि यदि सेना को पूरी तरह काम करने का अवसर दिया जाय तो मामला बहुत शीघ्रता से हल हो सकता है।

क्या हमें यह पता है कि एक तिहाई नागा लोग ईसाई प्रभाव में हैं। बाकियों का भी कोई विशेष धर्म नहीं है। वैसे आदिवासी लोगों की तरह के उन के रीतिरिवाज हैं। हमें इन लोगों को भारत संघ में रखना है। इस बात में मैं श्री मसानी से सहमत हूं कि हमें कोई एसा रास्ता निकालना होगा जिस से सब प्रकार के लोग एक केन्द्र बिन्दु पर सहमत हो जाय। दिल्ली उन के लिए बड़ी दूर है। दिल्ली की बात समझना उन के लिए सरल बात नहीं है। हमें उन के दृष्टिकोण को समझना चाहिए।

हम ने अभी जो कुछ अल्जीयर्स में हुआ है, उस का अध्ययन किया है। फ्रैंच लोगों को उन के बारे में अपना विचार बदलना पड़ा। मेरा मत यह कि हमें नागा लैंड के बारे में भी अपना मत परिवर्तिद करना होगा। मुझे आशा है कि थोड़े दिनों के बाद इस दिशा में अच्छा ही परिणाम रहेगा। आज सभी पक्ष युद्ध से तंग आ चुके हैं। हमें अपनी शांति वार्ता जारी रखनी चाहिए और एक उदाहरण प्रस्यत करना चाहिए। इन शब्दों से मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री प्र० चं० बरुआ (शिवसागर) : यह बड़ा छोटा सा विधेयक है जो कि सदन के समक्ष आया है। एक शब्द को बदलने का प्रश्न है। यद्यपि केवल 'सात' को 'आठ' में बदलने का प्रश्न है। परन्तु बात इतनी सरल नहीं है जितनी कि दिखाई देती है। इस का प्रभाव बड़ा दूरगामी है। नागा पहाड़ियों वाला जिला आसाम से निकाल कर अलग से आसाम के राज्यपाल के अधीन रखा गया तो, समझा यह गया था कि समस्या शीघ्र ही हल हो जायेगी। पर हर हालात निरन्तर बुरे होते चले गये ऐसा समय आया जब कि राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करना पड़ा और बाद में विशेष विधान द्वारा स्थिति का मुकाबला करने के लिये सेना को विशेष अधिकार दिये गये।

इसका भी कोई प्रभाव नहीं हुआ और नागा विद्रोहियों की गतिविधियां निरन्तर बढ़ती गईं। राष्ट्र नागाओं के संगठन का निर्माण किया गया। उन लोगों ने प्रधानमंत्री तथा अन्य लोगों से बात-चीत की। कुछ लोगों ने तो स्वयं काम किया परन्तु कई नागा लोग भूमिगत हो गये। उन लोगों ने पाकिस्तान से भी सम्पर्क बनाने में भी सफलता प्राप्त कर ली। कई वर्ष से यह कार्य चलता रहा। फिर शांति मिशन आ गया। इसकी संविहित स्थिति क्या है, अभी पता नहीं। यह मिशन किस का प्रतिनिधि है, यह भी हमें बताया नहीं गया। फिर भी इतना है कि युद्ध विराम हो गया है। 10,12 वर्षों से जो संघर्ष चल रहा था, उसमें कुछ शांति अवश्य आ गई है।

इधर तो विद्रोही नागा लोगों के नेता भारत सरकार से बातचीत कर रहे हैं, और उधर वे अपनी स्थिति मजबूत करने की दृष्टि से पाकिस्तान से साज बाज़ कर रहे हैं। प्रायः पाकिस्तान भी

[श्री प्र० कं० बरूआ]

आ जा रहे हैं और वहीं से शस्त्र ला रहे हैं; इस बारे में समाचार अखबारों में छप रहे हैं । हमें अपनी सीमाओं की रक्षा करनी चाहिए और सेनाओं को पूरे अधिकार देने चाहिए ताकि वे स्थिति को ठीक तरह से सम्भाल सकें । मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं ।

डा० मा० श्री अणे (नागपुर) : अच्छे लोग नेक भाव से नागाओं और अन्य भारतीयों में अच्छे सम्बन्ध स्थापित किये जाने की दिशा में प्रयास कर रहे हैं । मेरा विचार है कि सदन में ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं होगा जो कि इस विधेयक का विरोध करे ।

(**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
[**Mr. Deputy Speaker** *in the Chair*])

यह कार्य शांति स्थापना करने तथा सुलह करवाने का है । इस दिशा में यही एक तर्क संगत स्थिति है । जिसे अपनाया जा सकता है । सरकार भी इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं कर सकती । यह ठीक है कि देश में विभिन्न प्रकार के लोग हैं, पर लोकतंत्र की पद्धति सब के लिए एक लक्ष्य है । संसार के लोगों के समक्ष भी यही लक्ष्य है । हमें नागाओं को पाकिस्तान नहीं जाने देना चाहिए । वह हमारा शत्रु देश है और प्रत्येक समय हमें हानि पहूंचाने की सोचता रहता है । हमें इस दिशा में सचेत रहना चाहिए ।

मेरा यह भी निवेदन है कि हमें यह भी स्पष्ट कर देना चाहिए कि हम सब लोगों से सुलह करते हुए इतनी सीमा तक जायेंगे । वैसे ऐसे करते हुए कुछ समय लग जाये तो कोई बात नहीं :

मैं उस क्षेत्र में 1942 में गया था । मैंने देखा कि द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेज नागाओं से सहायता ले रहे हैं । नागा लोग अंग्रेजों को बड़ी बड़ी सड़कें तथा पुल बनाने में सहायता दे रहे थे । हमें यह बात समझनी चाहिए कि अंग्रेज उनसे किस प्रकार सहायता लेते थे । हमें भी उस नीति का अनुसरण करके उनसे काम लेना चाहिए । यदि नागाओं से समझौता कराने वाले लोग इस बात को समझ जांय तो समस्या काफी सुलझ जायेगी ।

इन शब्दों के साथ मैं प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

Shri Kishen Pattanayak (Sambalpur): Mr. Deputy Speaker, Sir, during the last seventeen years we have spent huge amount of money on Nagaland. The Government of India have always pursued a wrong policy throughout all these years which have not strengthened our relations with Nagas on the other hand, it has worsened the situation. what actually happened is that we depended upon military operations more than the actions taken by the civil authorities.

The Government of India have not formulated any scheme with a view to bring Nagas closer to our culture, education and other social aspects of Indian life. It is said that people living in hills take keen interest in games and they are more smart and dextrons. But Govt. have always neglected them. Government adopted an indifferent attitude towards them and never made any effort to persuade them to participate in games, atheletic meets or tournaments. Government did also not give full consideration to the matters relating to their children's education. Adequate facilities were also not extended to Naga Students for higher studies in our universities.

The problem of language is a glaring instance, only a very small number of Nagas coming to India can talk with our political leaders and Government officials with the medium of English. But a common Naga cannot develop his relation with those living in other parts of the country for he does not know any language other than his own mother tongue. It is a matter of regret that Government did not make any efforts during all these seventeen years to take suitable measures for propagation of Indian languages among Nagas. So far as consolidation of unity is concerned I do not know what will help us achieve success to this effect; the hon. Minister may throw light on the subject before getting the Bill passed.

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यगणों ने नागा लैण्ड की जटिल स्थिति को समझते हुए इस विधेयक का जो स्वागत और समर्थन किया है और सरकार के वहां शांति कायम रखने तथा इस कठिन समस्या का हल बातचीत द्वारा हल करने के प्रति जो सहानुभूतिपुर्ण दृष्टिकोण प्रदर्शित किया है उसके लिए मैं उनका कृतज्ञ हूं । विभिन्न दलों के कई सदस्यों ने असुविधा की उपेक्षा करके भी नागालैंड जाने का कष्ट किया और उन्हें वहां के भू-खण्ड तथा उसका भौतिक रूप वहां की समस्या के बारे में अध्ययन करने का अवसर मिला ।

नागालैंड निवासी नागालोग बहादुर हैं किन्तु उनकी संस्कृति भिन्न है । यह कहना उचित नहीं है कि वे लोग सभ्य नहीं है, यह हो सकता है कि विभिन्न समस्याओं पर उनके अपने अलग दृष्टिकोण हो अथवा समाजिक या सम्पत्ति तथा अन्य मामलों से सम्बन्धित मामलों कि उनका भिन्न दृष्टिकोण हो, किन्तु उनके बारे में यह सोचना कि वे काफी सभ्य नहीं है, गलत है ।

उनकी कई आदिम जाति भाषाएं हैं, । उनकी समस्या वास्तव में विषम तथा कठिन है । वे लोग हमारे आदमी हैं और हमारे देश रूपी परिवार में ही सदस्य हैं । हमारा उनके प्रति यह दाँष्टिकोण होना चाहिए कि हम उन्हें इस बात का विश्वास दिलायें कि वे हमारे ही भाई हैं और उन्हें हमारे साथ भारत में रह कर हानि नहीं अपितु लाभ होगा । इस सभा का जो शिष्टमंडल, जिसमें विभिन्न दलों के प्रतिनिधि थे, वहां गया था उससे नागा लोगों को काफी हद तक यह विश्वास हो गया कि शिष्टमंडल की उनके लिए शत्रुता की भावना नहीं अपितु सद्भावना थी । हमारी मुख्य धारणा यह होनी चाहिए कि वे हमारे देश रूपी परिवार के अभिन्न सदस्य हैं, और वहां शांति कायम रखना और भी आवश्यक है । शान्ति मिशन और प्रशासन भी इस दिशा में कार्यवाही विशेषतः भारत के टीम के नेता श्री गुंदेविया के प्रयत्नों के परिणामस्वरूप वहां पर शान्ति कायम है । श्री गुंदेविया समस्या को समझने में बड़ी कुशलता और धैर्य का परिचय दिया है । उन्होंने नागा विद्रोहियों का विश्वास प्राप्त किया है, उन्होंने अब श्री गुंदेविया के साथ खुलकर बातचीत करना आरम्भ कर दिया है । हमें उनके कार्यों की आलोचना न करके , उनके प्रयत्नों की सराहना करनी चाहिए ।

नागालैंड के कई ऐसे स्थान थे जहां लोग रात में उजाला करना नहीं जानते थे और कई स्थानों में प्रातःकाल से सन्ध्या तक कर्फ्यू लगा हुआ था तथा किसी प्रकार का प्रकाश नहीं किया जा सकता था । उन क्षेत्रों में भारतीय जीवन की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं थी । कुछ लोग अपने घर वापस लौट आय हैं । अब वहां अधिकांश जनता शान्ति के पक्ष में है ।

दूसरा प्रश्न जो नागाओं के बर्मा राज्य-क्षेत्र तथा पाकिस्तान जाने से सम्बन्धित है उसके बारे में स्पष्ट स्थिति इस प्रकार है जो कि युद्ध करार नागाओं के विरूद्ध कार्यवाही रोकने से सम्बन्धित है

[श्री स्वर्ण सिंह]

उसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया था कि "किसी निश्चित अवधि तक नागाओं के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी और इस अवधि के दौरान छिपे हुए नागा लोग विदेशों से कोई हथियार नहीं मंगा सकेंगे"। उन्होंने हमें इस बात का आश्वासन दिया था। अतः हमने उन नागा विद्रोही नेताओं को जो कि सरकारी टीम से बातचीत कर रहे हैं स्थिति साफ-साफ समझा दी है कि सरकार कुछ नागाओं का हथियारों के लिए पाकिस्तान जाने की कार्यवाही को बहुत खतरनाक और गम्भीर मामला समझती है। यह बिल्कुल भिन्न बात है कि वे, हमारी सूचना के अनुसार, हथियार प्राप्त करने के लिये बाहर जा रहे हैं। हम ने उन की इस बात पर जोरदार आपत्ति की है। यद्यपि नागा विद्रोही नेताओं ने करारबद्ध रहने का आश्वासन दिया हुआ है, तथापि सरकार अपना उत्तरदायित्व निभाने तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि नागा लोग बाहर से लुक छिप कर हथियार न ला सकें अथवा उनकी इस कार्यवाही पर रोक लगाने के लिए सीमान्त क्षेत्र में गश्ती दलों को और अधिक मजबूत बना दिया गया है और कुछ खास खास उप खंडों को, जिस में मणिपुर भी शामिल है, "अशान्ति-ग्रस्त" (डिस्टर्ब्ड) घोषित कर दिया है और सेना तथा पुलिस को स्थिति का सामना करने के लिए विशेष शक्तियां दे दीं हैं।

श्री दाजी ने यह बात उठाई थी कि ऐसी कोई भी घटना का उल्लेख नहीं है जिस में कि नागाओं को हथियार लाते हुए सेना ने एक बार भी पकड़ा हो, किन्तु वास्तविकता यह है कि कई अवसरों पर जबकि नागा लोग बाहर से हथियार लाकर राज्य क्षेत्र में घुसने का प्रयत्न कर रहे थे तो उन्हें पकड़ा गया और कई मौकों पर उन्हें गोली से उड़ा दिया गया और जब कभी उन्होंने बाहर जाने का प्रयत्न किया तो पुलिस अथवा सेना ने कार्यवाही की और उन्हें तब भी गोलियों का शिकार बना दिया गया क्योंकि वे लोग अवैध तथा अनुचित कार्यवाही कर रहे थे।

सभा ने इस अधिनियम की सराहना की है। शान्ति के लिये किये जा रहे प्रयत्नों में यदि कोई सफलता मिलती है अथवा स्थिति में सुधार करने केलिए कोई सन्तोषजनक हल निकल आता है जिस के परिणाम स्वरूप हमें इस अधिनियम का प्रयोग करने का अवसर न मिले तो मैं व्यक्तिगत रूप से यह कह सकता हूं और मुझे यकीन है कि इस से इस सभा तथा प्रत्येक भारतवासी को हर्ष होगा, इस के अतिरिक्त कि वह क्षेत्र हमारे देश का एक अभिन्न अंग है और नागा लोग भारत के नागरिक हैं, हमारी और कोई भी महत्वाकांक्षा नहीं है।

श्री नाथ पाई : उपाध्यक्ष महोदय, सभी सदस्य इस विषय पर हमारे संसदीय शिष्ट मंडल के विचारों को जानने के लिए उत्सुक हैं, अतः मैं अनुरोध करूंगा कि माननीय मंत्री जी इस प्रतिवेदन को संसद्-सदस्यों में परिचालित करें।

श्री स्वर्ण सिंह : एक प्रति पहले ही सभा पटल पर रख दी गई है मैं उस प्रति को अपनी प्रति के साथ मिला कर उस की प्रमाणित प्रति माननीय सदस्यों को भेजूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि सशस्त्र सेना (विशेष शक्तियां) विनियम, 1958 को कुछ और अवधि के लिये जारी रखने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकार हुआ।

The motion was adopted.

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम विधेयक पर खण्डवार विचार करेंगे ।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 1 और 2, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 1 और 2, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक के साथ जोड़ दिये गये ।

Clauses 1 and 2, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

श्री स्वर्ण सिंह : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

कि विधेयक को पारित किया जाये "।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

केरल आय-व्ययक--सामान्य चर्चा लेखानुदानों की मांगें (केरल) 1965-66 और अनुदानों की अनुपूरक मांगें (केरल), 1964-65

KERALA BUDGET—GENEAL DISCUSSION DEMANDS FOR GRANTS ON ACCOUNT (KERALA) 1965-66 AND DEMANDS FOR SUPPLEMENTARY GRANTS (KERALA) 1964-65

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा वर्ष 1965-66 के लिए केरल आय व्ययक, लेखानुदानों की मांगें (केरल) और अनुपूरक अनुदानों की मांगें (केरल) पर विचार आरम्भ करेगी । क्या सभा की राय उन में से प्रत्येक पर अलग अलग चर्चा करने की है अथवा सब पर एक साथ चर्चा करने की है ।

कुछ माननीय सदस्य : एक साथ ही चर्चा होनी चाहिए ।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या मंत्री महोदय कुछ कहना चाहते हैं ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : मैंने एक विवरण प्रस्तुत कर दिया है । मुझे इस समय और कुछ नहीं कहना है ।

वर्ष 1965–66 के लिये केरल आय-व्ययक के सम्बन्ध में लेखानुदानों की निम्नलिखित मांगें प्रस्तुत की गयीं :—

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
1	कृषि संबंधी आयकर और बिक्री कर	7,44,000
2	भू-राजस्व	22,20,000
3	उत्पादन शुल्क	4,84,000
4	गाड़ियों पर कर	1,65,000
5	स्टाम्प	2,24,000
6	रजिस्ट्री फीस	6,57,000
7	राज्य विधान मंडल	1,53,000
8	निर्वाचन	1,56,000
9	राज्यों के प्रमुख मंत्री और मुख्यालय के कर्मचारी	13,03,000
10	जिला प्रशासन और विविध	16,65,000
11	न्याय-प्रशासन	17,49,000
12	जेल	9,16,000
13	पुलिस	81,44,000
14	राज्य बीमा और विविध	3,45,000
15	वैज्ञानिक विभाग	1,69,000
16	विश्वविद्यालय शिक्षा	33,54,000
17	सामान्य शिक्षा	4,13,85,000
18	तकनीकी शिक्षा	21,20,000
19	चिकित्सा	98,00,000
20	लोक-स्वास्थ्य	39,74,000
21	लोक-स्वास्थ्य इंजीनियरी	17,54,000
22	कृषि	46,37,000
23	मीन क्षेत्र	24,12,000
24	ग्राम-विकास	9,20,000

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
25	पशुपालन	18,91,000
26	सहकारिता	12,53,000
27	उद्योग	16,40,000
28	सामुदायिक विकास प्रायोजनाएं, राष्ट्रीय विस्तार सेवा और स्थायीय विकास-कार्य	49,10,000
29	श्रम और नियोजन	14,72,000
30	हरिजन कल्याण	29,06,000
31	अंक संकलन और विविध	8,42,000
32	सिंचाई	49,66,000
33	लोक निर्माण कार्य	1,56,53,000
34	बन्दरगाह	1,25,000
35	परिवहन योजनाएं	98,34,000
36	दुर्भिक्ष	3,37,000
37	पेंशन	49,73,000
38	लेखन-सामग्री और छपाई	13,43,000
39	बन	23,51,000
40	विविध	9,83,000
41	विविध क्षतिपूर्तियां और समर्पण (असाईनमेंट)	2,74,000
42	राष्ट्रीय संकटकाल	8,000
43	लोक स्वास्थ्य और पूंजी परिव्यय	18,65,000
44	कृषि सुधार पर पूंजी परिव्यय	1,17,000
45	औद्योगिक और आर्थिक विकास पर पूंजी परिव्यय	57,11,000
46	सिंचाई और पूंजी परिव्यय	55,45,000
47	लोक निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय	96,16,000
48	अन्य निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय	6,65,000
49	बन्दरगाहों पर पूंजी परिव्यय	13,35,000
50	परिवहन योजनाओं पर पूंजी परिव्यय	75,000
51	बनों पर पूंजी परिव्यय	6,93,000
52	पेंशनों का राशिकृत मूल्य	42,000
53	सरकारी व्यापार की योजनाओं पर पूंजी परिव्यय	13,85,35,000
55	सरकार द्वारा दिये जाने वाले ऋण और अग्रिम	2,98,58,000

वर्ष 1964–65 केरल आय - व्ययक के सम्बन्ध में अनुपूरक अनुदानों की निम्नलिखित मागें प्रस्तुत की गयीं :—

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
1	कृषि सम्बन्धी आय-कर और बिक्री कर	1,67,500
4	गाड़ियों पर कर .	44,000
5	स्टाम्प .	5,100
6	रजिस्ट्री फीस . . .	11,400
9	राज्याधिपति, मंत्री और मुख्यालय के कर्मचारी	1,77,000
10	जिला प्रशासन और विविध .	3,11,600
12	जेलें . .	4,72,000
13	पुलिस .	10,00,000
14	राज्य बीमा और विविध	48,700
16	विश्वविद्यालय शिक्षा	3,20,000
17	सामान्य शिक्षा .	1,41,88,000
21	लोक स्वास्थ्य इंजीनियरी	100
22	कृषि .	400
23	मीन क्षेत्र .	17,11,900
25	पशु पालन	27,000
28	सामुदायिक विकास प्रायोजनाओं, राष्ट्रीय विस्तार सेवा और स्थानीय विकास कार्य	100
30	हरिजन कल्याण	3,00,000
31	अंक संकलन और विविध	100
32	सिंचाई	18,28,500
33	लोक-निर्माण कार्य . .	100
34	बन्दरगाह . .	86,300
35	परिवहन योजनायें . . .	43,67,800
37	पेंशन	40,07,800
40	विविध	2,00,000
43	लोक-स्वास्थ्य पर पूंजी परिव्यय . . .	100
47	लोक निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय . .	300
50	परिवहन योजनाओं पर पूंजी परिव्यय . .	2,500
51	बनों पर पूंजी परिव्यय . .	7,93,200
52	पेंशनों का राशीकृत मुल्य	1,00,000
53	सरकारी व्यापार की योजनाओं पर पूंजी परिव्यय . .	19,25,73,800

श्री रंगा (चित्तूर) : जिस ढंग से हमारे देश में प्रजातंत्र चलाया जा रहा है उस पर खेद होता है। केरल राज्य में कई बार राष्ट्रपति का शासन लागू किया गया है। इस का कारण कांग्रेस पार्टी की गलत नीतियां हैं। यह पार्टी देश का नेतृत्व ठीक प्रकार से नहीं कर सकी है। मुझे इस बात पर हैरानी होती है कि कांग्रेस पार्टी केरल के चुनाव में इतने स्थान प्राप्त करने में कैसे सफल हो गई है। मैं स्वयं राजाजी तथा श्री मसानी के साथ वहां गया हूं और बहुत लोगों से मिला हूं। यह तो पहले भी कहा जाता था कि किसी भी पार्टी को बहुमत प्राप्त नहीं होगा। कांग्रेस अपने खराब कामों के कारण अप्रिय हो चुकी है। वहां कांग्रेस वाले स्वयं एक दूसरे पर आरोप लगाते रहे हैं। इन आरोपों पर पार्टी के केन्द्रीय नेताओं ने कोई ध्यान नहीं दिया है।

उपाध्यक्ष महोदय : जो माननीय सदस्य कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहते हैं वे उन प्रस्तावों की संख्या 10 या 15 मिनटों में दे दें।

श्री रंगा : इस का परिणाम जो निकला वह हमारे सामने है। वहां की पार्टी के कुछ सदस्यों ने अविश्वास प्रस्ताव में कांग्रेस पार्टी के विरुद्ध मत दिया और कांग्रेस सरकार समाप्त हुई। श्री शंकर जो मुख्य मंत्री थे की चुनाव में असफलता इस बात का प्रमाण है कि वास्तव में ही वहां पर कांग्रेस ने बहुत गड़बड़ कर रखी थी। आज देश में जनसाधारण की यह धारणा बन गई है कि कांग्रेसी मंत्री भ्रष्ट हैं। आज सभी मंत्री यह चेष्टा करते रहते हैं कि उस पर भ्रष्ट होने का आरोप न लगे।

आज की स्थितियों में लोग कांग्रेस की नीतियों के कारण बहुत तंग हैं। खाद्य नीति के कारण उन को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ा है। पंचवर्षीय योजना की सफलता की बात की जाती है परन्तु परिणाम हम देख रहे हैं। बेकारी की समस्या भी विकट होती जा रही है। तो ऐसी स्थिति में लोगों ने कांग्रेस को वोट क्यों दिये ? मेरे विचार में तो लोगों को गुमराह किया गया है। फिर कांग्रेस देश में सत्ताधारी पार्टी है। यह हर प्रकार का प्रभाव प्रयोग में ला सकती है। यह एक अनुभवी पार्टी है। चुनाव के पश्चात् केरल में स्थिति बहुत विचित्र हो गई है। किसी भी पार्टी का स्पष्ट बहुमत नहीं है। इस प्रकार की स्थिति में राज्यपाल को शायद यही सिफ़ारिश करनी पड़े कि किसी भी पार्टी का बहुमत नहीं है अतः राष्ट्रपति का राज जारी रहे। मैं तो यह नहीं चाहता कि ऐसा किया जाय। यह मिलीजुली सरकार ही बनने दी जाये। इससे चुने गये लोगों को अवसर तो मिलेगा ही। पहले भी केरल में इस प्रकार की स्थिति आई थी और कांग्रेस पार्टी ने एक और दल के साथ मिल कर सरकार बनाई थी। इसी प्रकार अब भी होने देना चाहिये। वामपंथी साम्यवादियों ने सरकार बनाने का प्रस्ताव किया है और केरल कांग्रेस ने भी ऐसा ही किया है। आज देश में आपात काल की स्थिति चल रही है। इस वातावरण में वामपंथी साम्यवादियों को सरकार नहीं बनाने दी जानी चाहिये। मेरे विचार में तो इस पार्टी पर प्रतिबन्ध लगा दिया जाना चाहिये। सरकार को इस संबंध में पूरी जानकारी है और गृह-कार्य मंत्री ने वक्तव्य भी दिया था। इन साम्यवादियों से देश को हानि उठानी पड़ रही है। इन्हीं बातों को देख कर बहुत से लोग बन्दी बना लिये गये हैं। मुझे खेद है कि सरकार की गलत नीति के कारण बहुत से वामपंथी साम्यवादी निर्वाचित हो गये हैं। यदि गृह-कार्य मंत्री ने इन लोगों को छः महीने पहले बन्दी बनाया होता तो स्थिति और होती। उन के बन्दी बनाये जाने के कारण लोगों की सहानुभूति उन के साथ हो गई है और वे अधिक संख्या में निर्वाचित हो गये हैं। अब यह मेरा काम नहीं कि इस सम्बन्ध में राष्ट्रपति से कोई सिफ़ारिश करूं। परन्तु जो लोग संसदीय प्रजातन्त्र तथा अहिंसा में विश्वास नहीं रखते उनको सरकार कैसे बनाने दी जा सकती है ? फिर इन लोगों की विचारधारा अन्य देशों से प्रभावित होती है। हमें खुशी है कि देश में

अभी भी ऐसे लोग हैं जो देश से प्रेम करते हैं। इस प्रकार के लोग कांग्रेस में भी हैं। केरल कांग्रेस ने भी अब कांग्रेस पार्टी के साथ मिल कर सरकार बनाने का प्रस्ताव किया है परन्तु यह कैसे हो सकता है। क्योंकि अभी थोड़ा समय पहले इन्हीं लोगों ने कांग्रेस सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पास कराया था। कांग्रेस पार्टी को यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं करना चाहिये। कांग्रेस पार्टी को तो प्रतिपक्ष के रूप में काम करना चाहिये और देखना चाहिये कि सरकार बनाने की बजाय इस रूप में कैसा अनुभव होता है।

केरल राज्य को मैं समस्याओं वाला राज्य कहता हूं। इस में खाद्यान्नों की कमी रहती है। वहां कई सरकारें बनी हैं और समाप्त हो गई हैं। यह भी एक समस्या है। बेकारी की समस्या ने भयंकर रूप धारण किया हुआ है। वहां पर और भी बहुत सी समस्यायें हैं। ऐसी स्थिति में समाधान यह हो सकता है कि वहां पर सभी दलों की एक संयुक्त समिति सरकार चलाये। सभी प्रजातंत्रीय दलों का इस समिति में अनुपात से प्रतिनिधित्व हो। सभी की राय ली जाय और उस के पश्चात् निर्णय किया जाये। सभी कानून आदि इस प्रकार बनाये जायें। यदि मतभेद हो तो अन्तिम निर्णय पांच छः महीनों के लिये स्थगित कर दिया जाना चाहिये। इस प्रकार की व्यवस्था कर दी जानी चाहिये। हमारे कांग्रेसी सज्जन इस के विरुद्ध होंगे। वे तो सत्ता चाहते हैं। मैं अनुरोध करता हूं कि मेरे इस प्रस्ताव पर गम्भीरता से विचार किया जाय।

श्री वारियर (त्रिचूर) : साधारणतः संविधान के अनुसार लेखानुदानों की मांगें इस सदन में नहीं बल्कि केरल विधान सभा में प्रस्तुत की जानी चाहिये थीं। परन्तु अब स्थिति यह है कि न केवल लेखानुदानों की मांगें यहां प्रस्तुत होंगी बल्कि यह सम्भव है कि सामान्य आयव्ययक भी यहां ही प्रस्तुत हो।

इस चुनाव के परिणाम प्रो० रंगा तथा अन्य लोगों जैसे विचार रखने वालों के लिए निराशाजनक हैं। आप को याद होगा कि केरल में साम्यवादी मंत्रिमंडल था जिसे केन्द्रीय सरकार के पूरे समर्थन के साथ राज्य की कुछ शक्तियों ने उखाड़ दिया। उस समय कांग्रेस दल ने सभी प्रतिक्रियात्मक तथा साम्प्रदायिक शक्तियों का समर्थन प्राप्त कर के उन तत्वों को नई शक्ति प्रदान की। इसे जनता के आंदोलन का नाम दिया गया और इस के नाम पर वहां लोकतंत्र परिपाटी के विरुद्ध राष्ट्रपति का शासन स्थापित किया गया था। इस मामले में कांग्रेस दल ने सीधा भाग नहीं लिया बल्कि नायर सर्विस सोसायटी के नेता श्री मन्नथ पदमनाभन, कैथोलिक चर्च तथा मुस्लिम लीग जैसी प्रतिक्रियावादी शक्तियों के साथ गठजोड़ किया। इन तीनों प्रतिक्रियावादी शक्तियों ने वह चुनाव साम्यवादी दल के विरुद्ध लड़ा।

प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री (श्री अ० म० थामस) : साम्यवादी भी मुस्लिम लीग के साथ मिले थे।

श्री वारियर : साम्यवादी मुस्लिम लीग के साथ कभी नहीं मिले। वास्तव में कांग्रेस मुस्लिम लीग के साथ मिली और दोनों का झंडा साथ-साथ लहराने लगा। प्रजा सोशलिस्ट दल भी उनके साथ शामिल हुआ। कांग्रेस के नेतृत्व में पिछले मंत्रि-मंडल बनाने की पृष्ठभूमि यही है।

1965 के निर्वाचन के समय इस सरकार की कार्यवाही की स्वाभाविक प्रतिक्रिया हुई और कांग्रेस को अपने पहले समर्थकों ने––नायर तथा ईसाई सम्प्रदायों––कांग्रेस का समर्थन न

किया । इसलिए उन्होंने त्रावनकोर क्षेत्र के अन्य सम्प्रदायों, विशेषतः एज़वा सम्प्रदाय का समर्थन प्राप्त किया । उन का विचार था कि केन्द्रीय त्रावनकोर क्षेत्र में कांग्रेस बहुत अधिक मत प्राप्त कर सकती है और वहां जीत सकती है परन्तु वहां कांग्रेस दल बुरी तरह पराजित हुआ । वहां एक नये दल ने, जिसे विरोधी कांग्रेस दल कहा जाता है परन्तु जो केवल नाम में ही विरोधी कांग्रेस दल है और वास्तव में कांग्रेस की भांति प्रतिक्रियात्मक और साम्प्रदायिक शक्तियों का दल है, सभी स्थान प्राप्त कर लिए ।

मालाबार क्षेत्र में मुस्लिम लीग ने, जिसे अपने नाम पर पांच स्थान भी न मिल पाते, वास्तव में 11 स्थान प्राप्त कर लिए । वहां वामपक्षी साम्यवादियों ने लगभग सभी स्थान प्राप्त कर लिए ।

इन चुनावों के परिणामस्वरूप किसी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है ताकि वह वहां सरकार स्थापित कर सके परन्तु इन चुनावों में एक निर्णय स्पष्ट है । नयी विधान सभा में वामपक्षी साम्यवादी सब से बड़ा दल होगा । क्या सरकार का यह कर्त्तव्य नहीं है कि वह जनता की इच्छाओं को माने । लोगों को दोबारा मतदान देने के लिए कहने का क्या अभिप्राय है । लोगों ने अपनी इच्छा के अनुसार मत दिया है ।

चुनाव के दौरान केन्द्रीय गृह-कार्य मंत्री स्वयं केरल में गये थे । उन्होंने मतदाताओं को चुनौती दी और कहा "आप जिसे चाहें मत दे सकते हैं परन्तु इस बात का निर्णय करना हमारा काम है कि सरकार कौन बनाये ।" यदि इस प्रकार निर्णय पहले ही कर लिया गया है तो स्वतंत्र चुनाव का क्या अर्थ है ।

मैं इस सरकार से पूछना चाहता हूं कि यदि इन लोगों को चुनाव के समय कारावास में न डाल दिया जाता तो कौनसा पहाड़ गिर पड़ता । यदि इतनी देर तक गिरफ्तारियां नहीं की गईं तो क्या चुनाव के अन्त तक और प्रतीक्षा नहीं की जा सकती थी । कम से कम जनता के सामने न्यायोचित बनने के लिए ही ऐसा किया जा सकता था । उन्होंने ऐसा नहीं किया । उन्होंने घोर भूल की और उन लोगों को जल में डाल दिया । अब परिणाम सरकार के सामने है ।

अब किस प्रकार लोगों का इस देश में, चुनावों में और संसदीय प्रजातंत्र में विश्वास रह सकता है । आपातकाल की बात की जाती है । यह कैसा आपातकाल है कि आयुध कारखानों के हज़ारों श्रमिकों को नौकरी से निकाला जा रहा है, खाद्यान्नों में घोटाला हो रहा है, चोर बाज़ारी करने वालों और मुनाफ़ाखोरों ने करोड़ों रुपया छुपा रखा है और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी अपने जन्म-दिन में परिवर्तन कर रहे हैं । क्या सरकार इन लोगों के विरुद्ध कार्यवाही कर रही है ? क्या सरकार यह कहती है कि यह सभी लोग पंचमांगी हैं । श्री रंगा अपने लिए देश भक्ति के एकाधिकार का दावा कर रहे हैं । क्या वह तथा उनके साथी यह कहते हैं कि वे लाखों लोग, जिन्होंने वामपक्षी साम्यवादियों के पक्ष में मत दिया है, देश भक्त नहीं है ?

यदि वामपक्षी साम्यवादियों को इस समय छोड़ दिया जाये तो उन्हें फिर किसी समय गिरफ्तार किया जा सकता है । संविधान द्वारा दिये गये विशेषाधिकार का सत्कार किया जाना चाहिये । क्या आप यह समझते हैं कि केरल के लोग इन बातों को समझते नहीं हैं । यह इस देश के नागरिकों का अधिकार है और मैं सरकार से मांग करता हूं कि इन लोगों को तुरन्त छोड़ा जाये और उन्हें सरकार बनाने के लिए कहा जाये । यह केवल स्थायी सरकार बनाने का प्रश्न ही नहीं है । प्रश्न

राज्य के शासन की आवश्यकता की और राज्य की समस्याओं के साथ निपटने का है। हमें छः औंस चावल के लिए इस सदन में आना पड़ा है। केरल के विकास सम्बन्धी स्थिति क्या है ? सीमेंट की कमी के कारण हमारी एक बड़ी योजना—इडक्की योजना—में हाल ही में काम बन्द करना पड़ा। हम अधिक बिजली के लिए निकटवर्ती राज्य मद्रास की दया पर निर्भर करते हैं। वित्त मंत्री के वक्तव्य से पता चला है कि हमारी विद्युत् की कमी 60 प्रतिशत है और इस का प्रभाव न केवल नये उद्योगों के विकास पर बल्कि वर्तमान उद्योगों की क्रियान्विति पर भी पड़ रहा है। इस का राज्य के राजस्व पर भी कुप्रभाव पड़ रहा है।

कोचीन नाव निर्माण प्रांगण कितने समय से लटक रहा है। केरल राज्य की ओर कोई ध्यान नहीं देता है। क्या आप समझते हैं कि इस प्रकार केरल के बुद्धिमान तथा शिक्षित लोगों को धोखा दिया जा सकता है ? यदि सरकार का यह दृढ़ विचार है कि इसे कम से कम चौथी योजना में बनाया जायेगा तो उन्हें इस सम्बन्ध में अभी से उचित कार्यवाही करनी चाहिये और किसी सार्थ से इस सम्बन्ध में करार करना चाहिये।

हाल ही की फसल के बाद खुले बाज़ार में चावल 125 रुपये प्रति बोरी बिक रहा है। मोनसून के महीनों में जब फसल नहीं होती, स्थिति क्या होगी। मैं यह सभी समस्यायें आपके सामने तथा संसद के सामने रखता हूं, क्योंकि यह अत्यावश्यक है कि वहां किसी प्रकार की उत्तरदायी सरकार स्थापित हो। यदि ऐसा नहीं होगा तो समूची ज़िम्मेवारी यहां सरकार पर होगी।

इसलिए मैं सरकार को फिर यह कहता हूं कि वहां विधान सभा का सत्र होने दें। यदि सरकार यह निर्णय नहीं करेगी तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि केरल के लोग जानते हैं कि इस सम्बन्ध में कैसे निर्णय किया जाये।

वर्ष 1965–66 के लिये केरल आय-व्ययक के सम्बन्ध में लेखानुदानों की मांगों पर निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये :—

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
2	1	श्री अ० व० राघवन	केरल के मलावार प्रदेश में उस भूमि का जिसका सर्वेक्षण नहीं किया गया है, सर्वेक्षण करने के मामले में धीमी प्रगति।	100 रुपये
2	2	श्री अ० व० राघवन	उन सरकारी कर्मचारियों को जो केरल में अस्थायी तौर पर काम कर रहे हैं और जिनकी सेवाओं को कई वर्ष की नौकरी के बाद स्थायी किया गया है, पर्याप्त पदोन्नति की आवश्यकता।	100 रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
11	3	श्री अ० व० राघवन	केरल राज्य में न्यायिक पदाधिकारियों को क्वार्टरों का न दिया जाना ।	100 रुपये
11	4	श्री अ० व० राघवन	केरल राज्य में न्यायिक पदाधिकारियों का वेतन न बढ़ाया जाना ।	100 रुपये
13	5	श्री अ० व० राघवन	केरल में पुलिस अधिकारियों का यात्रा भत्ता बढ़ाने की आवश्यकता ।	100 रुपये
13	6	श्री अ० व० राघवन	मोटर दुर्घटनाओं में आहत व्यक्तियों के क्षतिपूर्ति दावों में शीघ्रता करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
15	7	श्री अ० व० राघवन	केरल का व्यापक भू-तत्वीय सर्वेक्षण न किया जाना ।	100 रुपये
17	8	श्री अ० व० राघवन	केरल के मलावार प्रदेश में एक स्कूल खोलने की आवश्यकता ।	100 रुपये
18	9	श्री अ० व० राघवन	केरल में और अधिक तकनीकी स्कूल खोलने की आवश्यकता ।	100 रुपये
20	10	श्री अ० व० राघवन	केरल में व्यापक रोगों को रोकने में असफलता ।	100 रुपये
22	11	श्री अ० व० राघवन	योजना आयोग की कल्पना के अनुसार केरल में भूमि सुधार करने में असफलता ।	100 रुपये
22	12	श्री अ० व० राघवन	केरल में कुआलम का एक पर्यटन केन्द्र के रूप में विकास करने में असफलता ।	100 रुपये
35	15	श्री अ० व० राघवन	केरल में बडागोना माहे नहर के निर्माण के मामले में धीमी प्रगति ।	100 रुपये
35	16	श्री अ० व० राघवन	केरल राज्य में मोटर गाड़ियों पर कर की ऊंची दर ।	100 रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
35	17	श्री अ० व० राघवन	केरल में छोटी मोटर परिवहन सहकारी समितियों को कर की छूट न देना।	100 रुपये
35	18	श्री अ० व० राघवन	केरल में पश्चिम समुद्र-तट सड़क बनाने में धीमी प्रगति।	100 रुपये
39	19	श्री अ० व० राघवन	केरल में गैर-सरकारी वनों को अपने अधिकार में लेने की आवश्यकता।	100 रुपये
39	20	श्री अ० व० राघवन	केरल में गैर-सरकारी वनों से पेड़ों को अविवेकपूर्ण ढंग से काटना रोकने की आवश्यकता।	100 रुपये
8	21	श्री वासुदेवन नायर	उन बन्दियों को जो चुनावों में उम्मीदवार थे, रिहा न करना।	को घटा कर 1 रुपया कर दिया जाये
9	22	श्री वासुदेवन नायर	बन्दी विधान सभा सदस्यों को रिहा न करना जिसकी वजह से केरल में चुनाव के बाद सरकार बनाने में रुकावट पैदा हो रही है।	को घटा कर 1 रुपया कर दिया जाये
12	23	श्री वासुदेवन नायर	राजनैतिक बन्दियों को परिवार-भत्ता देने की आवश्यकता।	100 रुपये
29	24	श्री वासुदेवन नायर	त्रिवेन्द्रम में इंडियन टेलीफोन इन्डस्ट्रीज के भवन का और आगे निर्माण रोकने और उस इमारत के उन हिस्सों को जिन से त्रिवेन्द्रम हवाई अड्डे के और अधिक विस्तार में रुकावट हो सकती है, गिराने की आवश्यकता।	100 रुपये
32	25	श्री वासुदेवन नायर	इडिक्की परियोजना के निर्माण में शीघ्रता करने की आवश्यकता।	100 रुपये
33	26	श्री वासुदेवन नायर	समुद्र कटाव विरोधी कार्यों में शीघ्रता करने की आवश्यकता।	100 रुपये

उपाध्यक्ष महोदय : ये सभी कटौती प्रस्ताव सभा के समक्ष प्रस्तुत हैं । अब सभा गैर-सरकारी विधेयकों पर चर्चा करेगी ।

गैर-सरकरी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS.

उनसठवां प्रतिवेदन

श्री मुथिया (तिरुनेलवेली) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति की उनसठवें प्रतिवेदन से, जो 15 मार्च, 1965 को सभा में प्रस्तुत की गई थी, सहमत है" ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति की उनसठवें प्रतिवेदन से, जो 15 मार्च, 1965 को सभा में प्रस्तुत की गई थी, सहमत है ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

संविधान (संशोधन) विधेयक

(अनुच्छेद 15 तथा 16 का संशोधन)

CONSTITUTION (AMENDMENT), BILL

(Amendment of articles 15 and 16)

श्री सेझियान (पेरम्बलूर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में अग्रतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The Motion was adopted.

श्री सेझियान : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

संविधान (संशोधन) विधेयक

(अनुच्छेद 120 का संशोधन)

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL.

(Amendment of article 120)

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर): मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये । "

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

श्री स० मो० बनर्जी : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

संविधान (संशोधन) विधेयक-जारी

(अनुच्छेद 75 का संशोधन)

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL—*Contd.*

(Amendment of article 75)

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा श्री यशपाल सिंह द्वारा 5 मार्च, 1965 को प्रस्तुत किये गये निम्नलिखित प्रस्ताव पर आगे विचार करेगी :

"कि भारत के संविधान में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

श्री दी० चं० शर्मा अपना भाषण जारी रख सकते हैं ।

श्री दी० चं० शर्मा (गुरदासपुर) : श्रीमान्, मैं यह कह रहा था कि यह प्रकृति का नियम है । जिस प्रकार मानव अधिकारों की परम्परा चली आ रही है उसी प्रकार राजनैतिक जीवन, प्रशासनिक जीवन और विधायिनी जीवन की परम्परा भी होनी चाहिये, मुझे विश्वास है कि प्रत्येक देश का प्रधान मंत्री इस परम्परा का प्रतीक होता है, यदि किसी प्राकृतिक अथवा अनैसर्गिक दुर्घटना के परिणाम-स्वरूप प्रधान मंत्री को हटाया जाता है तो मेरा विश्वास है कि किसी भी अर्थ में परम्परा से विमुख नहीं होना चाहिये ; जैसा कि हमारे देश में हुआ, स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्री जवाहर लाल नेहरू के निधन के पश्चात् नये प्रधान मंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री के निर्वाचन और उनके कार्यभार सभालने में कुछ समय लग गया और इस अवधि में श्री नन्दा जी ने काम चलाऊ प्रधान मंत्री के रूप में कार्य किया । ऐसे अवसरों पर काम चलाऊ प्रधान मंत्री का होना आवश्यक है क्योंकि जनता को विश्वास दिलाना होता है कि पुराना मंत्री परिषद बना हुआ है तथा सरकार के रूप में कोई परिवर्तन नहीं है और वह अपनी पुरानी नीति पर चल रही है ।

श्री यशपाल सिंह जी यह चाहते हैं कि मंत्रि परिषद् का सर्वाधिक वरिष्ठ सदस्य स्थानापन्न प्रधान मंत्री के रूप में कार्य करें, मेरी राय में इस पर किसी को आपत्ति नहीं होगी । साधारणतया ऐसा होता है कि प्रधान मंत्री के स्थान पर उप प्रधान मंत्री काम करते हैं किन्तु हमारे देश में उप प्रधान मंत्री का पद नहीं है ।

श्री यशपाल सिंह जी का कथन है कि यह व्यवस्था केवल तब तक चलनी चाहिये जब तक प्रजातंत्रीय प्रणाली के अनुसार प्रधान मंत्री की नियुक्ति नहीं हो जाती । मेरी यह धारणा है कि यह

व्यवस्था प्रजातन्त्रीय प्रणाली के अनुकूल नहीं है । अतः हमें इसके लिये संवैधानिक व्यवस्था करनी चाहिये । मेरा विश्वास है कि ऐसा करने पर किसी प्रधान मंत्री के विषादमय देहावसान पर निराधार समाचार भी नहीं फैलेंगे ।

अतः मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं । मेरा विश्वास है कि इसे संवैधानिक रूप देने पर किसी प्रकार हानि नहीं होगी ।

Shri Raghunath Singh : (Varanasi) Mr. Deputy Speaker, Sir, I regret to say that I strongly oppose the Bill moved by Shri Yashpal Singh. I feel that frequent amendments to the Constitution are not desirable particularly Private Members recommend such amendments frequently.

In U.S.A. we find that there are hardly 5 to 7 amendments which have been made during the period Covering almost 150 to 200 Years. There is no Convention in U. K. also that the Minister whose name appears next to the Prime Minister in the list of Council of Ministers is to succeed the Prime Minister. I feel that it is unnecessary to bring in an amendment to the Constitution for the purpose. What is more desirable is that we should create a healthy Convention in our Country.

With these words, I oppose the Bill.

श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा (आनन्द) : उपाध्यक्ष महोदय मैं श्री यशपाल सिंह जी के संविधान (संशोधन) विधेयक का स्वागत करता हूं । मैं कांग्रेस पार्टी तथा सरकार से अनुरोध करूंगा कि वे उप प्रधान मंत्री के पद का निर्माण करें । हमारे देश में हमारे प्रिय नेता श्री बल्लभ भाई पटेल को यह पद दिया गया था । हमारे देश में राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति उनके पद का कार्यभार वहन करते हैं । इसी प्रकार प्रधान मंत्री के पद के कार्यभार के निर्वहन के लिये भी उपप्रधान मंत्री का होना अति आवश्यक है ।

हमारे स्वर्गीय प्रधान मंत्री नेहरू जी के देहावसान पर भी लोग उत्तराधिकारी के सम्बन्ध में भिन्न भिन्न अनुमान लगाने लगे ये नए प्रधान मंत्री के निर्वाचन में कुछ समय लग गया अतः अन्तरिम अवधि में गृहकार्य मंत्री ने प्रधान मंत्री के रूप में कार्य किया । इस लिये संविधान में इसकी व्यवस्था होनी चाहिये अथवा हमें ए . परम्परा यह डाल देनी चाहिये कि गृह-कार्य मंत्री ही प्रधान-मंत्री के उत्तराधिकारी होंगे ।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं ।

Shri Kishen Pattnayak : (Sambalpur) : Mr. Deputy Speaker, Sir I support the Constitution (Amendment) Bill sponsored by Shri Yashpal Singh. The main purpose of the Bill is that there must be some provision, precedent or Convention whereby this succession is not left in doubt as to who should succeed. Though appointment of the Prime Minister is the concern of the ruling party, yet we must have a provision for a Caretaker Prime Minister.

It is heard that the demise of the late Prime Minister, Shri Jawahar Lal Nehru was not announced immediately after his death and that was delayed because of the arrangements needed for apportuning a successor. Probably situations of this nature may arise in future also when the question of hiding the news of death and delaying the announcement would again come up. It is, therefore necessary to give it a Constitutional Status with a view to remove such misunderstanding in future and to allow things to go on smoothly.

With these words, I support the Bill.

श्री श्यामलाल सर्राफ (जम्म तथा काश्मीर): श्रीमान्, जिस भावना से प्रेरित होकर श्री यशपाल सिंह इस विधेयक को लाये हैं, मैं उसका स्वागत करता हूं। किन्तु इसके समर्थन करने में कुछ व्यवहारिक कठिनाइयां हैं। श्री रघुनाथ सिंह जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि संविधान में बार बार संशोधन करना उचित नहीं है विशेषत: जब कि गैर-सरकारी सदस्य बार-बार एसे संशोधनों के लिये आग्रह करते हैं। इस बात में अवश्य बल है कि ऐसे अवसरों पर अर्थात् प्रधान मंत्री के देहावसान पर निराधार अफ़वाहों को रोकने और सरकारी काम काज की सुनिश्चितता बनाये रखने तथा जनता में शांति कायम रखने के लिये उपप्रधान मंत्री का पद होना आवश्यक है। इससे वास्तव में कठिनाई दूर हो जाती है।

श्री किशन पटनायक का यह कहना पूर्णतया गलत है कि स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्री जवाहर लाल नेहरू के निधन का समाचार छिपाया गया और उनकी मृत्यु के कई घंटे बाद उसकी घोषणा की गई। इस सम्बन्ध में उन्होंने जो कुछ कहा उसमें किंचितमात्र भी सच्चाई नहीं है।

किन्तु कुछ व्यहारिक कठिनाइयों को दूर करने के लिये हमें इसका हल ढूंढना ही पड़ेगा लेकिन प्रस्तावित संशोधन के रूप में नहीं। सरकार को इस महत्वपूर्ण समस्या का यथोचित हल निकालने के लिये उपयुक्त ध्यान देना चाहिये।

इस प्रकार प्रस्तुत विधेयक का प्रस्तावित रूप में समर्थन नहीं किया जा सकत।

Shri Sheo Narain (Bansi): Mr. Deputy Speaker, Sir, it is not advisable to bring in amendments to the Constitutions so frequently. It becomes a mockery. There is already a provision made in our Constitution that the President of India can appoint any person as the Prime Minister. Besides the appointment or election for the office of the Prime Minister is the Concern of the party in majority. Any person from among the partymen. who is fit enough for the job can be appointed as the Prime Minister. Ours is a democratic Country. The election for the office of the Prime Minister depends upon the party in majority and one is appointed by Consensus. We have no practical difficulty to force.

We have a democratic set up and we have to decide the appointment of the Prime Minister by Consensus. It is not to be decided by virtue of one's Seniority in the Council of Ministers.

With these words, I oppose the Bill and request my hon. friend the mover to withdraw this Bill.

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी): प्रस्तावक महोदय ने अनुच्छेद 75(क) को संविधान में सम्मिलित करने का प्रस्ताव किया है। विधेयक के गुण और दोष पर मैं चर्चा बाद में करूंगा। संशोधन विधेयक को प्रस्तुत करते हुए उन्होंने जो भाषण दिया है उसका मैं पहले उत्तर दुंगा। उन्हों यह शिकायत की है कि हमारे वे विधेयक भी रद्द कर दिये जाते हैं जोकि बिलकुल सरकार के पक्ष में होते हैं, केवल इस लिए कि वे गैर-सरकारी तौर पर प्रस्तुत किये जाते हैं। मैं यह बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि विधेयक प्रस्तुत चाहे किसी भी पक्ष से हो, परन्तु उसपर विचार पूरी गम्भीरता से किया जाता है। गैर-सरकारी सदस्यों द्वारा जो भी विधेयक प्रस्तुत किये जाते हैं उन में दिये गये विचारों पर सरकार गम्भीरता पूर्वक विचार करती है। यदि विधेयक स्वीकार करना सम्भव न हो तो उन में दिये गये

विचारों को स्वीकार कर लिया जाता है । इस तरह इस दिशा में कार्यवाही की जाती है । दंड प्रक्रिया संहिता से धारा 109 को निकाल देने के लिए एक दूसरा विधेयक विधि आयोग को सौपा गया है । अतः वह यथासमय आ जायेगा ।

मेरा निवेदन यह है कि किसी भी विधेयक की स्वीकृति का आधार उस विधेयक की सभी पहलुओं से महसूस की जा रही आवश्यकता और महत्व होता है । सविधान में संशोधन करने वाले विधेयकों के लिए सभा की कुल सदस्य संख्या के बहुमत और उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत की आवश्यकता होती है ।

प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत संशोधन से राष्ट्रपति का प्रधान मंत्री की नियुक्ति सम्बन्धी परमाधिकार संकुचित होगा । इसलिये इस विधेयक को त्रुटिरहित विधेयक नहीं कहा जा सकता । संविधान के संशोधन पर विचार करते हुये सविधान की समूची भावना पर विचार करना होगा । प्रस्तावित संशोधन से राज्यों के मामले में असंगति पैदा होगी । प्रस्तावक ने इस ओर ध्यान नहीं दिया है । यदि संशोधन राज्यों के मामले में भी करना चाहते हो तो यह प्रस्ताव व्यावहारिक नहीं होगा ।

प्रधान मंत्री और मुख्य मंत्रियों को अपने मंत्रि परिषद् के सदस्य चुनने का अधिकार है परन्तु प्रस्ताव के अनुसार प्रधान मंत्री की मृत्यु के बाद अन्य मंत्री काम करते रहेंगे । यह संविधान के विरुद्ध है । नए प्रधान मंत्री को नए मंत्री चुनने का अधिकार है और उनकी नियुक्ति नए सिरे से होगी । प्रस्तावक द्वारा एक ऐसे मंत्री के बारे में एक व्यावहारिक कठिनाई की ओर ध्यान दिलाया गया है जो विदेश में हो तथा प्रधान मंत्री के निधन पर मंत्री पद पर न रहे । वह जानना चाहते हैं कि वह मंत्री कैसे वापिस लौटेगा । इस बारे में यह कहना होगा कि जब भी कोई व्यक्ति विदेश जाता है तो उसके वापिस लौटने की व्यवस्था पहले से ही की जाती है । इसलिए यदि वह मंत्री पद पर न भी रहे फिर भी वह अपनी जेब से कुछ व्यय किये बिना वापिस लौट सकता है ।

यह कहा गया है कि हमें प्रधान मंत्री के निधन पर शोक नहीं मनाना चाहिये क्योंकि आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश पाती है और शोक मनाने में प्रशासन की उपेक्षा होती है । इसलिए कहा गया है कि दूसरे व्यक्ति के तुरन्त पद ग्रहण करने के उपबन्ध से यह सभी कठिनाइयां दूर हो जाएंगी । यह कहना होगा कि चाहे हम प्रधान मंत्री के निधन पर शोक मना रहे हों परन्तु देश तथा राष्ट्र के प्रति कर्त्तव्य तो चलता रहता है । जैसा देखने में आया है कि स्वर्गीय प्रधान मंत्री के निधन के समय ऐसी कोई कठिनाई समक्ष नहीं आई । यह ऐसी बड़ी कठिनाई नहीं है जिस के लिये संविधान के संशोधन की आवश्यकता हो ।

एक माननीय सदस्य का सुझाव था कि हमारे यहां यदि एक उप-प्रधान मंत्री हो तो वह अपने आप ही प्रधान मंत्री पद पर नियुक्त कर दिया जाएगा । यह एक लम्बे समय की व्यवस्था है न कि अस्थायी व्यवस्था । हमें अपने दल, उसके अनुशासन और उसके लोगों के मूल्यांकन पर विश्वास है । किसी प्रकार की भी कठिनाई नहीं होगी तथा दल द्वारा उचित व्यक्ति ही प्रधान मंत्री. पद के लिये निर्वाचित किया जाएगा । अस्थायी अवधि के लिए ही संविधान में किसी संशोधन की आवश्यकता नहीं है ।

प्रस्तावक का विचार है कि मंत्रिमण्डल का वरिष्ठतम सदस्य ही कार्यवाहक प्रधान मंत्री बने। परन्तु हमारे प्रधान मंत्री जी ने कार्यवाहक प्रधान मंत्री रखने की कोई व्यवस्था नहीं की है । दूसरी बात यह है कि मंत्री-परिषद् में कोई वरिष्ठता नहीं है । यह व्यवस्था आई० सी० एस० पदाली जैसी नहीं है । संविधान द्वारा राष्ट्रपति को दिए गये अधिकार में कटौती करने का भी कोई कारण नहीं है । गत समय में अपनाई गयी व्यवस्था को देखते हुए जब कि यह पद ग्रहण करने में कोई कठिनाई अथवा गड़बड़ नहीं हुई और सब कार्य ठीक ढंग से हो गया है, हमें अपने राष्ट्रपति पर भरोसा होना चाहिए । मेरे माननीय मित्र ने जिन व्यवहारिक कठिनाइयों की ओर संकेत किया है उसे देखते हुए मैं यह कह सकता हूं कि यह विधेयक स्वीकार करने योग्य नहीं है । मैं माननीय प्रस्तावक की विचारधारा का समर्थन नहीं कर सकता ।

Shri Yashpal Singh (Kairana) : I feel obliged to all the honourable members, who have Participated in the discussion on this Bill, whether they have Supported or opposed it,But I am sorry that it has not been tried to understand the underlying Spirit in it.

I may State that it is a general rule that in the event of the President going abroad, the Vice President takes over his duties. Similarly, in the event of the Prime-Minister's death, the Senior most member of the Cabinet Should naturally take over as Prime Minister for Six Months. After that President might appoint a person of his Choice as Prime Minister.

I am of the opinion, and Scriptures Support me that there should be no State mourning at the death of a leader. I think it is a sin to make the administration of a Country Suffer in the event of the death of a leader. This is against the Collective interests of the Country. Anyway I withdraw my Bill.

उपाध्यक्ष महोदय : क्या माननीय सदस्य को अपना विधेयक वापिस लेने की अनुमति है ?

कुछ माननीय सदस्य : जी, हां ।

विधयक सभा की अनुमति से वापिस ले लिया गया ।

The Bill was, by leave withdrawn.

संविधान (संशोधन) विधेयक

(अनुच्छेद 105 तथा 194 का संशोधन)

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL.

(Amendment of articles 105 and 194)

श्री शिवमूर्ति स्वामी (कोप्पल): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जावे ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जावे "।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The Motion was adopted

श्री शिवमूर्ति स्वामी : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

नवयुवक (हानिकर प्रकाशन) संशोधन वधेयक (धारा २ का संशोधन)

YOUNG PERSONS (HARMFUL PUBLICATIONS) AMENDMENT BIILL (AMENDMENT OF SECTION 2)

श्री च० का० भट्टाचार्य (रायगंज) उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि नवयुवक (हानिकर प्रकाशन) अधिनियम, 1956 में संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जावें ।"

इस विधेयक द्वारा मैं धारा 2 का संशोधन करना चाहता हूं । जो धारा पहले थी उस में केवल कहानियों का ही उल्लेख था परन्तु मैं ने इस में लेख, कबिता, प्रश्न तथा उत्तर (जिस भी नाम से आप उन्हे पुकारें) को भी जोड़ दिया दिया है । जिनका चित्रण किया जावे अथवा चित्रण भी न किया जावे ।

यह मेरा पहला संशोधन है ।

(डा० सरोजिनी महिषी पीठासीन हुई।)

(Dr. Sarojini Mahishi *in the Chair*)

दूसरे संसोधन का सम्बन्ध सामग्री के स्वरूप से था। इसमें मैंने "अश्लील" शब्द को भी जोड़ दिया है ।

इस के परिणाम स्वरूप फिर मैं ने तीसरा परिवर्तन किया है जोकि इस धारा के अन्तिम पैरा में दिया गया है । मौलिक धारा में तो केवल "हिंसा तथा अत्याचार" के कार्यों को ही बन्द करना था परन्तु मैंने इस में "बदचलनी तथा आचारहीनता" शब्दों को भी जोड़ दिया है ।

अब प्रश्न उठता है कि मैं यह परिवर्तन क्यों करना चाहता हूं ? मौलिक अधिनियम 1956 में पास हुआ तो उसका अभिप्राय यह था कि यूरोप तथा अमरीका से जो अश्लील किताबें यहां आती थीं वे बन्द हो जावें और इस प्रकार यहां के नवयुवकों को बुरे प्रभाव से बचाया जावे। श्री गोविन्द बल्लभ पंत ने भी उस समय कहा था कि यह सौभाग्य की बात है कि कि हमारे देश में तो इस प्रकार की पुस्तकें आदि अभी अधिक मात्रा में नहीं छपती हैं। इस लिये उस समय तो अधिनियम केवल बाहर से आने वाले साहित्य

को रोकने से था । परन्तु अब यह बिमारी यहां से भी आरम्भ हो गई है और इस से पूर्व कि यह बहुत आगे बढ़ जावे, हमें कुछ न कुछ करना होगा ।

यदि 1956 का अधिनियम अब कार्य उसी परिस्थिति में कर सकता है जब उसकी परिभाषा को बदला जावें ।

यदि मेरे पास समय होता तो मैं आपको सिनेमा की सी पत्रिकाओं में के कुछ लेख दिखाता कि वे किस प्रकार के चित्र तैयार करते हैं। वे सिनेमा के कलाकारों के जीवन आदि भी छापते हैं जिन्हें पहन कर नवयुवक पर बुरा प्रभाव पड़ता है ।

इस विधेयक को आप केवल अश्लील पुस्तकों के छपने आदि के दृष्टिकोण से न देखें अपितु इसे आप आज की सामाजिक समस्याओं, नवयुवकों में अनुशासन हीनता तथा विद्यार्थियों में अनुशासन हीनता के दृष्टिकोण से भी देख ।

मेरे विधेयक का समर्थन महाराष्ट्र स्त्री परिषद् ने भी किया है ।

आजकल नवयुवकों में बहुत अनुशासनहीनता है। छोटी आयु में उसे संयम आदि की आवश्यकता है। परन्तु यह सिनेमा के प्रचार के साधन तो उसे कहीं और ही ले जाते हैं।

मेरे नगर कलकत्ता में ही कोई एक चौथाई मील के क्षेत्र में लगभग 20 सिनेमाघर हैं। उनके प्रचार के कागज़ आदि बड़े ही अश्लील ढंग के लगाये जाते हैं। मैंने इसका ज़िक्र डा० केसकर से भी किया जब व मंत्री थे परन्तु उन्होंने यह कह कर बात टाल दी कि यह कार्य राज्य सरकार का है और जब राज्य सरकार से इसके बारे में बात की तो उन्होंने इसे केन्द्र की जिम्मेदारी बता दिया।

इसलिए मेरी प्रार्थना है कि मेरा विधेयक मान लिया जावे अथवा सरकार स्वयं अपना ही कोई विधेयक इस दिशा में ले आवे। जिससे कि मौलिक अधिनियम का संशोधन हो।

कुछ सिनेमा की पत्रिकाओं ने तो भाषा के मामले को उभाड़ना आरम्भ कर दिया है। वे दूसरी भाषा के चित्रों आदि को बुरा बताते हैं और इससे कभी न कभी यह भाषा की समस्या और भी जटिल हो जावेंगी ।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

Shri Raghunath Singh (Varanasi) : I hope all members will support the bill of Shri Bhattacharya. Although the offenses proposed to be furnished under this new Bill should be taken care of under Section 292 of our Penal Code, yet an Act was passed in 1956- for it.

Inspite of that Act there has been no diminition in the Commission of Crimes. On the otherhand the obscene literature is on the increase now. Many magazines are published in the nature of questions and answers and they are full of questions pertaining to preverted sex. This literature can convert even a good person to a bad one if he reads it often. If we want that our Youngmen should become good citizens we will have to provide them with good mental food. This abscene literature is like dirty water. Government will have to do nothing to stop it.

The children of today will become the leaders of Tomorrow and hence it is the duty of the Government to make the children of good character, brave,

Courageous and they should not be sex perverts. Our old system was very good. Our Shastras enjoined on us celibacy for period of 25 years and thereafter one could marry and thereby they created a sense of Character in us.

The cinemas these days are turning our youth away from good path. Bad things such as sin, attachments, matter attach to one soon but good habits take time to become one's part of life.

You may not agree with the Bill but you will have to agree with the spirit behind the bill.

Shri H. C. Soy (Singhbhum) : Mr. Chairman, I agree with Shri Raghunath Singh who spoke just now that the Act of 1956 has failed to prohibit publication of magazines such as Obsorver, Blitz, Tit Bits etc. They are available on all authorised railway stalls. Blitz is even received in Parliament Library. I was to know from the Home Minister as to how many times the Act of 1956 was used.

I have a complaint against the Film Censur Board also who pass for publication in India foreign publications, magazines, pictures etc. which are much more obscene whereas they do not permit the same facility to Indian publications and magazines which are less obscene. There should not be double standards in such matters.

We find much obsecne literature even in our ancient literature not as Kumara-Sanbha and Meghdoot. Even in our old temples such as Konark and Harihar shetra, we find the idols which can also be described as obsence. Therefore we should be broad minded in such matters.

I think the legislation duly passed on the subject is sufficients. It should be put to good use now. I request the mover to withdraw his Bill.

श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा (आनन्द) : सभापति महोदय, मैं श्री भट्टाचार्य के विधेयक का समर्थन करता हूं और कहता हूं कि इसके पीछे अच्छा सिद्धांत है। आजकल तो केलेन्डर पर, रेल के स्टेशनों पर, किताबों पर तथा अन्य स्थानों पर अश्लील प्रकाशन दिखाई देते हैं। इन्हें बच्चे पढ़ते हैं और शायद मेरा अपना बेटा भी पढ़ता हो।

मैं तो शिक्षा मंत्री से कहूंगा कि यौन सम्बंधी शिक्षा बच्चों को पहले ही पढ़ाई जावे जैसा कि स्वीडन आदि देशों में होता है ताकि बच्चे इसे ठीक समझ सकें। सिनेमा के चित्रों का इस दिशा में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है।

विदेशी चलचित्र जो यहां दिखाये जाते हैं वे तो बहुत ही अश्लील होते हैं। वास्तव में हमने विदेशियों के गुण तो छोड़ दिये और उनकी बुराइयां ले ली हैं।

मैं तो नैतिक तथा अध्यात्मिक शिक्षा के हक में हूं।

मैं इस विधेयक का समथन करता हूं। परन्तु मैं इसमें यह चाहता हूं कि जहां भाषा के सम्बंध में लिखा हैं वहां वे "सन्तुलित विचार" शब्द लिख दें तो अच्छा है। हम योनि सम्बन्धी मामलों के विरुद्ध नहीं हैं परन्तु हर चीज "मर्यादा" में होनी चाहिय तथा "विवेक" से होनी चाहिये।

मैं तो लड़कों और लड़कियों को इक्ट्ठी शिक्षा के भी विरुद्ध हूं। इनके दोनों के लिये अलग अलग पाठशाला होनी चाहिये। इनका इक्ट्ठा होना ऐसे है जैसे घी और आग का इक्ट्ठा होना। इसके बारे में जर्मनी में भी लोग मुड़ रहे हैं।

Shri Sheo Narain (Vansi) : Madam Chairman, I rise to support this bill. I congratulate Shri Bhattacharyya for Calling the attention of the Government to the naked pictures appearing in certain papers in our Country. These pictures are contrary to our Culture. We are now imitating the Culture left by the Britishers. I want India to follow her own culture. We should learn and study Sanskrit.

Our life has been divided in four periods. First is the period of celibacy which goes up to the age of 25 years. This is the period in which one can make a solid base for his furture life but in our big Cities like Lucknow and Delhi Young boys and girls throng the picture houses whereas there is a great havoc because of famine in the country. We should ban the papers like "Observer" which publishes Obscene matter in India. Mahatma Gandhi has shown the world a new path of truth and non-violance. We should remember that we have to slow new light and new path to the world.

The culture of England and America takes people towards materialism whereas our culture teaches us spiritualism. I want the Government to accept this bill and stop the publication of obscene papers in India. Action may be taken against such people under the Defence of India Rules. With these words, I support the bill.

श्री कु० ल० मोरे (हातकंगले) : चेयरमैन महोदया, इस विधेयक के प्रस्तावक का अभिप्राय बहुत प्रशंसनीय है । इस का उद्देश्य युवकों को बुरी पुस्तकों, पत्रिकाओं आदि के भ्रष्ट करने वाले प्रभाव से बचाना है परन्तु 1956 के अधिनियमों के होते हुए इस विधेयक की आवश्यकता नहीं थी । प्रस्तावक महोदय ने यह नहीं बताया हैं कि क्या किसी न्यायालय के किसी निर्णय के कारण उस अधिनियम का क्षत्र सीमित हो गया हैं । मुझे किसी ऐसे निर्णय का पता नहीं है ।

प्रस्तावक महोदय "हानिकारक प्रकाशन" की परिभाषा से इस के क्षेत्र को बड़ा करना चाहते हैं । परन्तु वर्तमान अधिनियम में चलचित्र पत्रिकाओं सहित सभी प्रकाशन आ जाते हैं ।

युवकों, विशेषत: शिक्षित लोगों में बुरी प्रवृतियां रोकने के लिए विधि बनाना ही पर्याप्त नहीं है । सरकार को यह देखना चाहिये कि शिक्षा संस्थाओं को पर्याप्त धन दिया जाये ताकि वे स्कूलों तथा कालिजों में विद्यार्थियों पर ठीक ध्यान दे सकें ।

निर्धन माता पिता के बच्चे चलचित्रों तथा चलचित्र सम्बन्धी पत्रिकाओं पर धन व्यय नहीं कर सकते । इसलिए अच्छा यह होगा कि सरकार को ऐसी शिक्षा संस्थायें खोलने के लिए कहा जाये जो 5 से 15 वर्ष के बच्चों का उत्तरदायित्व सम्भालें और देखें कि उन पर चलचित्रों तथा बुरे प्रकाशनों का प्रभाव न पड़े । शिक्षा संस्थाओं के प्रमुख का यह कर्त्तव्य है कि बच्चों को सुव्यवहार तथा अनुशासन आदि की शिक्षा के साथ नैतिक शिक्षा भी दें ।

Shri Hukum Chand Kachhavaiya (Dewas) : Madam Chairman, I support the bill presented before the House by Shri C. K. Bhattacharyya.

The real wealth of India is the Charecter of her people. Swami Vivevakanand presented an illustration of the strength of Character in foreign Countries, but it is a pity that today love for the foreign culture, foreign dress and foreign obscene literature is on the increase as a Consequence of which the character of young girls and boys of this Country is falling and they are falling into a moral degradation.

In the newspapers of Delhi obscene articles and stories are published which has a bad effect on the citizens. Observer publishes such obscene stories and news, which have no basis. Such news and newspapers should be banned immediately.

The fashion of putting on tight clothes is shameful. This fashion is on the increase among young girls. In Pakistan this type of dress has been banned. I request the Minister of Home Affairs to ban this dress.

Apart from this, foreign papers and magazines, with naked pictures are sold in India. Similarly foreign obscene pictures are exhibited in India which produce a bad effect on our students. Film songs also have a bad effect on the youth and that reflects in their behaviour. As a result of foreign pictures, in which women has been shown smoking, girls and boys have begun to smoke. The character of our young boys and girls is going down due to foreign dress, obscene films and literature. I, therefore, Submit the Government to ban tight dresses, obscene films and stories and naked pictures. Such naked pictures and obscene books and magazines are being sold every where in Delhi. The Minister of Home Affairs had confiscated some books of this type but they are still being sold in the market. These books are read by boys and girls and they are given on hire.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए] ।

Mr. DEPUTY SPEAKER *in the Chair.*

If that remains the state of affairs, how can we take pride in the character and discipline of our Country. With these words I support the bill and hope that the Minister of Home-Affairs will accept this bill without hesitation.

श्री च० का० भट्टाचार्य : मैं प्रार्थना करता हूं कि वैदेशिक कार्य मंत्री के वक्तव्य के बाद इस विधेयक के लिए तथा उस पर उत्तर के लिए मुझे कुछ अधिक समय दिया जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : हम यह देखेंगे कि उस वक्तव्य पर कितना समय लगेगा ।

श्री च० का० भट्टाचार्य : उस पर अधिक से अधिक 15 से 20 मिनट लगेंगे ।

Shri Tulsidas Jadhav (Nanded) : Mr. Deputy Speaker, Sir, I support the bill introduced in the House by Shri Bhattacharya. The views expressed by the hon. Member who spoke before me, are correct. This matter was also raised in the Consultative Committee. The members of that Committee then with one voice urged for some sort of control over "*Indian Observer*". I have observed that the members of this House are also in favour of that. This type of books and pictures should be controlled. Censor Board for films should pay more attention in this direction. These books and films produce a bad effect on young boys and girls.

Previously meetings and relations between boys and girls produced certain effects which aroused the contempt of society towards such persons. Now, because of birth Control devices such effects do not appear and, therefore, there is no fear of the contempt of society. We should learn a lesson from the effect of such things in America, Japan or England.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए] ।

(MR. SPEAKER : *in the chair*)

In olden days parents impressed upon their Children on ethical and moral Values Similarly the teachers used to give them good education and tell them about values of life and Character but that sort of thing is seen nowhere in high schools, Colleges and Universities these days.

Religious education used to be imparted in the temples and mosques and the children used to read religious literature but now the influence of religion is finsihing and the children read literature which increases the natural instincts. Alongwith the laws of Control proper education should be imparted to Children. Education should also be imparted through the films made by the Government and the mobile vans. The late Shri J. K. Bhonsle had started National Discipline Scheme. It has had a good effect on the students. I request the Ministry of Home Affairs and Ministry of Education to introduce this type of education among small children.

In the end I want to stress that the need to abolish Co-education in this country cannot be over emphaised. We had been to Russin which is the most advanced Country in the world. Even there Co-education is not permitted in high schools and Colleges. Then I have a suggestion that the monthly journals and magazines in our country should be published by women. The journals brought out by men reflect ideas which tell upon the mental health of the Society at large. "Kirloskar" and "Stri", for example are brought out by women in Maharashtra. Therefore I exhort the women of this Country who can write to make their Contribution in this direction.

स्थगन प्रस्ताव तथा ध्यान दिलाने वाली सूचना के बारे में--जारी

RE: MOTION FOR ADJOURNMENT AND CALLING ATTENTION NOTICE—*contd.*

पाकिस्तानी सेनाओं द्वारा गोली बारी

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : पाकिस्तानी मुख्य भूमि और दाहाग्राम बस्ती, जो कि पाकिस्तान में है, के बीच भारत की छोटी सी पट्टी है। इस तंग पट्टी का फायदा उठाते हुए पाकिस्तानी राष्ट्रजन समय समय पर अवैध रूप से आते जाते रहे हैं। इस अवैध आवाजाही को रोकने के लिये साथ के तीन बीघा क्षेत्र में गश्ती सिपाहियों की संख्या बढ़ा दी गई थी। हमारी इस कार्यवाही को देख कर पूर्व पाकिस्तानी राइफल यूनिट, सीमा की उस ओर पश्चिम बंगाल की झिरसिंगेश्वर बाहरी चौकी की सीध में, बड़ी संख्या में जमा हो गये हैं। 18 फरवरी, 1965 को कूच बिहार के डिप्टी कमिश्नर सीमावर्ती क्षेत्र में तनाव के कारणों का पता लगाने के लिये रंगपुर के डिप्टी कमिश्नर से मिले। दोनों इस बात पर सहमत हो गये कि स्थिति को सुधारने के लिये सभी संभव कदम उठाये जाने चाहियें।

पाकिस्तान ने भारत पर निराधार आरोप लगाये कि दाहाग्राम में आर्थिक गतिरोध हो गया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने 12 मार्च, 1965 को तार द्वारा इस आरोप का उत्तर दिया और सीमा पर पाकिस्तानी सेना के जमाव की ओर पूर्व पाकिस्तान सरकार का ध्यान दिलाया। 13 मार्च को पाकिस्तानियों ने भारतीय प्रदेश में से मवेशी उठा ले जाने का प्रयत्न किया, परन्तु पश्चिम बंगाल पुलिस ने उन्हें ले जाने से रोका और कुछ गोलियां भी चलाई गईं। इसके पश्चात लगभग 150 हिन्दू दाहाग्राम छोड़ कर कूच बिहार में आ गये। 13–14 मार्च की रात्रि को पाकिस्तानी बस्ती के

निवासी तीन बीघा क्षेत्र के पास जमा हो गये और उन्होंने भारतीय प्रदेश में से होकर पाकिस्तान मुख्य भूमि में जाने का प्रयत्न किया। पाकिस्तानी राष्ट्रजनों की रक्षा के लिये पाकिस्तानी सिपाहियों ने गोलियां चलाई और पश्चिम बंगाल पुलिस ने भी बचाव में गोलियां चलाई।

दाहाग्राम से आये शरणार्थियों से पता चला कि पाकिस्तान में उन पर अत्याचार किये गए। पश्चिम बंगाल सरकार ने एक तार द्वारा पूर्व पाकिस्तान सरकार से कड़ा विरोध किया है कि जब तक प्रभावशाली कदम नहीं उठाये जायेंगे तनाव में कमी न होगी। पाकिस्तान ने उसका अभी उत्तर नहीं दिया है।

पश्चिम बंगाल सरकार को खबर मिली है कि 13 तारीख की रात को दाहाग्राम में स्थानीय मुसलमानों और भाटिया मुसलमानों के बीच झगड़ा हो गया जिसके परिणामस्वरूप कुछ मकानों को आग लगा दी गई थी और भाटिया मुसलमानों की एक बड़ी संख्या ने दाहाग्राम छोड़ कर पाकिस्तान मुख्य भूमि को जाने का फैसला किया।

16 मार्च को पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव ने पूर्व पाकिस्तान के मुख्य सचिव को तार द्वारा विरोध प्रकट किया। उसमें यह सुझाव दिया गया था कि दोनों मुख्य सचिव तुरन्त मिलकर स्थिति पर विचार करना चाहिये। पूर्व पाकिस्तान के महासचिव ने इस बातचीत के लिये दाहाग्राम में यथापूर्व स्थिति की शर्त रखी।

17-3-65 को प्रातः 3.30 बजे से पाकिस्तानी सेना ने बराबर गोलियां चलाईं और उसके परिणामस्वरूप स्थिति बहुत खराब हो गई। इसमें कुछ भारतीय नागरिक हताहत भी हुए। भारतीय सीमा पुलिस को अपनी चौकियों की रक्षा के लिये गोलियां चलानी पड़ीं। नवीनतम जानकारी के अनुसार पाकिस्तानी सेना मोरटार और हेंडग्रीनेड्स का इस्तेमाल कर रही है। पश्चिमी बंगाल के चीफ सेक्रेटरी तथा इन्स्पेक्टर जनरल पुलिस, स्थिति का जायजा लेने के लिये मौके पर गये हैं।

17 मार्च को पश्चिम बंगाल सरकार के पूर्व पाकिस्तान सरकार को एक तार भेजा है जिसमें बहुत कड़ा विरोध प्रकट किया गया है और यह अनुरोध किया गया है कि पाकिस्तान सरकार शीघ्र ही अपनी सेना को गोली चलाना बन्द करने का आदेश दे। उसी दिन नई दिल्ली में पाकिस्तान उच्चायुक्त को पत्र भी दिया गया था भारतीय सेना द्वारा दाहाग्राम पर कब्जा करने के आरोप का खण्डन किया गया था। उस पत्र में यह भी अनुरोध किया गया था कि पाकिस्तान सरकार पूर्व पाकिस्तान के मुख्य सचिव को पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव से तुरन्त बातचीत करने की हिदायत दे और समाचार पत्रों और रेडियो पर भारत विरोधी प्रचार बन्द करे क्योंकि पूर्व पाकिस्तान के अल्प संख्यकों पर इसका काफी बुरा असर पड़ सकता है। पाकिस्तान का यह आरोप बिलकुल निराधार है कि दाहाग्राम की बस्ती में भारत ने आक्रमण किया है। हम ने अपनी पश्चिम बंगाल की पुलिस और कूच बिहार के राष्ट्रजनों को यह सख्त हिदायत दे रखी है कि वह बस्ती में न जायें।

यह बड़े खेद की बात है कि भारत विरोधी प्रचार को रोकने के लिये पाकिस्तान सरकार कुछ भी नहीं कर रही है। फिर भी हम आशा करते हैं कि पाकिस्तान सरकार

शीघ्र हमारे सुझावों पर अमल करेगी । पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव और महानिरीक्षक पुलिस जो मौके पर गये हैं उन्होंने अभी कोई सूचना नहीं दी है। जो भी समाचार मिलेगा मैं सभा को उसकी सूचना देता रहूंगा ।

अध्यक्ष महोदय : भारतीय प्रदेश पर जो गोलियां चलाई जा रही हैं क्या वह पाकिस्तान के क्षेत्र पर से चलाई जा रही हैं ?

श्री स्वर्ण सिंह : जी हां ।

अध्यक्ष महोदय : फिर मैं स्थगन प्रस्ताव की अनुमति नहीं दे सकता ।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : क्या इस बेकार के विरोध पत्रों को भेजने की बजाय सरकार कोई ठोस कदम उठायेगी जैसे कि सेना को भेजना अथवा यदि पाकिस्तान इस प्रकार की हरकतों से बाज न आये तो उसको चेतावनी देना ।

श्री स्वर्ण सिंह : माननीय सदस्य का प्रश्न इस धारणा पर आधारित है कि पाकिस्तान ने हमारी कुछ भूमि पर कब्जा कर रखा हो जो कि सच नहीं है । सेना भेजने का अभी प्रश्न नहीं उठता है । वह गोलियां चला रहे हैं और हम भी बचाव में गोलियां चला रहे हैं ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : (बैरकपुर) : इस क्षेत्र में कुछ हिन्दू बस्तियां भी हैं । 1959 से पाकिस्तान ने हमारे राष्ट्रजनों को निकालना शुरू कर दिया है क्योंकि वहां उनके लिये पारपत्र को जरूरी कर दिया गया है । परन्तु हम अपनी ओर पाकिस्तानी नागरिकों से पारपत्र नहीं मांगते हैं । क्या सरकार आश्वासन देगी कि बिना पार पत्रों के उनको भारतीय प्रदेश में प्रवेश नहीं करने दिया जायेगा ?

हम इस बात पर आग्रह करेंगे कि भारतीय प्रदेश से घिरी पाकिस्तानी बस्तियों और पाकिस्तानी प्रदेश से घिरी भारतीय बस्तियों में एक से प्रबन्ध हों ।

श्री स्वर्ण सिंह : दाहग्राम में पाकिस्तानी नागरिकों के आने जाने के मामले में हम इस बात पर जोर देंगे की दोनों देशों की बस्तियों में एक सी व्यवस्था होनी चाहिये जिसे दोनों देश मानें ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : क्या यह सच है कि हमारी बस्तियों को राष्ट्रजनों को पहले निकाल दिया गया है क्योंकि पाकिस्तान इस बात पर जिद्द करता रहा है कि उनके पास पारपत्र होने चाहियें, जब कि हम अपने प्रदेश में से बिना पारपत्र के जाने देते रहे हैं और अब जब कि हमने पारपात्र की मांग की तो पाकिस्तान ने गोलियां चलानी शुरू कर दी ?

श्री स्वर्ण सिंह : पाकिस्तान प्रदेश की भारतीय बस्तियों में मुस्लिम भारतीय राष्ट्रजन और हिन्दू, गैर मुस्लिम भारतीय राष्ट्रजन भी रहते हैं। गैर-मुस्लिम अल्प संख्यकों की उस बस्ती में जो हालत हुई उससे सेना भली भांति अवगत है। उन पर अत्याचार किये गये और उन्हें उस क्षेत्र को छोड़ना पड़ा।

Shri Bagri (Hissar) : Do our police chase Pakistanis into their territory when they return with the loot property taken from Indian side ?

Shri Swaran Singh : According to International practice pursuit for the recovery of goods cannot be made in the territory of another country.

Shri Yashpal Singh (Kairana) : Why do the Government not equip our people on the border with arms when these protests are not availing so that they can defend themselves

Mr. Speaker: Shri Kachhavaiya.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : How much of our territory since partition has gone into the forcible occupation of Pakistan ?

Shri Swaran Singh : Not an inch of that area, not an inch of Indian territory is in the occupation of Pakistan.

श्री स० मो० बनर्जी : यह गलत है। पाकिस्तान ने हमारी भूमि पर जबरदस्ती कब्जा कर रखा है : उन्होंने स्वयं इस सभा में वक्तव्य दिया है कि हमारे प्रदेश पर उनका कब्जा है ....

श्री स्वर्ण सिंह : इस प्रदेश में नहीं।

श्री स० मो० बनर्जी : अब आप ऐसा कहते हैं।

श्री अ० प्र० शर्मा : माननीय मंत्री द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार 17-3-65 की प्रातः के 3.30 बजे से पाकिस्तानी सशस्त्र सेना निरन्तर गोलियां चला रही है। गोली बारी रोकने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं क्योंकि एक ओर तो सशस्त्र सेना है और दूसरी ओर पुलिस है ?

श्री स० मो० बनर्जी : वे मशीनगनें और मोरटार इस्तेमाल कर रहे हैं।

श्री स्वर्ण सिंह : जो हथियार इस्तेमाल किये जा रहे हैं उससे हमें इस नतीजे पर नहीं पहुंच जाना चाहिये कि दूसरी ओर सशस्त्र सेना है।

श्री स० मो० बनर्जी : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : जी नहीं।

श्री स्वर्ण सिंह : मैं सभा को विश्वास दिलाता हूं कि इस समय सीमा के उस पार पाकिस्तानी शस्त्र सेना का प्रयोग नहीं किया जा रहा है। हमें सब बातों की सूचना मिलती रहती है और जो भी कार्यवाही आवश्यक होगी हम उसे करेंगे।

श्री स० मो० बनर्जी : मैं कुछ स्पष्टीकरण चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : अब वह सभा का त्याग नहीं करेंगे तो मुझे कुछ और कार्रवाई करनी पड़ेगी ।

श्री स० मो० बनर्जी : उनके विरुद्ध भी आपको कुछ कार्यवाही करनी चाहिये ।

(इसके पश्चात श्री स० मो० बनर्जी सभा भवन बाहर से चले गये

Shri S. M. Bannerji then left the House)

(इसके पश्चात श्री बागड़ी सभा भवन बाहर से चले गये

Shri Bagri then left the House).

Shri Naval Prabhakar : What are the reasons for not keeping our men fully informed about the situation when Pakistan making such false Propaganda?

Shri Swaran Singh : I strongly contradic it. That full information is not given. I have given information of every thing.

Shri Prakash Vir Shastri : What is the number of deaths and casualities and of cattle taken away by Pakistanis as a result of the aggression by Pakistan which is continuing? Will be place on the Table information, if any with him, based on the Facts so far collected?

Shri Swaran Singh : I will certainly give. But at present I don't have the figures.

श्री नाथपाई (राजापुर) : राष्ट्रपति अयूब के हाल ही के पोकिंग के दौरे के बाद ही ये सब बातें एक साथ जोर शोर से हो रही हैं। अर्थात्, निरन्तर गोलीबारी, विशैला प्रचार आदि। क्या ये घटनाएं इस बात की सूचना देती हैं कि कोई बहुत बड़ी बात होने वाली है, यदि हां तो क्या सरकार ने इसके लिये क्या विशेष कदम उठाये हैं ?

श्री स्वर्ण सिंह : ऐसी स्थिति में स्थिति का मुकाबला करने के लिये और देश अखण्डता और सुरक्षा के लिये हम सभी वे कदम उठाते हैं जो हमें उठाने चाहियें ।

इसके पश्चात लोक सभा सोमवार 22 मार्च, 1965/1 चैत्र 1887 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Monday, March 22, 1965/Chaitra 1, 1887 (Saka).

G MGIPND LS III—587(Ai)—10-7-65—600